मेन्स आंसर राइटिंग

(Consolidation)

जुलाई 2024

अनुक्रम

सामान्य अध्ययन पेपर-1 3

- इतिहास 3
- भारतीय समाज 4
- भूगोल 6
- संस्कृति 11

सामान्य अध्ययन पेपर-2 15

- अंतर्राष्ट्रीय संबंध 15
- राजव्यवस्था 20
- सामाजिक न्याय 27

सामान्य अध्ययन पेपर-3 31

- अर्थव्यवस्था 31
- आंतरिक सुरक्षा 38
- आपदा प्रबंधन 41
- पर्यावरण 43
- विज्ञान-प्रौद्योगिकी 45

सामान्य अध्ययन पेपर-4 48

- केस स्टडी 48
- सैद्धांतिक प्रश्न 57

निबंध 67

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-1

इतिहास

प्रश्न : गुप्तोत्तर काल में विखंडित राजनीतिक परिदृश्य के साथ क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इस विखंडन के लिये ज़िम्मेदार कारकों पर चर्चा कीजिये और उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक विकास पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- गुप्त साम्राज्य के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए उत्तर का परिचय दीजिये।
- गुप्त काल के बाद विखंडन के लिये ज़िम्मेदार कारकों पर विचार कीजिये।
- सांस्कृतिक विकास पर इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग (4वीं-6वीं शताब्दी ई.) में एकीकृत भारत सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि देखने को मिलती है। हालाँकि इसके पतन के साथ ही राजनीतिक विखंडन की अवधि की शुरुआत हुई, जिसमें कई क्षेत्रीय साम्राज्य अपने प्रभुत्व के लिये लड़ रहे थे।

मुख्य भाग:

विखंडन के लिये ज़िम्मेदार कारक:

- **आंतरिक संघर्ष:** गुप्त साम्राज्य को शाही परिवार के बीच आंतरिक लड़ाई और मतभेदों का सामना करना पड़ा, जिससे केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई।
  - यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि विष्णुगुप्त, जिन्होंने 540 से 550 ई. तक शासन किया, गुप्त वंश के अंतिम शासक थे।
  - **इस तरह के आंतरिक संघर्ष ने संभवत:** से एकीकृत नेतृत्व में कमी आई, जिसने साम्राज्य को बाह्य खतरों के प्रति कमज़ोर बना दिया।
- **बाह्य आक्रमण:** हूणों के आक्रमणों ने साम्राज्य के पतन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कंदगुप्त (चंद्रगुप्त द्वितीय के पोते) के शासनकाल के दौरान, हूणों ने उत्तर-पश्चिम भारत पर आक्रमण किया।
  - यद्यपि स्कंदगुप्त ने इस प्रारंभिक आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, लेकिन इससे साम्राज्य के वित्तीय संसाधन काफी हद तक समाप्त हो गए। बाद में छठी शताब्दी ई. में हूणों ने मालवा, गुजरात, पंजाब एवं गांधार सहित कई विशाल क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर लिया, जिससे इन क्षेत्रों पर गुप्त शासन की पकड़ और भी कमज़ोर हो गई।
- **क्षेत्रीय शक्तियों से क्षेत्रों की हानि:** गुप्त साम्राज्य को अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा।
  - बुधगुप्त के शासनकाल के दौरान, पश्चिमी दक्कन के वाकाटक शासक नरेंद्रसेन ने मालवा, मेकल और कोसल पर आक्रमण किया। इसके बाद एक अन्य वाकाटक राजा, हरिषेण ने गुप्तों से मालवा तथा गुजरात पर विजय प्राप्त की। क्षेत्रीय शक्तियों के इन आक्रमणों से इन क्षेत्रों में हुए नुकसान ने गुप्त साम्राज्य के विस्तार एवं संसाधनों को काफी हद तक कम कर दिया।
- **स्वतंत्र शासकों का उदय:** जब हूणों के आक्रमण से देश में गुप्तों प्रभुत्त्व कमज़ोर हो गया, जिसके कारण उत्तरी भारत में स्वतंत्र शासकों का उदय हुआ।
  - उदाहरणों में मालवा के यशोधर्मन, उत्तर प्रदेश के मौखरी, सौराष्ट्र के मैत्रक और बंगाल के विभिन्न शासक शामिल हैं। क्षेत्रीय शक्तियों के विस्तार ने गुप्त साम्राज्य के अधिकार तथा क्षेत्रीय नियंत्रण को और कम कर दिया।
- **भौगोलिक संकुचन:** इन विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप, गुप्त साम्राज्य का क्षेत्राधिकार धीरे-धीरे कम होता गया। उत्तरी भारत के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने वाला यह साम्राज्य अंतत: केवल मगध तक ही सीमित रह गया।
  - इस क्षेत्रीय शक्तियों के विस्तार से गुप्त शासकों के संसाधनों और क्षेत्राधिकार सीमित हो गए।

सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव:

राजनीतिक विखंडन के बावजूद, इस अवधि के दौरान उपमहाद्वीप में विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का उत्कर्ष देखने को मिला।

- **क्षेत्रीय संरक्षण:** प्रत्येक राज्य ने अपनी विशिष्ट कलात्मक शैली और साहित्यिक परंपराएँ विकसित कीं।
  - दक्कन में चालुक्यों द्वारा मंदिर वास्तुकला में जबकि दक्षिण भारत में पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम में शानदार स्मारक में उत्कृष्टता हासिल हुई। इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय संरक्षण से कलात्मक और स्थापत्य कला में महत्त्वपूर्ण योगदान देखने को मिला।

नोट :

- **भक्ति आंदोलन:** विखंडित राजनीतिक परिदृश्य ने भक्ति आंदोलन के उदय हेतु उपजाऊ ज़मीन प्रदान की गई, जिससे देवताओं की भक्ति पूजा पर ज़ोर मिला।
  - इस आंदोलन ने क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर तमिल, कन्नड़ और हिंदी जैसी स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया, जिससे नए साहित्यिक रूपों का विकास हुआ।
- **ज्ञान का प्रसार:** स्थापित मार्गों पर व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे विचारों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान-प्रदान सुगम हुआ।
  - इन विचारों एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान से सांस्कृतिक परिदृश्य और भी समृद्ध हुआ, उदाहरण के लिये दक्षिण-पूर्व एशियाई मंदिरों पर पल्लव वास्तुकला का प्रभाव।

निष्कर्ष:

भारत में गुप्तोत्तर विखंडन राजनीतिक अव्यवस्था और सांस्कृतिक गतिशीलता दोनों का काल था। इस काल में क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने राजनीतिक परिदृश्य को जन्म दिया, जिससे सांस्कृतिक विचारों को भी बढ़ावा मिला। इस युग की विरासत क्षेत्रीय संस्कृतियों के समृद्ध मिश्रण में निहित है।

भारतीय समाज

प्रश्न. LGBTQ+ समुदाय के समक्ष आने वाली सामाजिक एवं विधिक चुनौतियों पर चर्चा करते हुए उनके अधिकारों तथा समावेशन को बढ़ावा देने हेतु उपाय बताइये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- LGBTQ+ समुदाय को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये?
- LGBTQ+ समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों पर गहराई से विचार कीजिये
- LGBTQ+ के अधिकारों और समावेशन को बढ़ावा देने के उपाय सुझाएँ
- सकारात्मक निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

- LGBTQ+ समुदाय में वे लोग शामिल हैं, जो **लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेश्चनिंग या क्वीर, इंटरसेक्स और एसेक्सुअल तथा अन्य यौन अभिविन्यास तथा लिंग** पहचान को दर्शाता है
  - भारत, जो अपनी जीवंत संस्कृति और प्राचीन परंपराओं के लिये जाना जाता है, अपने **LGBTQ+ नागरिकों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित करने के मामले में एक चौराहे पर खड़ा** है। प्रगति हुई है, लेकिन महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

मुख्य बिंदु:

LGBTQ+ समुदाय के समक्ष चुनौतियाँ:

- **सामाजिक चुनौतियाँ:**
  - **कलंक और भेदभाव:** व्यापक पूर्वाग्रह के कारण **आवास, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा में भेदभाव** होता है। LGBTQ+ व्यक्तियों को अक्सर बुनियादी सेवाओं एवं अवसरों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - **परिवार की स्वीकृति का अभाव:** कई LGBTQ+ व्यक्तियों को अपने बारे में खुलकर बताने पर परिवार के सदस्यों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। इससे भावनात्मक आघात, बेघर तथा लोगों द्वारा सहयता में कमी आ सकती है।
  - **हिंसा और घृणा अपराध:** समुदाय शारीरिक और यौन हिंसा के प्रति संवेदनशील बना रहता है, जिसे अक्सर दंड से मुक्त रखा जाता है।
    - इसमें लक्षित हमले, **सुधारात्मक बलात्कार और घरेलू हिंसा** शामिल हैं।
  - **मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ: सामाजिक दबाव और अल्पसंख्यक तनाव** के कारण LGBTQ+ व्यक्तियों में अवसाद, चिंता तथा आत्महत्या की दर अधिक है।
    - LGBTQ+ समर्थक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच से समस्या और भी बढ़ जाती है।
- **कानूनी चुनौतियाँ:**
  - **समलैंगिक विवाह का अभाव:** समलैंगिक विवाहों के लिये कानूनी मान्यता का अभाव **LGBTQ+ दंपतियों को गोद लेने और अस्पताल से मिलने वाले विभिन्न अधिकारों** से वंचित रहते है।
  - **अपर्याप्त भेदभाव विरोधी कानून:** रोज़गार, आवास और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव से LGBTQ+ व्यक्तियों की रक्षा करने वाले व्यापक कानूनों का अभाव।
  - **गोद लेने और सरोगेसी प्रतिबंध:** LGBTQ+ व्यक्तियों और दंपतियों को बच्चों को गोद लेने या सरोगेसी सेवाओं जैसी कानूनी बाधाएँ हैं, जिससे उनके परिवार बनाने के विकल्प सीमित हो जाते हैं।

नोट :

LGBTQ+ के अधिकारों और समावेशन को बढ़ावा देने संबंधी उपाय:

- **LGBTQ+ उद्यमिता:** LGBTQ+ उद्यमियों के लिये विशेष व्यवसाय को विकसित तथा स्थापित करना।
  - एक मज़बूत LGBTQ+ व्यवसाय समुदाय के निर्माण में सहायता के लिये **मार्गदर्शन, वित्तपोषण और नेटवर्किंग** के अवसर प्रदान करना।
- **विधायी सुधार:** व्यापक भेदभाव विरोधी उपाय लागू करना और समावेशी स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा संबंधी नीतियों को सुनिश्चित करना। भेदभाव का **सामना करने एवं समानता को बढ़ावा देने के लिये** यह कानूनी ढाँचा महत्त्वपूर्ण है।
- **कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण:** पुलिस अधिकारियों को LGBTQ+ मुद्दों को सहानुभूति और सम्मानपूर्वक संभालने के लिये संवेदनशील को विकसित करना।
  - **सामुदायिक संबंधों को बेहतर बनाने और घृणा अपराधों की रिपोर्टिंग** को सुविधाजनक बनाने के लिये पुलिस विभागों में **LGBTQ+ संपर्क अधिकारी का पद** स्थापित करना।
- **LGBTQ+ दृश्यता:** मीडिया और लोकप्रिय संस्कृति में LGBTQ+ व्यक्तियों के सकारात्मक तथा विविध चित्रण को बढ़ावा देना।
  - **LGBTQ+ कलाकारों, लेखकों और सामग्री निर्माताओं** को प्रोत्साहित करना तथा LGBTQ+ अनुभवि व्यक्तियों की सहायता करना।
- **LGBTQ+ स्पोर्ट्स लीग:** LGBTQ+ प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने हेतु समावेशी स्पोर्ट्स लीग और टूर्नामेंट स्थापित करना तथा एथलेटिक्स में LGBTQ+ व्यक्तियों के बारे में रूढ़िवादिता को चुनौती मिल सकती है।

निष्कर्ष:

भारत में LGBTQ+ व्यक्तियों के लिये पूर्ण समावेशन प्राप्त करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानूनी सुधार, सामाजिक जागरूकता अभियान और मज़बूत सामुदायिक सहायता संरचनाएँ सभी एक उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम हैं, जहाँ सभी नागरिक सम्मानपूर्वक तथा गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकें। विविधता को अपनाकर एवं बेहतर समझ विकसित कर भारत अपने LGBTQ+ समुदाय की वास्तविक क्षमता को उज़ागर कर सकता है।

प्रश्न : भारतीय समाज और संस्कृति पर उपभोक्तावाद के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। इसने उपभोग प्रतिरूप, जीवन शैली और सामाजिक आकांक्षाओं को किस प्रकार से नया रूप प्रदान किया? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में उपभोक्तावाद के आगमन का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- उल्लेख कीजिये कि उपभोक्तावाद किस प्रकार उपभोग पैटर्न को नया आकार दे रहा है।
- इस बात पर गहराई से विचार कीजिये कि उपभोक्तावाद किस प्रकार जीवनशैली को बदल रहा है।
- इस बात पर प्रकाश डालिये कि उपभोक्तावाद किस प्रकार सामाजिक आकांक्षाओं को बदल रहा है।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

भारत में वर्ष 1991 के आर्थिक उदारीकरण से तीव्र उपभोक्तावाद के आगमन ने राष्ट्र के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने को मौलिक रूप से बदल दिया है।

यह बदलाव वैश्विक बाज़ार शक्तियों, बदलती आर्थिक नीतियों और विकसित होते सांस्कृतिक मानदंडों के बीच जटिल अंतसंबंध को दर्शाता है।

मुख्य भाग:

उपभोक्तावाद उपभोग पैटर्न को नया आकार दे रहा है:

- **मितव्ययिता से भोग-विलासिता की ओर:** खर्च और संतुष्टि की संस्कृति मितव्ययिता और बचत के पारंपरिक सिद्धांतों की जगह ले रही है।
  - भारत की घरेलू बचत दर 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 22.7% से घटकर वर्ष 2022-23 में 18.4% हो गई है, जो उपभोग की ओर बदलाव का संकेत है।
- **आकांक्षात्मक उपभोग में वृद्धि:** उपभोग अब केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक स्थिति और पहचान को प्रदर्शित करने तक सीमित रह गया है।
  - अनुमान है कि भारत में लक्ज़री सामान बाज़ार का राजस्व वर्ष 2024 तक 7.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगा, जो कई विकसित बाज़ारों से आगे होगा।
- **विलासिता का लोकतंत्रीकरण:** पहले विशिष्ट उत्पाद अब EMI और किफायती विलासिता खंडों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लिये सुलभ हैं।
  - इससे उपभोग पैटर्न के आधार पर वर्ग भेद अस्पष्ट हो गया है।

नोट :

- **डिजिटल उपभोग क्रांति:** ई-कॉमर्स ने विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में खरीदारी व्यवहार को बदल दिया है।
  - भारत का ई-कॉमर्स बाज़ार वर्ष 2026 तक 200 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2017 में 38.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था।
- **भोजन की खपत में बदलाव:** घर में पकाए गए भोजन की जगह पैकेज्ड और रेस्तरां के भोजन की ओर बढ़ना।
  - इसने जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में वृद्धि में योगदान दिया है, भारत में मधुमेह का प्रसार वर्ष 2009 में 7.1% से बढ़कर वर्ष 2019 में 8.9% हो गया है।

जीवनशैली में परिवर्तन:

- **बदलती पारिवारिक संरचना:** एकल परिवार आदर्श बनते जा रहे हैं, जिससे घरेलू उपभोग की गतिशीलता में बदलाव आ रहा है।
  - इसके परिणामस्वरूप घरेलू उपकरणों और सुविधाजनक उत्पादों के बाज़ार में तेज़ी आई है।
- **समय एक वस्तु के रूप में:** अवकाश के समय के बढ़ते मूल्य ने सेवा अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। इसके कारण सेवा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 50% से अधिक का योगदान देता है।
- **दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी एकीकरण:** स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुँच ने भारतीयों के संवाद, कार्य एवं मनोरंजन के तरीके को बदल दिया है।
  - 2023 में भारत में इंटरनेट की पहुँच वर्ष-दर-वर्ष 8% बढ़ेगी।
- **स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान:** स्वास्थ्य के बारे में बढ़ती जागरूकता ने जैविक खाद्य पदार्थों, फिटनेस उपकरणों तथा कल्याण सेवाओं के लिये नए बाज़ार उत्पन्न किये हैं।
  - IMARC की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जैविक खाद्य बाज़ार में वर्ष 2022-2027 के दौरान 25.25% की CAGR प्रदर्शित होने की उम्मीद है।

सामाजिक आकांक्षाओं में बदलाव:

- **कॅरियर विकल्प और उद्यमिता:** नौकरी की सुरक्षा से उच्च जोखिम, उच्च लाभ वाले कॅरियर विकल्पों की ओर बदलाव।
  - भारत 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर उभरा है, जो बदलती आकांक्षाओं को दर्शाता है।
- **सफलता की पुनर्परिभाषा:** सफलता को अब आध्यात्मिक या बौद्धिक उपलब्धियों के बजाय भौतिक दृष्टि से मापा जाने लगा है।
  - इससे तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में वृद्धि हुई हैं तथा भारत में 60 से 70 मिलियन से अधिक लोग मानसिक विकार से ग्रस्त हैं।
- **वैश्विक नागरिकता आकांक्षाएँ:** अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों और अनुभवों के उपभोग के माध्यम से वैश्विक नागरिक के रूप में देखे जाने की इच्छा।
  - इससे भारतीय संस्कृति का संकरीकरण हुआ है तथा वैश्विक प्रवृत्तियों और स्थानीय परंपराओं का सम्मिश्रण हुआ है।

निष्कर्ष:

उपभोक्तावाद ने निस्संदेह भारतीय समाज और संस्कृति को बदल दिया है। हालाँकि इसने आर्थिक विकास में योगदान दिया है तथा कुछ लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है, लेकिन इसने चुनौतियाँ भी पैदा की हैं। ज़िम्मेदार उपभोग एवं टिकाऊ जीवनशैली की संस्कृति को बढ़ावा देना व्यक्तियों व समाज की दीर्घकालिक भलाई के लिये महत्त्वपूर्ण है।

भूगोल

प्रश्न : पूर्वी और पश्चिमी घाट भारत की दो प्रमुख पर्वत शृंखलाएँ हैं, जो विभिन्न तरीकों से भारत की जलवायु तथा कृषि को प्रभावित करती हैं। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- पूर्वी और पश्चिमी घाट का उल्लेख करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये?
- जलवायु और कृषि पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के विपरीत प्रभाव पर गहराई से विचार कीजिये?
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

पूर्वी और पश्चिमी घाट भारत के भौगोलिक क्षेत्र की खूबसूरती के प्रमाण हैं। फिर भी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट की पर्वत शृंखलाएँ देश की जलवायु तथा कृषि को विपरीत रूप से प्रभावित करती हैं।

मुख्य भाग:

जलवायु और कृषि पर पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों का विपरीत प्रभाव:

वर्षा का पैटर्न:

- **पश्चिमी घाट:** यह वर्षा अवरोधक के रूप में कार्य करता है। दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवनें नमी सागर से नमी ग्रहण कर

नोट :

पश्चिमी घाट में ऊपर की ओर उठती हैं, जिससे पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों (केरल, महाराष्ट्र) पर भारी वर्षा होती है।
  - पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग (दक्कन पठार) पर वर्षा छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा काफी कम होती है।
- **पूर्वी घाट:** अपनी कम ऊँचाई और असंतत् प्रकृति के कारण मानसून के विक्षेपण पर इसका प्रभाव सीमित है। इसका पूर्वी घाटों का मानसून पैटर्न पर कम प्रभाव पड़ता है।
  - हालाँकि मानसूनी पवनों की शेष नमी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय मैदानों तक पहुँचती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में मध्यम वर्षा होती है।

तापमान विनियमन:

- **पश्चिमी घाट:** यहाँ का तटीय तापमान मध्यम है। पश्चिमी घाट एक भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करता हैं, जो दक्कन पठार से आने वाली गर्म, शुष्क पवनों को पश्चिमी तट तक पहुँचने से रोकता हैं। यह मालाबार तट पर अधिक सुखद और आर्द्र जलवायु बनाए रखता है।
- **पूर्वी घाट:** इसका तापमान पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। अपनी कम ऊँचाई और असंतत् प्रकृति के कारण, पूर्वी घाटों का क्षेत्रीय तापमान को विनियमित करने पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। आस-पास के क्षेत्रों में मौसमी बदलाव अधिक प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किये जाते हैं।

वनस्पति पर प्रभाव:

- **पश्चिमी घाट:** उच्च वर्षा और मध्यम तापमान समृद्ध जैवविविधता वाले घने जंगलों के लिये आदर्श परिस्थितियाँ विकसित करते हैं। यहाँ पर हरे-भरे, सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह वनस्पति वाष्पीकरण को बढ़ावा देकर वर्षा के प्रारूप को और अधिक प्रभावित करती है तथा निम्न तापमान में योगदान प्रदान करती है।
- **पूर्वी घाट:** यहाँ शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पूर्वी घाट की वर्षा छाया में कम और अधिक अनियमित वर्षा पैटर्न के कारण यहाँ पत्तियों के गिरने के साथ शुष्क वनों का विकास होता है।
  - यहाँ जटिल परिस्थितियों के अनुकूल झाड़ियाँ और घास के मैदान भी पाए जाते हैं।

कृषि पर प्रभाव:

- **पश्चिमी घाट:** उच्च वर्षा और मध्यम तापमान के कारण यहाँ कॉफी, चाय, इलायची तथा मसालों जैसी बागानों में उगाई जाने वाली फसलों के लिये आदर्श परिस्थितियाँ हैं। अत: यहाँ बागवानी कृषि की जाती हैं।
  - इसके अतिरिक्त, ढलानों पर उपजाऊ मिट्टी केले जैसे फलों की खेती के लिये अनुकूल है।
- **पूर्वी घाट:** मध्यम और अक्सर अनियमित वर्षा पैटर्न के कारण अलग-अलग समय पर पानी की आवश्यकता वाली मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं। अत: यहाँ मिश्रित कृषि तथा शुष्क प्रतिरोधी फसलों को बढ़ावा दिया जाता है।
  - यहाँ आमतौर पर दलहन, बाजरा, कपास और कुछ तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, ज्वार एवं बाजरा जैसी शुष्क प्रतिरोधी फसलें इन क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

जल संसाधन प्रबंधन:

- **पश्चिमी घाट:** पश्चिमी घाट प्राकृतिक रूप से 'वाटर टॉवर' के रूप में कार्य करते हैं। पश्चिमी घाट में घने जंगल वर्षा जल को संग्रहीत करते हैं, जिससे पश्चिम की ओर बहने वाली कई बारहमासी नदियाँ इनसे जल प्राप्त करती हैं। ये नदियाँ इस क्षेत्र में सिंचाई और जल आपूर्ति के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **पूर्वी घाट:** पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में नदियों का एक छोटा नेटवर्क है।
  - हालाँकि पूर्वी घाट में गोदावरी और महानदी जैसी कुछ प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो पूर्वी भारत के जल संसाधनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

निष्कर्ष:

दोनों पर्वत श्रृंखलाएँ जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या दबाव और विकासात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में अद्वितीय चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इन महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रों का संरक्षण तथा सतत् प्रबंधन भारत की पर्यावरणीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा एवं समग्र सतत् विकास के लिये अनिवार्य है।

प्रश्न : वैश्वीकरण ने विभिन्न भौगोलिक प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण से संबद्ध भौगोलिक चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- आँकड़ों का उपयोग करके वैश्वीकरण एवं उसके प्रभाव को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- वैश्वीकरण की भौगोलिक चुनौतियों पर गहनता से विचार कीजिये।
- वैश्वीकरण से संबंधित अवसरों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

वैश्वीकरण, विश्व अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और आबादी की बढ़ती अंतर्संबंधता तथा अन्योन्याश्रयता की प्रक्रिया ने विश्व भर में भौगोलिक प्रक्रियाओं को एक नया रूप दिया है।

- यह घटना वैश्विक व्यापार के नाटकीय में स्पष्ट है, जो वर्ष 1960 के दशक में विश्व सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 25% से बढ़कर हाल के वर्षों में 60% से अधिक हो गया है।

वैश्विक

- यह वैश्विक व्यापार में देखी गई वृद्धि से स्पष्ट है, कि 1960 के दशक में विश्व सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 25% से बढ़कर हाल ही के वर्षों में 60% से अधिक हो गया है।

मुख्य भाग:

वैश्वीकरण की भौगोलिक चुनौतियाँ:

- **जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण:** वैश्वीकरण ने वैश्विक व्यापार और परिवहन से कार्बन उत्सर्जन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन में वृद्धि की है।
  - शिपिंग उद्योग अकेले वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 3% का योगदान प्रदान करता है।
  - वैश्विक कृषि मांग के लिये वनों की कटाई, जैसे कि सोयाबीन उत्पादन हेतु अमेज़न वर्षावनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन में और भी योगदान देता है।
- **संसाधनों की कमी:** संसाधनों की वैश्विक मांग ने अतिदोहन को जन्म दिया है, जिससे विश्व भर में पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है।
  - दशकों से विनाशकारी मछली ग्रहण के कारण ब्लूफिन टूना और ग्रैंड बैंक कॉड जैसे प्रमुख मछली स्टॉक में भारी गिरावट आई है।
  - कैलिफोर्निया सेंट्रल वैली में देखी गई कृषि और औद्योगिक मांगों में वृद्धि के कारण मीठे पानी के संसाधन तनाव में हैं।
- **असमान विकास और स्थानिक असमानताएँ:** वैश्वीकरण ने कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को केंद्रित किया है, जिससे भौगोलिक असमानताएँ पैदा हुई हैं।
  - यह विकासशील देशों (जैसे बेंगलूरू) में मेगासिटी के विकास में स्पष्ट है, जिससे ग्रामीण-शहरी प्रवास और शहरी फैलाव तेज़ी से हो रहा है।
  - विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास से समृद्धि के क्षेत्र बनते हैं, जबकि वैश्विक शहरों में जेंट्रीफिकेशन से स्थानिक अलगाव और स्थानीय आबादी का विस्थापन होता है।
- **ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन संघर्ष:** ऊर्जा संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा तीव्र हो गई है, जिससे भू-राजनीतिक संकट उत्पन्न हो रहा है।
  - बर्फ के पिघलने के कारण आर्कटिक तेल और गैस संसाधनों के दोहन के लिये देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हुई है।
  - आधुनिक प्रौद्योगिकियों के लिये आवश्यक दुर्लभ खनिजों के लिये संघर्ष भी वैश्वीकरण के भौगोलिक परिणाम के रूप में उभरा है।

वैश्वीकरण के भौगोलिक अवसर

- **बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे का विकास:** वैश्वीकरण ने वैश्विक व्यापार को समर्थन देने के लिये परिवहन बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा दिया है।
  - भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रवृत्ति ने दुनिया भर में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रेल नेटवर्क के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के साथ-साथ स्मार्ट शहरों एवं डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा दिया है।
- **नए संसाधनों की खोज और सतत् संसाधन प्रबंधन:** तकनीकी प्रगति ने पहले से दुर्गम संसाधनों को उपलब्ध कराया है।
  - भू-तापीय और ज्वारीय ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज वैश्वीकरण से उत्पन्न होने वाले नए अवसरों का प्रतिनिधित्व करती है।
- **क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और सीमा पार सहयोग:** वैश्वीकरण ने आर्थिक ब्लॉक और मुक्त व्यापार क्षेत्रों के गठन की सुविधा प्रदान की है।
  - अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) - दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
  - इस प्रवृत्ति ने दक्षिणी अफ्रीका में शांति पार्क जैसी सीमा पार संरक्षण पहलों के विकास को भी बढ़ावा दिया है।
- **भौगोलिक संकेत टैग और वैश्विक बाज़ार तक पहुँच:** वैश्वीकरण ने भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के माध्यम से स्थानीय उत्पादों की पहचान और सुरक्षा को बढ़ाया है।
  - उदाहरण के लिये भारत से दार्जिलिंग चाय, फ्राँस से शैम्पेन और इटली से पार्मिगियानो-रेजिआनो पनीर ने अपने जीआई टैग के कारण वैश्विक बाज़ारों में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता तथा विशेष दर्जा प्राप्त किया है।

नोट :

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विश्व की स्थानिक संरचना अपरिवर्तनीय रूप से बदल गई है, जो अपने साथ अवसर और चुनौतियाँ दोनों लेकर आई है। भविष्य में हमारा साझा वैश्विक भूगोल वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप भौगोलिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों के साथ अनुकूलन और समायोजन करने की हमारी सामूहिक क्षमता द्वारा निर्धारित होगा।

प्रश्न : भारत के महानगरों में सामाजिक संरचनाओं और शहरी विकास पर आंतरिक प्रवास के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- आंतरिक प्रवास को परिभाषित करने के साथ उससे संबंधित आंकड़ों का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये
- सामाजिक संरचनाओं पर आंतरिक प्रवास के प्रभाव बताइये
- शहरी विकास पर इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिये
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

देश की सीमाओं के अंदर लोगों की आवाजाही के रूप में होने वाला आंतरिक प्रवास, भारत में सामाजिक तथा शहरी रूपांतरण का एक महत्त्वपूर्ण चालक रहा है।

- इससे विशेष रूप से भारत के मेगासिटीज़ (10 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहर) काफी प्रभावित हुए हैं।
- ISFR-2021 के अनुसार भारत में पाँच मेगासिटीज़ हैं: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बंगलूरु और चेन्नई।

मुख्य भाग:

सामाजिक संरचनाओं पर प्रभाव:

- **जनसांख्यिकीय बदलाव:** आंतरिक प्रवास ने भारत के महानगरों की जनसांख्यिकीय संरचना को काफी प्रभावित किया है।
  - प्रवासियों के आने से (मुख्य रूप से रोज़गार की तलाश में युवाओं के प्रवासन से) आयु और लिंग अनुपात में विषमता आई है।
  - दिल्ली में लिंग अनुपात 868 है, जो पिछली जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत 940 से कम है। इसके लिये पुरुष-प्रधान प्रवास प्रतिरूप भी उत्तरदायी है।
  - इस असंतुलन का शहरी क्षेत्रों की सामाजिक गतिशीलता एवं विवाह प्रतिरूप पर प्रभाव पड़ने के साथ अपराध दर पर भी प्रभाव पड़ता है।
- **सांस्कृतिक विविधता और एकीकरण:** महानगर विविध संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का मिश्रण बन गए हैं।
  - उदाहरण के लिये, मुंबई में लगभग प्रत्येक भारतीय राज्य के लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं।
  - हालाँकि इससे ऐसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत हुई हैं, जिनके कारण कभी-कभी सांस्कृतिक संघर्ष या शहरों के भीतर भाषाई या क्षेत्रीय आधार पर वस्तियों का विकास होता है।
- **परिवारिक संरचनाओं का विकास:** प्रवासन से शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक संयुक्त परिवार प्रणालियों से एकल परिवारों को प्रमुखता मिली है।
  - वर्ष 2021 के अनुसार भारत में प्रति परिवार औसतन 4.44 लोग थे।
  - इसके अलावा एकल परिवारों और लिव-इन रिलेशनशिप में वृद्धि (विशेष रूप से महानगरों में) हुई है, जिससे पारंपरिक सामाजिक मानदंडों को चुनौती मिल रही है।
- **सामाजिक नेटवर्क और सहायता प्रणाली:** प्रवासियों द्वारा अक्सर शहरी क्षेत्रों में बनाए गए नए सामाजिक नेटवर्क अक्सर क्षेत्रीय या भाषाई संबद्धता पर आधारित होते हैं।
  - उदाहरण के लिये, कोलकाता में मारवाड़ी समुदाय द्वारा मज़बूत नेटवर्क स्थापित किये गए हैं जिससे यह नए प्रवासियों को सामाजिक तथा आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।
  - हालाँकि इस शहरी प्रवासन से ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक सहायता प्रणालियों भी कमज़ोर हुई हैं तथा कई गाँवों में 'प्रतिभा पलायन' और कामकाजी उम्र के व्यक्तियों की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है।

शहरी विकास पर प्रभाव:

- **आवास संबंधी चुनौतियाँ:** प्रवासन में वृद्धि होने से शहरी आवास पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है।
  - जिससे अनौपचारिक बस्तियों और झुग्गियों का प्रसार हुआ है।
  - धारावी, भारत के मुंबई शहर की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है, जहाँ केवल 2 वर्ग किलोमीटर में 1 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं।

नोट :

- **बुनियादी ढाँचा के साथ सेवा वितरण पर अधिक भार:** मेगासिटीज़ में बढ़ती आबादी हेतु पर्याप्त बुनियादी ढाँचा एवं सेवाएँ प्रदान करने में समस्या आती है।
  - यहाँ जल एवं विद्युत की कमी के साथ अपर्याप्त स्वच्छता जैसे मुद्दे सामान्य हैं।
- **आर्थिक परिदृश्य परिवर्तन:** प्रवासियों ने शहरी अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान (विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में) दिया है।
  - भारत में लगभग 90% कामगार अनौपचारिक क्षेत्र में नियोजित हैं।
  - ओला, उबर और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई प्रवासियों को रोज़गार के अवसर मिलने के साथ गिग इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है।
  - हालाँकि इससे नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों के बारे में चिंताओं में भी वृद्धि हुई है।
- **शहरी नियोजन संबंधी चुनौतियाँ:** बड़े शहरों में तीव्र और अनियोजित विकास से शहरी योजनाकारों के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।
  - शहरों का अनियमित तरीके से विस्तार होने से शहरी विस्तार के साथ पर्यावरण क्षरण में वृद्धि हुई है।
  - एक समय 'गार्डन सिटी' के नाम से मशहूर बंगलूरु का हरित आवरण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है।
- **लोक स्वास्थ्य निहितार्थ:** बड़े शहरों में घनी आबादी के साथ अपर्याप्त स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सेवाओं से लोक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।
  - कोविड-19 महामारी से इन मुद्दों पर अधिक ध्यान गया है।
  - इसके अलावा, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण एक व्यापक स्वास्थ्य चिंता बन गया है, जहाँ शहर की वायु गुणवत्ता अक्सर खतरनाक स्तर तक पहुँच जाती है।

निष्कर्ष:

भारत के महानगरों के संदर्भ में आंतरिक प्रवास एक दोधारी तलवार की तरह रहा है। इससे संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिये बेहतर शहरी नियोजन एवं समावेशी नीतियों के साथ इससे संबंधित बेहतर डेटा संग्रह की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटीज़ मिशन, AMRUT और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जैसी पहलों का उद्देश्य अनुकूल एवं समावेशी शहरों का निर्माण करना है, जिससे सभी के लिये विकास एवं अवसर सुनिश्चित हो सकें।

प्रश्न : जनसंख्या भूगोल के संदर्भ में वहन क्षमता की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- वहन क्षमता को परिभाषित कीजिये।
- वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार कीजिये।
- जनसंख्या भूगोल में वहन क्षमता के अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

वहन क्षमता, जनसंख्या भूगोल की मौलिक अवधारणा है, जिसका तात्पर्य उस अधिकतम जनसंख्या आकार से है जिसे भोजन, आवास, जल और अन्य उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है।

मुख्य भाग:

वहन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक:

- **संसाधन उपलब्धता:** भोजन, जल और ऊर्जा तक पहुँच से वहन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। प्रचुर संसाधनों वाले क्षेत्र में अधिक आबादी का भरण-पोषण हो सकता है।
  - गंगा नदी प्रणाली इसका एक प्रमुख उदाहरण है।
    - इसके अलावा, मिस्र में नील नदी घाटी अपने प्रचुर जल संसाधनों के कारण आस-पास के रेगिस्तान की तुलना में अधिक आबादी का भरण-पोषण करने में सक्षम है।
- **तकनीकी प्रगति:** तकनीकी नवाचार से संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा मिलने से वहन क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है।
  - 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत में हरित क्रांति से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई।
- **सामाजिक संरचना और उपभोग प्रतिरूप:** जीवनशैली विकल्प, उपभोग प्रतिरूप और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं से संसाधन उपयोग के साथ वहन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।
  - जापान में सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग होने एवं संधारणीय उपभोग प्रथाओं को महत्त्व देने से काफी अधिक लोगों का भरण-पोषण हो पाता है।
- **पर्यावरणीय कारक:** जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ और भूमि क्षरण से किसी क्षेत्र की वहन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- जलवायु परिवर्तन से अफ्रीका के साहेल क्षेत्र की वहन क्षमता सीमित हुई है।

जनसंख्या भूगोल में वहन क्षमता के अनुप्रयोग:

- **जनसंख्या अनुमान और योजना:**
  - **जनसंख्या वृद्धि के निहितार्थ:** वहन क्षमता का अनुमान लगाकर जनसांख्यिकीविद भविष्य की जनसंख्या प्रवृत्तियों एवं संसाधन उपभोग तथा पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में उसके निहितार्थों का अनुमान लगा सकते हैं।
  - **शहरी नियोजन:** इससे भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को समायोजित करने के क्रम में बुनियादी ढाँचे, आवास और सेवाओं के नियोजन में मदद मिल सकती है।
  - **प्रवास संबंधी अध्ययन:** इससे प्रवास प्रतिरूप एवं स्रोत और गंतव्य क्षेत्रों पर उसके प्रभाव को समझने में मदद मिल सकती है।
- **संसाधन प्रबंधन एवं संरक्षण:**
  - **संसाधनों का सतत् उपयोग:** इससे प्राकृतिक पूंजी को सीमित किये बिना संसाधन निष्कर्षण के इष्टतम स्तर को निर्धारित करने में मदद मिलती है।
  - **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन:** यह मानवीय गतिविधियों के संदर्भ में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन हेतु महत्त्वपूर्ण है।
  - **कृषि नियोजन:** कृषि भूमि की वहन क्षमता के निर्धारण से फसल उत्पादन को अनुकूलित करने के साथ भूमि क्षरण को रोकने में मदद मिलती है।
- **आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया:**
  - **भेद्यता आकलन:** प्राकृतिक खतरों जैसे कारकों के प्रति सीमित वहन क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान से आपदा तैयारी योजना में मदद मिल सकती है।
  - **जनसंख्या स्थानांतरण:** आपदाओं के मामले में अप्रभावित क्षेत्रों की वहन क्षमता को समझना, जनसंख्या स्थानांतरण और पुनर्वास में सहायता कर सकता है।
- **नीति-निर्माण और शासन:**
  - **जनसंख्या नीतियाँ:** इससे परिवार नियोजन कार्यक्रम एवं प्रोत्साहन जैसी जनसंख्या नीतियों के विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है।
  - **भूमि उपयोग नियोजन:** विभिन्न भूमि उपयोग प्रकारों की वहन क्षमता का आकलन, भूमि उपयोग प्रतिरूप को अनुकूलित करने में मदद करता है।
  - **पर्यावरणीय विनियम:** प्रभावी पर्यावरणीय विनियम और मानक विकसित करने के लिये वहन क्षमता पर विचार करना आवश्यक है।
- **संघर्ष की रोकथाम और प्रबंधन:**
  - **संसाधन की कमी:** जनसंख्या वृद्धि, संसाधन की कमी और संघर्ष के बीच संबंधों को समझने से संघर्ष की रोकथाम एवं प्रबंधन में मदद मिल सकती है।
  - **शरणार्थी संकट:** शरणार्थियों को शरण देने वाले देशों की वहन क्षमता का आकलन, पर्याप्त मानवीय सहायता प्रदान करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **वैश्विक स्थिरता:**
  - **पारिस्थितिकी फुटप्रिंट:** इससे ग्रह के संसाधनों पर मानव दबाव को मापा जाता है।
  - **सतत् विकास लक्ष्य:** वहन क्षमता को समझना, सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और अनियोजित शहरीकरण जैसी वैश्विक चुनौतियों के आलोक में वहन क्षमता संबंधी सिद्धांतों को समझना तथा लागू करना महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। हालाँकि यह पहचानना आवश्यक है कि वहन क्षमता एक निश्चित सीमा नहीं है बल्कि यह तकनीकी नवाचार, सामाजिक-आर्थिक कारकों और नीतिगत निर्णयों से प्रभावित एक गतिशील अवधारणा है।

संस्कृति

प्रश्न. "कला के लिये कला" बनाम "सामाजिक परिवर्तन के लिये कला।" समकालीन भारतीय कला के संदर्भ में इस विमर्श पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- ''कला के लिये कला'' और ''सामाजिक परिवर्तन के लिये कला'' को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- समकालीन भारतीय कला रूप में ''कला के लिये कला'' की अवधारणा और प्रासंगिकता पर गहराई से चर्चा कीजिये।
- समकालीन भारतीय कला रूप में 'सामाजिक परिवर्तन के लिये कला' की अवधारणा और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिये।
- संतुलन के साथ निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

- **"कला के लिये कला" और "सामाजिक परिवर्तन के लिये कला"** के बीच गतिशील अंतर्क्रिया कला जगत में एक महत्त्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है, जबकि कला के लिये कला सौंदर्य मूल्य तथा कलात्मक अभिव्यक्ति पर ज़ोर देता है, **'सामाजिक परिवर्तन के लिये कला'** कला को सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने एवं कार्रवाई को प्रेरित करने के माध्यम के रूप में प्रदर्शित है।
  - समकालीन भारतीय कला के संदर्भ में यह चर्चा अद्वितीय है, जो देश की **समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जटिल सामाजिक परिवर्तन और तेज़ी से बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य** को प्रतिबिंबित करती है।

मुख्य बिंदु:

"कला के लिये कला":

- **अवधारणा:** यह परिप्रेक्ष्य **शिक्षाप्रद, नैतिक या उपयोगितावादी कार्यों की तुलना में सौंदर्यात्मक मूल्य पर ज़ोर** देता है कि कला का सृजन और सराहना उसकी अंतर्निहित सुंदरता तथा उसके रूप के लिये की जानी चाहिये।
  - 19वीं सदी के यूरोपीय सौंदर्य आंदोलन में निहित, यह विशेष रूप से **थियोफाइल गौटियर और वाल्टर पैटर** से जुड़ा हुआ है।
  - यह दृष्टिकोण कलात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक दबावों से स्वायत्तता की वकालत करता है तथा शास्त्रीय **सौंदर्यशास्त्र में 'रस' सिद्धांत जैसी भारतीय दार्शनिक अवधारणाओं** से प्रभावित है।
- **समकालीन भारतीय कला में:**
  - **एस.एच. रजा और वी.एस. गायतोंडे** जैसे कलाकार अमूर्त रूपों तथा रंगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो तांत्रिक कला एवं भारतीय आध्यात्मिकता से प्रेरणा लेते हैं।
  - **बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप** ने शुरू में आधुनिकतावादी सौंदर्यशास्त्र पर ध्यान केंद्रित किया, जो अकादमिक यथार्थवाद से अलग होने की कोशिश कर रहा था। नसरीन मोहम्मदी चित्रकला और फोटोग्राफी, लाइन, फॉर्म पूरी तरह पारंगत थी।
- **"सामाजिक परिवर्तन के लिये कला":**
  - **अवधारणा:** यह परिप्रेक्ष्य कला को **सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित** करने के माध्यम के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य जागरूकता में वृद्धि तथा विचारों को प्रोत्साहित करना है।
  - यह कला का समाज के साथ जुड़ने के दायित्व के विश्वास पर आधारित है, यह अक्सर सामाजिक यथार्थवाद, कार्यकर्त्ता आंदोलनों और भारत के सामाजिक रूप से संलग्न कला के इतिहास से प्रेरणा ग्रहण करती है।
- **समकालीन भारतीय कला में:**
  - **सुबोध गुप्ता** जैसे कलाकार रोज़मर्रा की वस्तुओं का उपयोग उपभोक्तावाद (जैसे- **'वेरी हंग्री गॉड'**), प्रवास और वर्ग असमानताओं पर टिप्पणी करने के लिये करते हैं।
  - चित्रकार **अर्पिता सिंह** अपने जीवंत, कथा-समृद्ध कैनवस के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों को संबोधित करती हैं।
  - प्रदर्शन कलाकार **तेजल शाह** अपने बहु-विषयक अभ्यास के माध्यम से लिंग, कामुकता और पारिस्थितिकी के मुद्दों को संबोधित करती हैं।

निष्कर्ष:

"कला के लिये कला" और "सामाजिक परिवर्तन के लिये कला" के बीच गतिशील अंतर्क्रिया भारत के कला परिदृश्य को समृद्ध करती है, सौंदर्यशास्त्र को सामाजिक टिप्पणी के साथ जोड़ती है। **नलिनी मालानी** जैसे **कलाकार ऐसी कृतियाँ बनाते हैं, जो दृश्य रूप से आकर्षक एवं सामाजिक** रूप से प्रासंगिक दोनों हैं। यह निरंतर संवाद भारतीय कला की वैश्विक प्रतिध्वनि को बढ़ाता है तथा समाज में कला की भूमिका पर व्यापक योगदान देता है

प्रश्न : वेदांत और योग विचारधाराओं के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए बताइए कि इसने भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- वेदांत और योग को परिभाषित करते हुए उत्तर की शुरूआत कीजिये।
- वेदांत के मूल सिद्धांतों और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव पर गहनता से चर्चा कीजिये।
- योग के मूल सिद्धांतों और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारतीय चिंतन के दो आधारशिला दर्शन वेदांत और योग ने हज़ारों सालों से भारत के आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक ढाँचे को आकार प्रदान किया है।

नोट :

- भारत का सबसे पहला पवित्र साहित्य वेदांत, का शाब्दिक अर्थ है- 'वेदों का सार' (अथवा अंत)। यह वास्तविकता के परम तत्त्व की खोज करते हुये उसके परम स्वरूप का विवेचन करता है।
- योग, संस्कृत के "युज" (एकजुट होना) से लिया गया है, यह एक दर्शन और अभ्यास दोनों है जिसका उद्देश्य शरीर, मन तथा भावनाओं को संतुलित एवं सामंजस्य स्थापित करना है।

मुख्य भाग:

वेदांत:

वेदांत के मूल सिद्धांत

- **ब्रह्म:** अवैयक्तिक और पारलौकिक वास्तविकता
  - एकल, सर्वव्यापी दिव्य सार की अवधारणा
  - ब्रह्म सभी अस्तित्व का आधार है
- **आत्मा:** व्यक्तिगत आत्मा
  - विश्वास है कि आत्मा ब्रह्म के समान है
  - इस पहचान (आत्म-साक्षात्कार) को साकार करने का लक्ष्य
- **माया:** भौतिक दुनिया की भ्रामक प्रकृति
  - यह समझना कि भौतिक दुनिया परम वास्तविकता नहीं है
  - दुनिया की एक दिव्य लीला (लीला) के रूप में अवधारणा
- **मोक्ष:** पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति
  - वेदांत दर्शन का अंतिम लक्ष्य
  - ज्ञान, भक्ति या नि:स्वार्थ कर्म के माध्यम से प्राप्त किया गया
- **अद्वैतवाद (अद्वैत):** वेदांत के भीतर सभी वास्तविकता की एकता पर ज़ोर देता है

समाज पर प्रभाव:

- **दार्शनिक और धार्मिक विश्व दृष्टि:** वास्तविकता और स्वयं की प्रकृति के बारे में हिंदू मान्यताओं को आकार प्रदान किया गया
  - विभिन्न हिंदू विचारधाराओं के विकास को प्रभावित किया
  - सत्य के विभिन्न मार्गों के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता की अवधारणा में योगदान दिया
- **सामाजिक नैतिकता और मूल्य:** कठोर जाति भेद को चुनौती देते हुए आध्यात्मिक समानता के विचार को बढ़ावा दिया
  - समाज में नि: स्वार्थ सेवा (सेवा) और कर्त्तव्य (धर्म) पर ज़ोर दिया
  - कर्म की अवधारणा और किसी के जीवन तथा कार्यों को आकार देने में इसकी भूमिका को प्रभावित किया
- **राजनीतिक और सामाजिक सुधारवादी आंदोलन:** राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों को प्रभावित किया
  - स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचार को आकार देने में भूमिका निभाई

योग:

योग के मूल सिद्धांत

- **अष्ट-अंग मार्ग (अष्टांग योग)**
  - यम (नैतिक मानक)
  - नियम (आत्म-अनुशासन)
  - आसन (मुद्रा)
  - प्राणायाम (सांस पर नियंत्रण)
  - प्रत्याहार (इंद्रियों को वापस लेना)
  - धारणा (एकाग्रता)
  - ध्यान
  - समाधि (ईश्वर से मिलन)
- व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना से मिलन
  - इस मिलन को प्राप्त करने के साधन के रूप में योग
  - आध्यात्मिक विकास के लिये व्यावहारिका पर ज़ोर
- **मन पर नियंत्रण**
  - मन को शांत करना (चित्त वृत्ति निरोध)
  - एकाग्रता का विकास

भारतीय समाज पर प्रभाव:

- **स्वास्थ्य:** शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिये योग को एक समग्र प्रणाली के रूप में लोकप्रिय बनाया गया
  - स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी को रोकने के साधन के रूप में दैनिक जीवन में एकीकृत किया गया
- **शिक्षा और शारीरिक संस्कृति:** शारीरिक शिक्षा के हिस्से के रूप में स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया
  - शैक्षणिक संस्थानों में चरित्र निर्माण और अनुशासन के साधन के रूप में प्रचारित किया गया
- **आध्यात्मिक और धार्मिक अभ्यास:** विभिन्न भारतीय धर्मों में आध्यात्मिक विकास के लिये व्यावहारिक तकनीकें प्रदान की गईं
  - हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ध्यान प्रथाओं को प्रभावित किया
  - भारतीय आध्यात्मिकता में तपस्वी परंपराओं और प्रथाओं को आकार दिया

नोट :

- **मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन:** तनाव प्रबंधन एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के साधन के रूप में व्यापक रूप से अपनाया गया
  - कॉर्पोरेट वेलनेस कार्यक्रमों और जीवनशैली प्रबंधन में एकीकृत किया गया
- **सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय गौरव:** भारतीय सांस्कृतिक विरासत और पहचान का प्रतीक बन गया
  - भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति के हिस्से के रूप में प्रचारित किया गया
  - राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना की

निष्कर्ष:

वेदांत और योग ने आत्म-ज्ञान, नैतिक आचरण तथा परम तत्त्व की खोज पर ज़ोर देकर भारतीय समाज पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। उनकी शिक्षाएँ व्यक्तिगत एवं सामाजिक मूल्यों को प्रभावित करती रहती हैं, एक ऐसी संस्कृति को आकार प्रदान करती है, जो आत्मनिरीक्षण, कल्याण व आध्यात्मिक विकास को प्राथमिकता देती है।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-2

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

प्रश्न : एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रहे व्यापार ढाँचे के आलोक में भारत, आत्मनिर्भरता एवं घरेलू आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में अपनी भागीदारी को किस प्रकार संतुलित कर सकता है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार की गतिशीलता पर चर्चा करते हुए परिचय दीजिये।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रही व्यापार संरचना पर गहनता से विचार कीजिये।
- भागीदारी और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बनाने के लिये रणनीति सुझाएँ।
- संतुलित रूप से निष्कर्ष लिखिये।

भूमिका:

एशिया-प्रशांत क्षेत्र की व्यापार संरचना में तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसमें RCEP, CPTPP और IPEF जैसे समझौते आर्थिक संबंधों को नया आकार दे रहे हैं।

- भारत को इन उभरते क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTA) में अपनी भागीदारी को आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) और घरेलू आर्थिक विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ संतुलित करने की चुनौतीयों का सामना करना पड़ रहा है।
- इस संतुलनकारी कार्य के लिये राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए अवसरों का लाभ उठाने वाले एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकसित व्यापार संरचना:

- **मेगा-रीजनल बनाम एफटीए का उदय:** व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) जैसे बड़े, व्यापक व्यापारिक समझौते में गति देखने को मिल रही, जबकि छोटे, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर कम ध्यान दिया जा रहा है।
- **अन्य प्रावधानों पर फोकस:** आधुनिक RTA में टैरिफ कटौती से अलग अन्य प्रावधानों को तेज़ी से शामिल किया जा रहा है।
  - इसमें बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल व्यापार, पर्यावरण मानक और श्रम विनियमन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **ई-कॉमर्स और आपूर्ति शृंखला एकीकरण:** ई-कॉमर्स तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के साथ व्यापार में परिवतन आ रहा है।
  - RTA इन परिवर्तनों को संबोधित करने के लिये विकसित हो रहे हैं, जिसमें सीमा पार ई-कॉमर्स को सुव्यवस्थित करने और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला एकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- **भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार युद्ध:** बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और हालिया अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से अनिश्चितता उत्पन्न हो रही है तथा देशों को अपने व्यापार संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।
  - इससे क्षेत्र में अधिक विखंडित एवं बहुध्रुवीय व्यापार संरचना विकसित हो रही है।

भागीदारी और आत्मनिर्भरता में संतुलन हेतु रणनीतियाँ:

RTAs में रणनीतिक भागीदारी:

- **पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौतों पर ध्यान केंद्रित करना:** भारत को ऐसे RTA को प्राथमिकता देनी चाहिये, जो संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए अपने निर्यात के लिये टैरिफ में कटौती की पेशकश करते हैं।
  - उदाहरणों में उन्नत प्रौद्योगिकीय बाज़ारों तक पहुँच के बदले कृषि उत्पादों के लिये उचित शर्तों पर चर्चा करना शामिल है।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये RTAs का लाभ उठाना:** प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की शर्तों के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिये RTA का उपयोग करना।
  - इससे घरेलू उद्योगों को उन्नत बनाने और उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकी के लिये आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।
  - उदाहरण के लिये संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ भारत का हालिया मुक्त व्यापार समझौता (FTA) कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में ज्ञान-साझाकरण पर केंद्रित है।

नोट :

- **उत्पत्ति के नियमों को मज़बूत करना:** RTA के भीतर "उत्पत्ति के नियमों" को और अधिक सख्त बनाने पर चर्चा की जानी चाहिये। ये नियम परिभाषित करते हैं कि कोई उत्पाद वास्तव में "कहाँ बनाया गया है" ताकि देशों को केवल वस्तु का पुन: निर्यात करने तथा घरेलू विनिर्माण विकास को दरकिनार करने से रोका जा सके।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर ध्यान देना:** RTA को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में MSME को एकीकृत करने के लिये डिज़ाइन किया जाना चाहिये।
  - यह लक्ष्य छोटे व्यवसायों के लिये व्यापार सुविधा और क्षमता निर्माण पर समर्पित अध्यायों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देना:

- **बुनियादी संरचना और कौशल विकास में निवेश:** लेन-देन की लागत को कम करने और निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये बुनियादी संरचना के विकास (लॉजिस्टिक्स, विद्युत्, डिजिटल कनेक्टिविटी) पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
  - इसके अतिरिक्त, वैश्विक व्यापार की मांगों के लिये सुसज्जित कार्यबल तैयार करने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करने की आवश्यकता है।
    - "कौशल भारत" मिशन इसके लिये आधार हो सकता है।
- **आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करना:** रणनीतिक आयात प्रतिस्थापन की पहचान कर उन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
  - इसे लक्षित टैरिफ संरचनाओं और उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

घरेलू उद्योग संरक्षण के बारे में चिंताओं के कारण वर्ष 2019 में RCEP से बाहर निकलने का भारत का निर्णय "पहले भारत (India First)" के रुख को दर्शाता है। यह BIMSTEC और SAARC जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए भी आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देता है। यह चुनिंदा भारत को अपने आर्थिक हितों से समझौता किये बिना रणनीतिक साझेदारी और लाभकारी व्यापार सौदों की तलाश करने की अनुमति देता है।

प्रश्न : भारत-फ्राँस संबंधों के महत्त्व तथा संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इनके बीच सहयोग बढ़ाने हेतु उपाय बताइए। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत-फ्राँस संबंधों के हालिया विकास का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- भारत-फ्राँस संबंधों में महत्त्व और बाधाओं पर चर्चा कीजिये।
- उनके सहयोग को बढ़ाने के उपाय सुझाएँ।
- उचित निष्कर्ष निकालें।

परिचय:

हाल ही में पेरिस में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत और फ्राँस ने 'इंडिया-फ्राँस होराइज़न 2047 रोडमैप' हेतु 'ग्रह के लिये साझेदारी' (Partnership for the Planet) को महत्त्वपूर्ण बताया तथा जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर परस्पर बढ़ते सहयोग को उजागर किया।

मुख्य भाग:

भारत-फ्राँस संबंधों का महत्त्व:

- **हिंद-प्रशांत सुरक्षा:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने और इस क्षेत्र में चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने में भारत के लिये फ्राँस का समर्थन महत्त्वपूर्ण है। हिंद महासागर सहयोग के लिये भारत-फ्राँस संयुक्त रणनीतिक विज़न (2018) से इसकी पुष्टि होती है।
- **पारस्परिक रणनीतिक स्वायत्तता:** यह संबंध अद्वितीय रूप से संतुलित है, जो फ्राँस में एंग्लो-सैक्सन प्रभाव और भारत में पश्चिम-विरोधी भावनाओं से मुक्त है। इसके अलावा, मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद जब भारत ने स्वयं को परमाणु-हथियार संपन्न देश घोषित किया तो फ्राँस भारत के साथ बातचीत शुरू करने वाला पहला प्रमुख देश था।
- **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रवेश के लिये समर्थन:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) जैसी प्रमुख संस्थाओं में शामिल होने की भारत की आकांक्षाओं के लिये फ्राँस का समर्थन महत्त्वपूर्ण है।
- **वैश्विक शक्ति संतुलन:** भारत-फ्राँस साझेदारी यूरोप में रूसी प्रभाव और एशिया में चीनी प्रभाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा वैश्विक स्थिरता एवं संतुलित विश्व व्यवस्था में योगदान देती है।

नोट :

- **रक्षा सहयोग:** प्रबल रणनीतिक साझेदारी एवं सहयोग के माध्यम से फ्राँस भारत के रक्षा क्षेत्र के लिये व्यापक महत्त्व रखता है। फ्राँस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के साथ ही फ्राँस और भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग में संलग्न हैं।
- **भविष्योन्मुखी सहयोग:** होराइज़न 2047 समझौता द्विपक्षीय सहयोग के लिये 25 वर्ष का रोडमैप प्रस्तुत करता है। यह सुपरकंप्यूटिंग, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों में सहयोग पर बल देता है, जो भारत के भविष्य के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत-फ्राँस संबंधों से संबंधित विभिन्न चुनौतियाँ:

आर्थिक सीमाएँ:

- मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का अभाव गहरे आर्थिक संबंधों में बाधा उत्पन्न करता है तथा भारत-यूरोपीय संघ व्यापक व्यापार एवं निवेश समझौते (India-EU Broad-based Trade and Investment Agreement- BTIA) पर प्रगति रुक गई है, जिससे आगे और आर्थिक एकीकरण की संभावना सीमित हो गई है।

व्यापार और बौद्धिक संपदा संबंधी मुद्दे:

- व्यापार असंतुलन फ्राँस के पक्ष में झुका हुआ है, जहाँ भारत को अधिक निर्यात किया जाता है। इसके अलावा, फ्राँस ने भारत में फ्राँसीसी व्यवसायों के लिये बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्राय: अपर्याप्त संरक्षण के बारे में चिंता व्यक्त की है।
  - कुछ वार्तागत परियोजनाओं को परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे- जैतापुर परमाणु परियोजना।

भिन्न भू-राजनीतिक रुख:

- वैश्विक मुद्दों पर दोनों देश के दृष्टिकोण भिन्न हैं। उदाहरण के लिये, फ्राँस ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की मुखर आलोचना की है, जबकि भारत ने अधिक तटस्थ रुख बनाए रखा है।

भारत-फ्राँस संबंधों में गति लाने हेतु आवश्यक कदम:

आर्थिक सहभागिता:

- फ्राँस को यूरोपीय संघ के भीतर एक प्रमुख समर्थक के रूप में शामिल करते हुए भारत-यूरोपीय संघ BTIA पर वार्ता में गति लाई जाए। एक अंतरिम उपाय के रूप में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी समझौते की संभावना तलाश की जाए। इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च (CEFIPRA) जैसे मॉडल का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।
  - जापान-भारत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।

व्यापार और बौद्धिक संपदा पर वार्ता:

- IP संरक्षण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की जाए। क्षेत्र-विशिष्ट व्यापार सुविधा तंत्रों का निर्माण किया जाए।
  - तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिये निजी क्षेत्र विशेषज्ञता को संलग्न किया जाए। राफेल जेट सौदे की सफलता से पुष्टि होती है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति बाधाओं को दूर कर सकती है।

भू-राजनीतिक स्थितियों का प्रबंधन:

- वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोणों को संरेखित करने तथा भारत-प्रशांत सुरक्षा जैसे पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर सहयोग करने के लिये रणनीतिक वार्ताओं को बढ़ाना।
  - भारत-फ्राँस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय पहल समन्वित हितों की क्षमता को प्रदर्शित करती है।

उभरते वैश्विक तनावों पर विचार:

- खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त रणनीतिक आकलन को बढ़ावा देना, तथा संयुक्त संकट प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) ढाँचे का विस्तार करके विशिष्ट क्षेत्रों में फ्राँस को शामिल किया जा सकता है।
  - मानवीय सहायता और संघर्ष समाधान पहल पर सहयोग करना।
- चीन की आक्रामकता के खिलाफ हिंद महासागर में नौसैनिक सहयोग को मज़बूत करना।
- उदाहरण: वरुण जैसे संयुक्त नौसैनिक अभ्यासों का विस्तार कर अन्य क्षेत्रीय साझेदारों को भी इसमें शामिल करना।

निष्कर्ष:

वैश्विक गतिशीलता में बदलाव के साथ, भारत-फ्राँस साझेदारी एक संतुलित और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये तैयार है। अपनी पूरक शक्तियों का लाभ उठाकर और मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके, भारत और फ्राँस अपनी साझेदारी को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकते हैं, जिससे न केवल दोनों देशों को लाभ होगा बल्कि वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि में भी योगदान मिलेगा।

नोट :

प्रश्न : वैश्विक दक्षिण में भारत की भूमिका का परीक्षण कर दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मज़बूत करने की संभावनाओं एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- ग्लोबल साउथ में भारत की विशिष्ट स्थिति का परिचय दीजिये।
- ग्लोबल साउथ में भारत के अग्रणी बनने के लिये प्रेरित करने वाले कारकों पर गहनता से विचार कीजिये।
- इससे जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए इस संबंध में भारत के पास मौजूद अवसरों का उल्लेख कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ग्लोबल साउथ में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इसकी भूमिका प्रारंभ में एक प्राप्तकर्त्ता से लेकर वर्तमान में साउथ-साउथ सहयोग में एक प्रमुख अग्रणी के रूप में स्थापित होने तक विकसित हुई है।

- यह परिवर्तन विकासशील देशों के बीच एकजुटता, इसकी आर्थिक प्रगति और अधिक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था के लिये इसकी आकांक्षाओं के प्रति भारत की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता में निहित है।

मुख्य भाग:

ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका:

- **नेतृत्व और समर्थन:** भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों के लिये एक प्रमुख नेतृत्वकर्त्ता है, जो जलवायु कार्रवाई और संसाधनों तक समान अभिगम का समर्थन करता है।
  - यह संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, IMF और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के सुधार के लिये सक्रिय रूप से प्रयास करता है।
  - अफ्रीकी संघ वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान G-20 का पूर्ण सदस्य बन गया, जिसका विषय "One Earth, One Family, One Future." अर्थात् 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' है।
  - भारत संयुक्त राष्ट्र में साउथ-साउथ सहयोग का भी समर्थन करता है, जिसे वर्ष 2017 में भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष की स्थापना द्वारा उजागर किया गया है।
- **विकास साझेदारी:** भारत का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम IT, ग्रामीण विकास, संसदीय मामलों तथा अन्य क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से 160 से अधिक भागीदार देशों को लाभान्वित करता है।
  - इसने अफ्रीका और एशिया में बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं के लिये 30 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की ऋण सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें भूटान में पारे जलविद्युत संयंत्र (Pare Hydroelectric Plant) जैसी उल्लेखनीय परियोजनाएँ शामिल हैं।
  - भारत परियोजना-विशिष्ट सहायता भी प्रदान करता है, जैसे कि तेल रिफाइनरी निर्माण के लिये मंगोलिया को 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता।
- **मानवीय सहायता और आपदा राहत:** भारत मानवीय सहायता और आपदा राहत में सक्रिय रहा है, जैसा कि वैक्सीन मैत्री पहल द्वारा प्रदर्शित किया गया है।
  - भारत ने वर्ष 2023 में तुर्की और सीरिया में भूकंप राहत के लिये ऑपरेशन दोस्त भी चलाया तथा तुरंत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों को तैनात किया।
  - चक्रवात राहत प्रयासों में वर्ष 2019 में चक्रवात ईदाई के बाद मोज़ाम्बिक में ऑपरेशन सहायता शामिल है।
- **आर्थिक सहयोग और व्यापार सुविधा:** भारत ग्लोबल साउथ के भीतर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है, पूरकताओं एवं पारस्परिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - जापान के साथ साझेदारी में एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है और सतत् विकास को बढ़ावा देता है।
  - दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के भीतर, भारत SAARC खाद्य बैंक और SAARC बीज बैंक जैसी पहलों का समर्थन करता है।

साउथ-साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने में चुनौतियाँ

- **विविध हित:** ग्लोबल साउथ विभिन्न राष्ट्रों का एक समूह है जिसकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियाँ विविध हैं।
  - सहयोग के लिये उनके हितों और प्राथमिकताओं को संरेखित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **राजनीतिक अस्थिरता और शासन संबंधी मुद्दे:** दीर्घकालिक सहयोग को प्रभावित करने वाले लगातार शासन परिवर्तन
  - **उदाहरण:** नाइजर में हाल ही में हुए तख्तापलट ने क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित किया

नोट :

- **संसाधन की कमी:** कई ग्लोबल साउथ देशों को संसाधन की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे साउथ-साउथ सहयोग में प्रभावी रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **ग्लोबल नॉर्थ पर निर्भरता:** ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाएँ अभी भी ग्लोबल नॉर्थ पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे पारंपरिक विकास भागीदारों पर निर्भरता कम करना मुश्किल हो जाता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, विशेष रूप से कनेक्टिविटी और डिजिटल क्षेत्रों में प्रभावी साउथ-साउथ सहयोग में बाधा डालता है।
- **संस्थागत तंत्रों का अभाव:** साउथ-साउथ सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये मज़बूत संस्थागत ढाँचे अभी भी विकास के अधीन हैं।

साउथ-साउथ सहयोग को मज़बूत करने के अवसर

- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और डिजिटल सहयोग:** भारत अपनी तकनीकी प्रक्रिया को ग्लोबल साउथ के साथ साझा कर सकता है।
  - इसमें UPI, Aadhaar और CoWIN जैसी डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ शामिल हैं।
  - देश AI, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग पर संयुक्त अनुसंधान के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करता है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन और पर्यावरण सहयोग:** भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन में प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है।
  - भारत सतत् विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं को भी साझा कर सकता है, जैसे कि LED बल्ब वितरण कार्यक्रम (UJALA)।
- **स्वास्थ्य सहयोग और फार्मास्युटिकल सहयोग:** स्वास्थ्य सहयोग में भारत भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान मंच के माध्यम से उष्णकटिबंधीय और उपेक्षित रोग-उपचार पर संयुक्त अनुसंधान में संलग्न हो सकता है।
  - भारत अपनी टेलीमेडिसिन और ई-स्वास्थ्य पहलों, जैसे ई-संजीवनी को भी साझा कर सकता है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सॉफ्ट पावर प्रक्षेपण:** भारत प्रवासी युवाओं के लिये 'नो इंडिया प्रोग्राम' जैसी पहलों के माध्यम से लोगों के बीच संपर्क एवं सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष:

भारत साउथ-साउथ सहयोग में एक महत्त्वपूर्ण नेतृत्वकर्त्ता हो सकता है। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जैसे मंच बेहतर सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं, चुनौतियों पर नियंत्रण पा सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार होगा तथा पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ होगा।

प्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में "शार्प पॉवर" की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। यह सॉफ्ट और हार्ड पॉवर से किस प्रकार भिन्न है? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- पॉवर की अवधारणा कैसे विकसित हुई, इसका उल्लेख करते हुए उत्तर लिखिये।
- हार्ड, सॉफ्ट और शार्प पॉवर में अंतर बताइये।
- शार्प पॉवर की प्रकृति पर प्रकाश डालिये।
- इसके निहितार्थों पर गहराई से विचार कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पॉवर की अवधारणा समय के साथ विकसित हुई है। परंपरागत रूप से **हार्ड और सॉफ्ट पॉवर** राज्यों द्वारा दूसरों को प्रभावित करने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले प्राथमिक उपकरण थे।

- हालाँकि **सूचना युग** (Information Age) के आगमन से **पॉवर का एक नया रूप सामने आया है:** शार्प पॉवर।

मुख्य भाग:

हार्ड, सॉफ्ट और शार्प पॉवर:

- **हार्ड पॉवर** वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये बल प्रयोग, धमकी या सैन्य बल पर निर्भर करता है। यह **कूटनीति के लिये पारंपरिक "स्टिक" दृष्टिकोण** है।
- **सॉफ्ट पॉवर** दूसरों पर **बल प्रयोग** के बजाय **धारणा** के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता है। यह प्राय: **संस्कृति, कूटनीति और विदेशी सहायता** से जुड़ा होता है।
- **शार्प पॉवर** का एक **गुप्त रूप है**, जो **लोकतांत्रिक संस्थानों को कमज़ोर करने के साथ-साथ जनमत में हेरफेर** करता है और गलत सूचना के माध्यम से वातावरण को **आकार देने का प्रयास करता** है। यह प्राय: **सत्तावादी शासन** से जुड़ा होता है।

शार्प पॉवर की प्रकृति:

- **दुष्प्रचार:** जानबूझकर जनता की राय को प्रभावित करने के लिये गलत या भ्रामक जानकारी फैलाना।

नोट :

- **मीडिया नियंत्रण:** स्वतंत्र मीडिया को दबाना और राज्य के स्वामित्व वाले आउटलेट के माध्यम से आख्यानों (Narrative) को नियंत्रित करना।
- **साइबर हमले:** महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को लक्षित करना और लाभ प्राप्त करने के लिये संवेदनशील जानकारी चुराना।
- **प्रभावी संचालन:** राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिये राजनीतिक दलों या आंदोलनों का गुप्त रूप से समर्थन करना।

शार्प पॉवर का हालिया उदाहरण:

- **चीन के कन्फ्यूशियस संस्थान:** सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र हैं, लेकिन इन पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने तथा संवेदनशील विषयों को सेंसर करने का आरोप है।
  - **अमेरिका** सहित कई देशों ने इन संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **रूसी दुष्प्रचार अभियान:** सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ष 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप।
- **सऊदी अरब द्वारा स्पाइवेयर का उपयोग:** असंतुष्टों और पत्रकारों की निगरानी के लिये **पेगासस सॉफ्टवेयर** का उपयोग।
  - जमाल खशोगी (Jamal Khashoggi) की हत्या में कथित संलिप्तता।

शार्प पॉवर के निहितार्थ:

- **लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण:** गलत सूचना अभियानों के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमज़ोर करना
  - लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं में जनता का भरोसा कमज़ोर करना
  - **उदाहरण:** वर्ष 2016 के अमेरिकी चुनावों में रूसी हस्तक्षेप
- **सार्वजनिक चर्चा की विकृति:** झूठी कहानियाँ फैलाने के लिये सोशल मीडिया एल्गोरिदम का हस्तक्षेप।
  - प्रतिध्वनि कक्षों का निर्माण और सामाजिक ध्रुवीकरण
  - **उदाहरण:** वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन चर्चाओं को प्रभावित करने के लिये **चीन द्वारा "50 सेंट आर्मी" का उपयोग**
- **तकनीकी कमज़ोरियाँ:** संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिये साइबर सुरक्षा कमज़ोरियों का फायदा उठाना
  - **AI और डीप फेक** का इस्तेमाल करके झूठी कहानियाँ गढ़ना
  - **उदाहरण:** सऊदी अरब द्वारा स्पाइवेयर का कथित इस्तेमाल और जमाल खशोगी की हत्या में शामिल होना
- **अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का नया स्वरूप:** शार्प पॉवर के खतरों का सामना करने के लिये नवीन संधियों का गठन
  - शार्प पॉवर के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर मौजूदा संधियों का पुनर्मूल्यांकन

निष्कर्ष:

शार्प पॉवर के आगमन ने भू-राजनीतिक परिदृश्य को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया है। इसकी **कपटपूर्ण प्रकृति (Insidious Nature)** लोकतांत्रिक मानदंडों और मूल्यों के लिये एक कठिन चुनौती पेश करती है। इसका सामना करने के लिये न केवल सुदृढ़ रक्षा तंत्र आवश्यक हैं, बल्कि **लोकतांत्रिक लचीलापन, मीडिया साक्षरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक सक्रिय रणनीति भी आवश्यक** है।

राजव्यवस्था

प्रश्न : पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण सहभागी लोकतंत्र और ज़मीनी स्तर पर विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- 73वें संशोधन का उल्लेख करते हुए उत्तर का परिचय दीजिये।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभों पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता के प्रभावी विकेंद्रीकरण में आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालिये।
- सकारात्मक रूप से उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

पंचायती राज संस्थाएँ ज़मीनी स्तर पर शासन पर बढ़ते दबाव के फलस्वरूप अस्तित्व में आई हैं। **ग्रामीण शासन के आधार के रूप में कार्य करते** हुए, इन संस्थाओं में सक्रिय रूप से नागरिको की सहभागिता को बढ़ावा देकर और विकास संबंधी कार्यों को बढ़ाकर लोकतंत्र को बदलने की अपार क्षमता है।

मुख्य बिंदु:

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभ:

- **सशक्तीकरण और सहभागिता:** पंचायती राज संस्थाएँ स्थानीय समुदायों के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय की प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिये एक मंच प्रदान करती हैं।
  - इससे स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे समावेशी विकास में वृद्धि होती है।

नोट :

- **आवश्यकता-आधारित विकास योजना:** पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की गहरी समझ होती है।
  - यह **स्वच्छता, जलापूर्ति, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना** जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिये संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकती हैं।
  - महाराष्ट्र का **हिवरे बाज़ार गाँव** को प्रभावी आवश्यकता-आधारित योजना के माध्यम से सूखा-ग्रस्त क्षेत्र से सतत् विकास के मॉडल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है ।
- **बेहतर सेवा वितरण**: विकेंद्रीकरण शासन से लोगों में सहभागिता बढ़ती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर निगरानी तथा बेहतर सेवा वितरण की सुविधा प्राप्त होती है।
- **महिला सशक्तीकरण:** महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों वाली पंचायती राज संस्थाएँ महिलाओं के नेतृत्व और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिये एक मंच प्रदान करती हैं।
  - इससे विकास के प्रति अधिक **लैंगिक-समावेशी दृष्टिकोण** अपनाया जा सकता है।
  - **एमबीए की डिग्री प्राप्त** भारत की सबसे युवा सरपंच **छवि राजावत** जैसे नेताओं का पंचायती राज संस्थाएँ में शामिल होना महिला सशक्तीकरण तथा निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देता हैं।

सत्ता के प्रभावी विकेंद्रीकरण में बाधाएँ:

- **कार्यों का अपर्याप्त हस्तांतरण:** कई राज्यों द्वारा संविधान की **11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 कार्यों** को पंचायती राज संस्थाओं को पूर्ण रूप से हस्तांतरित नहीं किया गया है।
  - इससे स्थानीय स्तर पर प्राधिकरण और निर्णय लेने की शक्ति का दायरा सीमित हो जाता है।
- **वित्तीय बाधाएँ:** पंचायती राज संस्थाओं के पास अक्सर अपने कार्यों का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से करने के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। उन्हें करों के माध्यम से अपने राजस्व का **केवल 1% ही वित्त** प्राप्त होता हैं।
- इससे केंद्र और राज्य सरकार के हस्तांतरण पर अत्यधिक निर्भरता का संकेत मिलता है।
- **कौशल और ज्ञान का अभाव:** पंचायती राज संस्थाओं में कई निर्वाचित प्रतिनिधियों में प्रभावी शासन के लिये आवश्यक कौशल और ज्ञान का अभाव है।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि **उत्तर प्रदेश में 50% से अधिक** निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने पद पर रहने के एक वर्ष बाद भी कोई प्रशिक्षण नहीं मिला।
- अनियमित चुनाव: कुछ राज्य नियमित रूप से पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराने में विफल रहते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमज़ोर होती है। इससे स्थानीय शासन और प्रतिनिधित्व में अंतर पैदा होता है।
- **लैंगिक अंतर:** आरक्षण के बावजूद, **'प्रधान-पति' संस्कृति** के प्रचलन के कारण पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी में कमी बनी हुई है। यह स्थानीय शासन में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने में बाधा डालता है।
- **विशेष प्रयोजन वाहन:** विशेष प्रयोजन वाहन, जिन्हें अक्सर केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है, स्थानीय स्तर पर विकास संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को महत्त्व नही दिया जाता है।
  - इस संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कम अधिकार दिये गए हैं।

आगे की राह:

- **कार्यात्मक सीमांकन और राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देना:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक **सरकारी स्तर के लिये कार्यों का स्पष्ट रूप से सीमांकन स्थापित** करना।
  - स्थानीय स्तर पर **प्रभावी वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा** देने के लिये जवाबदेही के साथ वास्तविक राजकोषीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना।
  - **सेवा वितरण दक्षता में सुधार** के लिये सार्वजनिक या निजी एजेंसियों को **विशिष्ट कार्यों की आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित** करना।
- **वित्तीय संसाधनों और प्रबंधन को मज़बूत करना:** ग्रामीण स्थानीय निकायों के **ORS पर विशेषज्ञ समिति** की रिपोर्ट के अनुसार **संपत्ति कर और उपयोगकर्त्ता शुल्क** जैसे स्वयं के राजस्व पर ध्यान केंद्रित करना।
  - पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अधिकारियों को वित्तीय एवं संसाधन के प्रबंधन हेतु व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - स्थानीय विकास से संबंधित पहलों का समर्थन करने के लिये उच्च सरकारी स्तरों से समय पर और पर्याप्त धन हस्तांतरण सुनिश्चित करें।

नोट :

- **बुनियादी अवसंरचनाओं का विकास: शासन, प्रशासन और विकास संबंधी योजना** पर पीआरआई सदस्यों के लिये व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित तथा कार्यान्वित करना।
  - पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिये डिजिटल बुनियादी अवसंरचना में सुधार तथा ई-गवर्नेंस पहलों को लागू करना।
  - उचित कामकाज और सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये पंचायत के कार्यालयों को मज़बूत करना।
- **सहभागी और समावेशी शासन को बढ़ावा देना:** ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिये नियमित और समय पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सुनिश्चित करना।
  - **सहभागितापूर्ण निर्णय लेने और सामुदायिक सहभागिता** के लिये **ग्राम सभाओं** को मंच के रूप में मज़बूत बनाना।
  - स्थानीय आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिये सहभागितापूर्ण नियोजन और बजट संबंधी प्रक्रियाओं को लागू करना।

निष्कर्ष:

पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत बनाकर तथा अन्य विकासात्मक संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, ज़मीनी स्तर पर **लोकतंत्र की वास्तविक भावना** तथा सभी के लिये जीवंत, समतापूर्ण भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

प्रश्न : राजनीतिक अस्थिरता को रोकने तथा दलीय अनुशासन को बढ़ावा देने में दल-बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता का आकलन कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- दल-बदल विरोधी कानून का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- राजनीतिक अस्थिरता को रोकने और दलीय अनुशासन को बढ़ावा देने में दल-बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये।
- दल-बदल विरोधी कानून की सीमाओं पर गहराई से विचार कीजिये।
- सकारात्मक रूप से निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

संविधान की दसवीं अनुसूची में उल्लिखित दल-बदल विरोधी कानून, विधायकों द्वारा बार-बार दल (पार्टी) बदलने (जिसे आमतौर पर आया राम, गया राम की राजनीति कहा जाता है) को नियंत्रित करने के लिये लाया गया था।

52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, यह विधेयक निर्वाचित विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिये आवश्यक है, यदि वे स्वेच्छा से दल बदलते हैं या अपने दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करते हैं।

मुख्य बिंदु:

दल-बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता:

राजनीतिक अस्थिरता को रोकने में प्रभावशीलता:

- **सदन में बहुमत खोने की दर में कमी:** दल-बदल विरोधी कानून से पहले, विधायकों द्वारा बार-बार दल बदलने से सरकारें गिर जाती थीं, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता पैदा होती थी।
  - दल-बदल विरोधी कानून से निसंदेह तात्कालिक राजनीतिक लाभ से प्रेरित दल-बदल गतिविधियाँ कम हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप:
- **सरकार का स्थायित्त्व :** विशेष रूप से राज्य स्तर पर, जहाँ गठबंधन सरकारें अधिक आम हैं, दल-बदल विरोधी कानून से दल-बदल जैसी गतिविधियाँ हतोत्साहित हुई है, विशेष रूप से राज्य स्तर पर जहाँ गठबंधन सरकारें अधिक आम हैं, जो सरकारें आसानी से गिर जाती थी।
  - इससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन हेतु अनुकूल एक अधिक स्थिर राजनीतिक परिवेश को बढ़ावा मिलता है।
- **मज़बूत गठबंधन:** दल-बदल को हतोत्साहित करके, दल-बदल विरोधी कानून अधिक मज़बूत गठबंधन के गठन को प्रोत्साहित करता है।
  - दलों को पूरे कार्यकाल के लिये एक साथ कार्य करने हेतु अधिक प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि दल-बदल से अयोग्यता और सत्ता का संभावित नुकसान होता है।
  - स्थिर गठबंधन दल-बदल को रोकने के लिये अल्पकालिक राजनीतिक पैंतरेबाज़ी के बजाय दीर्घकालिक नीति लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

दल अनुशासन को बढ़ावा देने में प्रभावशीलता:

- **निष्ठापूर्ण आचरण:** अयोग्य ठहराए जाने का खतरा विधायकों को महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अपने दल के नेतृत्व के विरुद्ध खुलेआम विद्रोह करने से रोकता है। इससे दलों के भीतर अनुशासन की भावना बढ़ती है:
- **एकीकृत सार्वजनिक छवि:** दल-बदल विरोधी कानून दलों के भीतर सार्वजनिक असहमति को हतोत्साहित करता है, जिससे मतदाताओं के सामने एकीकृत छवि पेश होती है।

नोट :

- **व्हिपिंग मैकेनिज़्म:** दलों के विधायकों पर अपने व्हिप (मतदान निर्देश) को लागू करने के लिये ADL का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में कर सकती हैं।
  - इससे महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर अधिक एकता सुनिश्चित होती है, विशेषकर तब जब सरकार का बहुमत कम हो।
- **'हॉर्स ट्रेडिंग' जैसी गतिविधियों को कम करना:** व्यक्तिगत रूप से विधायकों को उनके मत के बदले में व्यक्तिगत लाभ के लिये विपक्ष के साथ सौदेबाज़ी करने जैसी गतिविधियों को दल-बदल विरोधी कानून हतोत्साहित करता है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

- **पक्षपात निर्णय:** दल-बदल के मुद्दे पर निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष/सभापति के पास होता है, जो सत्तारूढ़ दल से हो सकता है। इससे पक्षपात और कानून के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं:
- **अयोग्यता:** ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ अध्यक्ष द्वारा कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, लेकिन उसी दल के अन्य विधायकों को नहीं या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधानसभा अध्यक्षों और संसद को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर तीन महीने की अवधि के भीतर अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेने के निर्देश के बावजूद देरी की गई (केशम मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधान सभा के माननीय अध्यक्ष और अन्य (2020))।
- **विलय बनाम दल-बदल:** कानून द्वारा विलय के संबंध में छूट प्रदान की गई है। इसका दुरुपयोग सामूहिक रूप से दल-बदल के लिये अयोग्यता को दरकिनार करने हेतु एक बचाव के रूप में किया जा सकता है।
  - **विलय की योजना बनाना:** संभावित दल-बदल का सामना कर रहे दल अयोग्यता से बचने के लिये छोटे दलों के साथ विलय कर सकते हैं, जिससे दल-बदल कानून हतोत्साहित होता है।
- **आलोचना का दमन:** अयोग्य ठहराए जाने का डर विधायकों को वास्तविक मुद्दे पर सवाल करने या दल के नेतृत्व की रचनात्मक आलोचना करने से हतोत्साहित कर सकता है।
- **आंतरिक-दल लोकतंत्र का क्षरण:** दल-बदल कानून का अत्यधिक सख्त प्रवर्तन दल के भीतर चर्चा को दबा सकता है, जिससे नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

निष्कर्ष:

भारत को द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने, दल के विलय की सख्त परिभाषाओं और दल-बदल विरोधी कानून की पूरी क्षमता को उजागर करने तथा भारत में अधिक मज़बूत राजनीतिक वातावरण विकसित करने हेतु स्वस्थ आंतरिक-दल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है।

प्रश्न : "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" का सिद्धांत भारत में हाल की नीतिगत पहलों का केंद्र रहा है। इस संदर्भ में देश ने इस दृष्टिकोण को किस हद तक अपनाया है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" को परिभाषित कर उत्तर दीजिये।
- भारत में "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" की स्थिति और प्रभावशीलता का आकलन कीजिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

"अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" का उद्देश्य रोज़मर्रा की गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना है, नागरिकों को अपने और देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिये सशक्त बनाना है।

- इस दृष्टिकोण में सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार को कम करना तथा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना शामिल है।

मुख्य भाग:

'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' की प्रभावशीलता:

- **डिजिटल शासन और ई-सेवाएँ:** डिजिटल क्रांति 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' को लागू करने में सबसे आगे रही है। वर्ष 2015 में शुरू किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम इस संबंध में महत्त्वपूर्ण रहा है।
  - **प्रभावशीलता:**
    - नियमित सेवाओं के लिये नागरिक-सरकार के बीच प्रत्यक्ष संपर्क में उल्लेखनीय कमी
    - सेवा वितरण में पारदर्शिता में वृद्धि और भ्रष्टाचार में कमी
    - सरकारी सेवाओं की बेहतर पहुँच, खास तौर पर दूर-दराज़ के इलाकों में

नोट :

- **उदाहरण:** नए युग के शासन के लिये एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन (UMANG), डिजिलॉकर (DigiLocker), जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिमूर्ति का लाभ उठाते हुए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)।
- **मूल्यांकन:** हालाँकि इन पहलों ने सेवा वितरण में प्रभावी रूप से सुधार किया है, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
  - डिजिटल साक्षरता अंतराल, विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों और वृद्ध नागरिकों के बीच
  - दूर-दराज़ के इलाकों में बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ
  - डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताएँ

- **इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार:** "न्यूनतम सरकार" का एक प्रमुख पहलू व्यवसायों के लिये विनियामक वातावरण को सरल बनाना रहा है।
  - **प्रभावशीलता:**
    - भारत की इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) व्यवसाय करने में आसानी की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार (वर्ष 2014 में 142वीं से वर्ष 2019 में 63वीं रैंकिंग तक)
    - व्यवसाय शुरू करने और संचालन के लिये समय व लागत में कमी
    - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि
  - **उदाहरण:**
    - **सिंगल विंडो क्लीयरेंस:** आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों ने प्रभावी सिंगल-विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे व्यवसायिक मंज़ूरी के लिये महीनों-हफ्तों तक लगने वाला समय कम हो गया है।
    - श्रम संहिता सुधार: 29 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में समेकित करने का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए व्यवसायों के लिये अनुपालन को सरल बनाना है।
    - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC): व्यवसायों के लिये तनावग्रस्त परिसंपत्तियों और निकास तंत्र के समाधान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
  - **मूल्यांकन:** हालाँकि प्रगति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
    - राज्यों में कार्यान्वयन अलग-अलग है, जिसके कारण असमान परिणाम सामने आए हैं।
    - छोटे और मध्यम उद्यमों को अभी भी विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
    - अनौपचारिक क्षेत्र, जो कार्यबल के एक बड़े हिस्से को रोज़गार देता है, इन सुधारों से काफी हद तक अछूता है।

- **प्रशासनिक सुधार:** सरकारी संचालन को सुव्यवस्थित करना "न्यूनतम सरकार" दृष्टिकोण के लिये महत्त्वपूर्ण रहा है।
  - **प्रभावशीलता:**
    - सरकारी विभागों में निर्णयात्मक स्तरों में कमी
    - नीति कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता
    - सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही में वृद्धि
  - **उदाहरण:**
    - **सचिवों की अधिकार प्राप्त समितियाँ:** समितियों के कई स्तरों को प्रतिस्थापित किया गया, जिससे नीति निर्माण में तेज़ी आई।
    - **लेटरल एंट्री/पार्श्विक प्रवेश:** संयुक्त सचिव स्तर पर डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करने से शासन में नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता आती है।
    - **मिशन कर्मयोगी:** सरकार-नागरिक संपर्क को बढ़ाना, जिसमें अधिकारी नागरिकों और व्यवसाय के लिये सक्षमकर्त्ता बनते हैं।
    - **फेसलेस असेसमेंट स्कीम:** कर दाता को कर कार्यालय में प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन अधिकारी से मिलने की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मूल्यांकन किया जाता है।
  - **मूल्यांकन:** हालाँकि इन सुधारों से आशाजनक परिणाम हुए हैं, लेकिन ये चिंताएँ अब भी हैं:
    - स्थापित प्रथाओं में बदलाव के लिये नौकरशाही का प्रतिरोध
    - निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जाँच और संतुलन की संभावित हानि
    - अधिक व्यापक सिविल सेवा सुधारों की आवश्यकता

- **नागरिक सशक्तीकरण और भागीदारी:** नागरिकों को सशक्त बनाना "अधिकतम शासन" का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।
  - **प्रभावशीलता:**
    - नीति-निर्माण और शासन में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि
    - सरकारी कार्यों में पारदर्शिता में वृद्धि
    - शिकायत निवारण तंत्र में सुधार
  - **उदाहरण:**
    - **MyGov प्लेटफॉर्म:** नागरिकों को विभिन्न सरकारी पहलों पर विचार और प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है।

नोट :

- **सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम:** कुछ विवादों के बावजूद, यह नागरिकों के लिये सूचना तक पहुँचने और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली साधन बना हुआ है।
- **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS):** ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो लाखों नागरिक शिकायतों का समाधान करता है, सरकार की जवाबदेही में सुधार करता है।

◆ **मूल्यांकन:** हालाँकि इन पहलों ने नागरिक सहभागिता को बढ़ाया है, लेकिन चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों में असमान जागरूकता और उपयोग
- RTI अधिनियम की प्रभावशीलता के कमज़ोर पड़ने की चिंताएँ

- **विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन:** ज़मीनी स्तर पर "अधिकतम शासन" के लिये स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना महत्त्वपूर्ण है।

◆ **प्रभावशीलता:**

- विकास नियोजन में स्थानीय भागीदारी में वृद्धि
- स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया

◆ **उदाहरण:**

- 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ: प्रदर्शन-संबंधी अनुदानों के साथ स्थानीय निकायों को आवंटन में वृद्धि करना।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम: स्वशासन में जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाता है।

◆ **मूल्यांकन:** हालाँकि प्रगति स्पष्ट रूप से हुई है, लेकिन निम्नलिखित समस्याएँ बनी हुई हैं:

- कई स्थानीय निकायों में अभी भी पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की कमी है।
- स्थानीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण एक चुनौती बनी हुई है।
- राजनीतिक हस्तक्षेप प्रायः वास्तविक विकेंद्रीकरण में बाधा डालता है।

निष्कर्ष:

भारत में "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के कार्यान्वयन ने अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और नागरिकों को सशक्त बनाने में वादा दिखाया है, लेकिन इसकी सफलता अंततः सुसंगत कार्यान्वयन, अनुकूली नीतियों और भारत के विशाल व जटिल सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की विविध आवश्यकताओं को पूरा करके निरंतर सुधार, प्रदर्शन एवं परिवर्तन के लिये प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है।

प्रश्न. भारतीय संदर्भ में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिये। इसके प्रभावी कार्यान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और इस प्रणाली को मज़बूत करने के उपाय सुझाएँ। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- शक्तियों के पृथक्करण का परिचय दीजिये।
- इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइये।
- इसके प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिये।
- प्रणाली को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइये।

परिचय:

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारत के संवैधानिक ढाँचे में अंतर्निहित एक मौलिक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य सत्ता के संकेंद्रण को रोकना तथा **विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नियंत्रण एवं संतुलन सुनिश्चित करना है।**

मुख्य भाग:

भारत में शक्तियों का पृथक्करण:

- **सिद्धांत:** यद्यपि संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी यह सिद्धांत **संविधान के अनुच्छेद 50, 121, 122, 211 और 361** से लिया गया है तथा विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से भारतीय लोकतांत्रिक ढाँचे में समाहित किया गया है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
  - विधानमंडल (संसद): विधि निर्माण,
  - कार्यपालिका (सरकार): कानूनों को लागू करता है,
  - न्यायपालिका (न्यायालय): कानूनों की व्याख्या करता है और संवैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करता है।
- **उदाहरण:** ***केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)*** के ऐतिहासिक मामले ने **'मूल ढाँचा सिद्धांत'** की स्थापना की, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि **संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति भी न्यायिक समीक्षा के अधीन** है, इस प्रकार शक्तियों के पृथक्करण को सुदृढ़ किया गया।

प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- **न्यायिक अतिक्रमण:** न्यायिक समीक्षा जाँच और संतुलन बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक न्यायिक सक्रियता

से **न्यायपालिका तथा अन्य शाखाओं के बीच अस्पष्टता की संभावना बन सकती है।**

- ***मोहित मिनरल प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ*** मामले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि GST परिषद् की सिफारिश केवल अनुशंसात्मक है अपितु बाध्यकारी नहीं है, इसे न्यायिक अतिक्रमण माना जा सकता है।

- **कार्यपालिका का प्रभुत्व:** कार्यपालिका, मूलत: अध्यादेश निर्माण की शक्तियों और नौकरशाही पर नियंत्रण के माध्यम से, प्राय: **अन्य शाखाओं पर प्रभावी** हो जाती है।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2010 और वर्ष 2016 के बीच **शत्रु संपत्ति अध्यादेश को बार-बार प्राख्यापित करना।**
    - ***कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 2017*** मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विधायी विचार के बिना बार-बार अध्यादेशों को प्राख्यापित करना असंवैधानिक है और **संविधान के साथ धोखाधड़ी** है।
- **विधायी जाँच का क्षरण:** संसदीय बैठकों की संख्या में कमी और विधेयकों का जल्दबाजी में पारित होना। **लोकसभा में बैठकों के दिवसों की संख्या का** वार्षिक औसत वर्ष 1952-70 के दौरान 121 था, जो घटकर वर्ष **2000 से 68 दिवस रह गया** है।
  - **उदाहरण: वर्ष 2020 के कृषि विधेयकों** को विरोध के बीच राज्यसभा में ध्वनि मत के साथ पारित किया गया।
- **कमज़ोर संस्थागत स्वायत्तता:** ED, CBI और CVC जैसी संस्थाओं को अपनी स्वतंत्रता के लिये चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - **उदाहरण: वर्ष 2019 में CBI निदेशक आलोक वर्मा** को हटाने पर विवाद।
  - **विनीत नारायण बनाम भारत संघ** मामले में, उच्चतम न्यायालय ने CBI की स्वायत्तता सुनिश्चित करने में उसके कामकाज के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित किये।

प्रणाली को मज़बूत करने के उपाय:

- **न्यायिक सुधार:**
  - **पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया:** न्यायिक नियुक्तियों के लिये एक नवीन प्रणाली स्थापित करना, न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाना।
    - इसमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ **राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का संशोधित संस्करण** शामिल हो सकता है।
  - **न्यायिक जवाबदेहिता कानून:** स्वतंत्रता से समझौता किये बिना न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक कानून बनाना।
    - इसमें **न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक 2010** का परिष्कृत संस्करण शामिल हो सकता है।
- **विधायी सुदृढ़ीकरण:**
  - **संसदीय बैठकों में वृद्धि:** संसद के लिये न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या अनिवार्य करना।
  - **संसदीय समितियों को सशक्त बनाना:** विधेयकों और नीतियों की जाँच करने में विभाग-संबंधित स्थायी समितियों की भूमिका को सुदृढ़ करना।
    - **सभी महत्त्वपूर्ण विधेयकों को पारित** होने से पहले **संबंधित समितियों** को संदर्भित करना अनिवार्य बनाना।
  - **दल-बदल विरोधी कानून में सुधार: पार्टी अनुशासन और विधायी स्वतंत्रता के बीच संतुलन** बनाने के लिये दसवीं अनुसूची में संशोधन करना।
    - **अविश्वास प्रस्तावों और धन विधेयकों को छोड़कर सभी मुद्दों पर स्वतंत्र मतदान** की अनुमति देना।
- **कार्यकारी जवाबदेहिता:**
  - **लोकपाल को मज़बूत बनाना: लोकपाल संस्था** को पूरी तरह लागू करना और उसे सशक्त बनाना।
    - समय पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना और जाँच के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना।
  - **सिविल सेवाओं में सुधार:** नौकरशाही तटस्थता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिये व्यापक सिविल सेवा सुधारों को लागू करना।
    - **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग** द्वारा अनुशंसित प्रमुख पदों के लिये कार्यकाल निश्चित करना।
- **संस्थागत स्वायत्तता:**
  - **प्रमुख संस्थाओं के लिये वैधानिक स्वतंत्रता: ED, CBI** और **CVC** जैसी संस्थाओं की कार्यात्मक तथा वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिये विधि निर्माण करना।
    - CBI की स्वायत्तता के लिये विनीत नारायण मामले में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को कानून में संहिताबद्ध किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत में शक्तियों के पृथक्करण को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह एक **महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक सिद्धांत** बना हुआ है। **न्यायिक घोषणाओं और सार्वजनिक चर्चा द्वारा निर्देशित** तीन

नोट :

शाखाओं के बीच गतिशील अंत: क्रिया, भारतीय संदर्भ में इस सिद्धांत को आकार देने और परिष्कृत करने का काम जारी रखती है। महत्त्वपूर्ण **संतुलन बनाए रखने, जाँच की सुदृढ़ता, संतुलन सुनिश्चित करने, संस्थागत अखंडता और सार्वजनिक विश्वास** को बढ़ावा देने में निहित है।

सामाजिक न्याय

प्रश्न : सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- डिजिटल प्रौद्योगिकियों के महत्त्व का उल्लेख करते हुए उत्तर का परिचय दीजिये।
- इस बात पर गहराई से विचार कीजिये कि डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ किस प्रकार सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं तथा हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बना रही हैं।
- वर्तमान में निहित चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- सकारात्मक रूप से उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ विश्व में सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और हाशिए पर पड़े समूहों को सशक्त बनाने के लिये शक्तिशाली उपकरण के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

- इन **प्रौद्योगिकियों में इंटरनेट, मोबाइल डिवाइस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और विभिन्न डिजिटल अनुप्रयोग** शामिल हैं, जिनमें सामाजिक अंतर को पाटने तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से पारंपरिक रूप से बहिष्कृत लोगों के लिये अवसर प्रदान करने की क्षमता है।

मुख्य भाग:

डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दे रही है और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं :

- **सूचना और शिक्षा तक पहुँच:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने सामाजिक समावेशन के लिये महत्त्वपूर्ण सूचना तथा शिक्षा तक पहुँच को आसान बना दिया है।
  - भारत में **SWAYAM जैसे ऑनलाइन शिक्षण** प्लेटफॉर्म शिक्षा के लिये भौगोलिक और आर्थिक बाधाओं के बावजूद मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।
    - इसके अलावा, **भाषिणी का उद्देश्य सभी भारतीयों को अपनी भाषा में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं** तक आसान पहुँच प्रदान करना तथा भारतीय भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध करना है।
- **आर्थिक अवसर:** डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आर्थिक सशक्तीकरण के नए रास्ते खोल दिये हैं।
  - **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म** लघु व्यवसायों और हाशिये पर पड़े समुदायों के कारीगरों को वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिये भारत में कई ग्रामीण कारीगर अब पारंपरिक बिचौलियों का **बहिष्कार करते हुए ONDC, eNam, Amazon और Flipkart** जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचते हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:** टेलीमेडिसिन सेवाओं ने हाशिये पर रहने
  - समुदायों, विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में क्रांतिकारी बदलाव किया है।
    - भारत में **ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म** जैसी पहलों ने लाखों टेलीकंसल्टेशन को सक्षम बनाया है, जिससे वंचित लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- **नागरिक सहभागिता:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने हाशिये पर आ गए समूहों की सहभागिता को बढ़ाया है।
  - **उमंग और डिजिलॉकर** जैसी ई-गवर्नेंस पहलों ने सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और पारदर्शी बना दिया है।
  - **सोशल मीडिया सक्रियता** के लिये एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है, जो हाशिये पर पड़े समूहों को संगठित होने, अनुभव साझा करने और अपने अधिकारों की वकालत करने में सक्षम बनाता है।

विशिष्ट समूहों का सशक्तीकरण:

- **महिलाएँ:** डिजिटल प्रौद्योगिकी महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में सहायक रही है।
  - ऑनलाइन माध्यम से समुदाय महिला उद्यमियों को सहायता और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किये जाते हैं।
  - डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे कि **गूगल की "वुमेन विल" पहल** द्वारा महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिये आवश्यक कौशल दिये जा रहे है।
- **दिव्यांगजन व्यक्ति:** सहायक प्रौद्योगिकियों द्वारा दिव्यांगजन व्यक्तियों के जीवन में महत्त्वपूर्ण सुधार किये गए हैं।

नोट :

- स्क्रीन रीडर्स और स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिये डिजिटल कंटेंट को सुलभ बना दिया है।

- **LGBTQ+ इंडिविजुअल:** डिजिटल प्लेटफॉर्म ने LGBTQ+ इंडिविजुअल्स के लिये जुड़ने, अनुभव साझा करने और जानकारी तक पहुँच हेतु सुरक्षित मंच प्रदान किया है।
  - **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने LGBTQ+** को समाज से जुड़ने और अधिक सामाजिक स्वीकृति एवं नीतिगत बदलावों में योगदान दिया है।

निष्कर्ष:

डिजिटल प्रौद्योगिकियों द्वारा समावेश और सीमाओं के अवसर विकसित किये जा सकते है। सामाजिक समावेश के लिये डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता का दोहन करने हेतु डिजिटल डिवाइड को संबोधित करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, मज़बूत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील, बहुभाषी सामग्री बनाना आवश्यक है। डिजिटल बुनियादी ढाँचे और शिक्षा में प्रगति से हाशिये पर पड़े समुदायों को प्रगति करने में मदद मिलेगी।

प्रश्न : भारत में दिव्यांगजनों (PwD) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन्हें सामाजिक भागीदारी हेतु सशक्त बनाने के लिये प्रभावी उपाय बताइए। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत में दिव्यांगजनों (PwDs) का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत में दिव्यांगजनों (PwDs) के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।
- पूर्ण सामाजिक भागीदारी हेतु उन्हें सशक्त बनाने हेतु प्रभावी उपाय बताइये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

जनगणना 2011 के अनुसार, देश में दिव्यांगजनों की संख्या 2.68 करोड़ (जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21% है) है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को चिह्नित किया गया है, जिनमें लोकोमोटर या चलन संबंधी दिव्यांगता, दृश्य दिव्यांगता, श्रवण दिव्यांगता, वाणी एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, बहु दिव्यांगता, मस्तिष्क पक्षाघात, बौनापन आदि शामिल हैं।

मुख्य भाग:

भारत में दिव्यांगजनों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **अगम्य अवसंरचना (Inaccessible Infrastructure):** मौजूदा अवसंरचना दिव्यांगजनों के लिये प्राय: अगम्य या दुर्गम्य है। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और यहाँ तक कि कई निजी इमारतों में उपयुक्त रैंप, लिफ्ट या टैक्टाइल पैविंग का अभाव पाया जाता है।
  - दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 3% इमारतें ही पूरी तरह से अभिगम्य पाई गईं।
- **शैक्षिक अपवर्जन:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के बावजूद कई दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - लगभग 45% दिव्यांगजन निरक्षर हैं और 3 से 35 आयु वर्ग के केवल 62.9% दिव्यांगजन कभी भी नियमित स्कूल गए हैं।
- **पूर्वाग्रह:** दिव्यांगजनों को सार्थक रोज़गार प्राप्त करने में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - भारत में लगभग 3 करोड़ दिव्यांगजन हैं, जिनमें से लगभग 1.3 करोड़ रोज़गार योग्यता रखते हैं, लेकिन उनमें से केवल 34 लाख को ही रोज़गार प्राप्त हुआ है।
- **स्वास्थ्य देखभाल संबंधी बाधाएँ:** उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल तक अभिगम्यता दिव्यांगजनों के लिये एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।
  - कई स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में दिव्यांगजनों के अनुकूल उपकरणों या विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव पाया जाता है।
- **सामाजिक कलंक की अदृश्य जंज़ीरें:** दिव्यांगता के बारे में गहन रूप से व्याप्त सामाजिक कलंक और गलत धारणाएँ दिव्यांगों को हाशिये पर धकेलती रहती हैं।
  - उन्हें प्राय: भेदभाव, सामाजिक गतिविधियों से अपवर्जन और यहाँ तक कि हिंसा का भी सामना करना पड़ता है।
  - यह सामाजिक अपवर्जन उनके मानसिक स्वास्थ्य और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
- **डिजिटल डिवाइड**- अपवर्जन का एक नया मोर्चा, जैसे- जैसे भारत तेज़ी से डिजिटल होता जा रहा है, विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों की अगम्यता के कारण दिव्यांगजन पीछे छूटते जा रहे हैं।

नोट :

- वेब एक्सेसिबिलिटी वार्षिक रिपोर्ट (2020) में पाया गया कि 98% वेबसाइट दिव्यांगजनों के लिये अभिगम्यता संबंधी आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहे थे।

- **विधिक और नीति कार्यान्वयन संबंधी अंतराल-** यद्यपि भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जैसे प्रगतिशील कानून मौजूद हैं, फिर भी इनका कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
  - उदाहरण के लिये, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की 2019 की रिपोर्ट से उज़ागर हुआ कि 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 23 ने ही दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया था, जैसा कि अधिनियम द्वारा अनिवार्य बनाया गया है।

भारत में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उपाय:

- **दिव्यांगजनों के अनुकूल अवसंरचना:** सार्वजनिक अवसंरचना को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के लिये उन्नत करना, जिसमें स्पष्ट रूप से चिह्नित रैम्प, टैक्टाइल पैथ, सुगम्य सार्वजनिक परिवहन और कार्यस्थलों पर एडेप्टिव प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल होंगे।
  - स्कूल, अस्पताल और डिजिटल सेवाओं को सभी के लिये आसानी से सुलभ बनाने के लिये सख्त दिशा-निर्देश लागू किये जाएँ।
- **कृत्रिम अंगों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास:** भारत में दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये कृत्रिम अंगों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (R&D) में वृद्धि करना महत्त्वपूर्ण है।
  - कृत्रिम अंगों में नवाचार के लिये समर्पित सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों से वित्तपोषण को बढ़ाकर यह हासिल किया जा सकता है।
  - विशिष्ट राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कृत्रिम अंग अनुसंधान केंद्रों की स्थापना से अत्याधुनिक विकास के लिये केंद्रित वातावरण उपलब्ध होगा।
- **दिव्यांगजनों की स्पष्ट पहचान:** यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि केवल वास्तविक दिव्यांगजनों को ही लाभ मिले और इसके लिये एक सख्त पहचान एवं सत्यापन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जाए।
  - एक केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस के सृजन के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, जो बायोमीट्रिक प्रामाणीकरण और नियमित ऑडिट के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों को रिकॉर्ड करेगा तथा उन्हें सत्यापित करेगा।
  - इस डेटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन करने तथा अन्य सरकारी अभिलेखों के साथ इसके मिलान से झूठे दावों के मामलों की पहचान करने तथा उन्हें रद्द करने में मदद मिलेगी।
- **दिव्यांगजनों के बारे में प्रचलित धारणाओं में बदलाव लाना:** 'विकलांग' के स्थान पर 'दिव्यांग' जैसे सशक्तीकारी शब्दों के प्रयोग को बढ़ावा देकर सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाया जाए।
  - अधिक समावेशी और सम्मानकारी समाज को बढ़ावा देने के लिये मीडिया, कला तथा सार्वजनिक मंचों के माध्यम से दिव्यांगजनों की क्षमताओं एवं उपलब्धियों को उजागर किया जाना चाहिये।
  - 'बढ़ते कदम' पहल इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **AI-संचालित सुगम्यता ऑडिट:** शहरी योजना-निर्माण में AI-संचालित सुगम्यता ऑडिट क्रियान्वित किया जाए।
  - शहरी अवसंरचना का विश्लेषण करने के लिये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया जाए, जहाँ तत्काल अभिगम्यता संबंधी अंतराल की पहचान की जा सकती है।
  - इसमें सुगम्य मार्गों का मानचित्रण करने, बाधाओं का पता लगाने और सुधार का सुझाव देने के लिये सेंसर नेटवर्क तथा कंप्यूटर विज़न सिस्टम की तैनाती करना भी शामिल हो सकता है।
    - ऐसी प्रणाली को निरंतर अपडेट किया जा सकता है, जिससे नगर नियोजकों और दिव्यांगजनों दोनों को गतिशील सुगम्यता संबंधी सूचना मिलती रहेगी।
- **'यूनिवर्सल डिज़ाइन इनोवेशन हब':** दिव्यांगजनों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर एक राष्ट्रीय यूनिवर्सल डिज़ाइन इनोवेशन हब की स्थापना की जाए।
  - यह हब उत्पादों, सेवाओं और अवसंरचना के लिये नवोन्मेषी तथा लागत प्रभावी सार्वभौमिक डिज़ाइन समाधानों के विकास एवं विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
  - यह व्यापक कार्यान्वयन से पहले नई सुगम्यता प्रौद्योगिकियों के लिये परीक्षण स्थल के रूप में भी कार्य कर सकता है।
- **न्यूरो-एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म:** न्यूरो-एडेप्टिव लर्निंग प्लेफॉर्म विकसित करने में निवेश करें जो विभिन्न शिक्षण दिव्यांगता रखने वाले छात्रों के लिये शैक्षिक सामग्री को वैयक्तिकृत करने हेतु इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम (EEG) का उपयोग करते हैं।
  - ये प्लेटफॉर्म तत्काल छात्र के संज्ञानात्मक भार, ध्यान के स्तर और सीखने की शैली के अनुसार समायोजित हो सकते हैं, जिससे दिव्यांगजनों के लिये शिक्षा अधिक सुगम्य एवं प्रभावी हो जाएगी।

नोट :

निष्कर्ष:

इन व्यापक उपायों को अपनाकर, भारत एक ऐसी रूपरेखा तैयार कर सकता है जहाँ दिव्यांगजन न केवल समाज में एकीकृत होंगे बल्कि समान और सक्रिय भागीदार के रूप में भी विकसित होंगे। यह न केवल सामाजिक न्याय का मामला है बल्कि सभी के लिये अधिक समावेशी और समतापूर्ण समाज की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम भी है।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-3

अर्थव्यवस्था

प्रश्न : कृषि विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाने वाले नीतिगत सुधारों को अपनाने से भारत अपने राष्ट्रीय विकास की पूर्ण क्षमता का दोहन कर सकेगा। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व का संक्षेप में परिचय दीजिये।
- कृषि क्षेत्र के सामने मौजूदा चुनौतियों की व्याख्या कीजिये।
- इन मुद्दों को हल करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये सुधारों पर चर्चा कीजिये।
- नीति कार्यान्वयन के लिये रणनीतियाँ और रोडमैप सुझाएँ।

भूमिका:

भारत में कृषि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, जो देश के लगभग 45% कार्यबल को रोज़गार प्रदान करता है और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15% का योगदान देता है। यह एक विशाल आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा विभिन्न उद्योगों के लिये कच्चे माल की आपूर्ति करता है। कृषि क्षेत्र का स्वास्थ्य देश के समग्र आर्थिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिरता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।

मुख्य भाग:

कृषि क्षेत्र के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ:

- **लघु भूमि जोत:**
  - कृषि योग्य भूमि का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा छोटी जोतों में विभाजित है, जो किसानों की बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान और सम्मानजनक आजीविका को सीमित करता है।
  - भारत की कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार, **86.1 प्रतिशत** भारतीय किसान छोटे और सीमांत (SMF) हैं, यानी उनके पास **2 हेक्टेयर से कम भूमि** है।
- **आर्थिक कठिनाइयाँ:**
  - भारत में किसानों की औसत मासिक आय अपेक्षाकृत कम है, जो कृषि क्षेत्र में उन लोगों के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों को उजागर करती है।
  - **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय** की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, मज़दूरी, फसल उत्पादन और पशुधन सहित सभी स्रोतों से एक किसान परिवार की औसत मासिक आय लगभग ₹10,218 थी।
- **मृदा क्षरण एवं जल की कमी:**
  - कृषि के लिये पानी का अत्यधिक दोहन जलभृतों को कम कर रहा है, जिससे प्रमुख खाद्य उत्पादक क्षेत्रों में सिंचाई करना लगातार अव्यावहारिक होता जा रहा है।
    - भारत के **लगभग 90 प्रतिशत भूजल का उपयोग कृषि** के लिये किया जाता है।
  - अनुचित भूमि उपयोग पद्धतियाँ, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग तथा अपर्याप्त मृदा संरक्षण में योगदान करता हैं।
- **अपर्याप्त कृषि अवसंरचना और निवेश:**
  - अपर्याप्त भंडारण और ' कोल्ड चेन' सुविधाएँ, अपर्याप्त ग्रामीण सड़कें तथा बाज़ारों तक सीमित पहुँच फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में योगदान करती हैं।
  - कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं में निवेश मुद्रास्फीति के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाया है, जिससे वास्तविक वित्तपोषण में गिरावट आई है। यह कम निवेश नवीन एवं कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा डालता है।
- **पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ:.**
  - भारतीय किसानों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पारंपरिक खेती के तरीकों पर निर्भर है।
  - सूचना तक सीमित पहुँच, आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी और बदलाव के प्रति प्रतिरोध उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा डालते हैं।
  - कृषि अनुसंधान में यह कम निवेश नवीन और कुशल कृषि पद्धतियों को अपनाने में बाधा डालता है।
- **बाज़ार में अस्थिरता और मूल्य में उतार-चढ़ाव:**
  - भारत में किसानों को अक्सर प्रभावी बाज़ार संपर्क, बिचौलियों और मूल्य सूचना की कमी के कारण मूल्य अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इससे वे मूल्य शोषण तथा निवेश पर अनिश्चित रिटर्न के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
  - उपभोक्ताओं के लिये खाद्य कीमतों को कम करने की वैश्विक प्राथमिकताओं के परिणामस्वरूप कृत्रिम रूप से कृषि-द्वार की कीमतों में कमी आती है, जिससे खेती आर्थिक रूप से अव्यवहारिक और पर्यावरण की दृष्टि से अस्थिर हो जाती है।

नोट :

- **जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाएँ:.**
  - अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, **जलवायु परिवर्तन और बाढ़, चक्रवात एवं सूखे** जैसी प्राकृतिक आपदाएँ भारत के कृषि उद्योग के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करती हैं। इन घटनाओं के परिणामस्वरूप फसल का नुकसान, पशुधन मृत्यु एवं किसानों के लिये जोखिम बढ़ सकता है।
  - जलवायु परिवर्तन प्रभाव आकलन के अनुसार, अनुकूलन उपायों को अपनाए बिना, भारत में वर्षा आधारित चावल की पैदावार वर्ष 2050 तक 20% और 2080 तक 47% कम होने का अनुमान है।

भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिये आगामी कदम:

- **समग्र कृषि दृष्टिकोण:**
  - कृषि को उत्पादन, विपणन और उपभोग को शामिल करते हुए एक व्यापक खाद्य प्रणाली के रूप में स्थापित कर सकते है।
  - संस्थागत सुधारों के माध्यम से ऋण, इनपुट और किसान-केंद्रित सलाह तक पहुँच में सुधार करना।
  - जैविक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देना। सामूहिक सौदेबाज़ी के लिये किसान-उत्पादक संगठनों तथा सहकारी समितियों को मज़बूत करना।
- **मूल्य श्रृंखला विकास:**
  - उच्च मूल्य वाली फसलों, डेयरी उत्पादों, मत्स्य एवं मुर्गी पालन के लिये मज़बूत मूल्य श्रृंखलाएँ स्थापित करना।
  - इसे प्राप्त करने के लिये निजी क्षेत्र, सहकारी समितियों और किसान-उत्पादक कंपनियों के साथ सहयोग करना ।
  - मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ाने के लिये उद्योग में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के समान सार्वजनिक-निजी भागीदारी और योजनाओं को लागू करना।
- **प्रौद्योगिकियों और बाज़ारों तक पहुँच:**
  - उत्पादकता और आय में सुधार के लिये किसानों को सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों तथा वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच सुनिश्चित करना।
  - निर्यात प्रतिबंधों, व्यापारियों पर स्टॉक सीमा और बाज़ार मूल्य दमन की रणनीति को कम करके किसानों की तुलना में उपभोक्ताओं के पक्ष में नीतिगत पूर्वाग्रहों को संबोधित करना।
  - कृषि अनुसंधान और विकास (R&D) तथा विस्तार सेवाओं पर व्यय को कृषि-जीडीपी के कम-से-कम 1% तक बढ़ाएँ, जो **वर्तमान स्तर 0.5%** से कम है।
- **उर्वरक सब्सिडी में सुधार:**
  - उर्वरक सब्सिडी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को हस्तांतरित करना।
  - वर्तमान में सब्सिडी का प्रबंधन रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसका किसानों के साथ सीधा संपर्क सीमित है।
  - नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के उपयोग में असंतुलन को ठीक करने के लिये उर्वरक सब्सिडी वितरण को युक्तिसंगत बनाएँ।
  - उर्वरक सब्सिडी के लिये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में परिवर्तन, जिससे किसानों को रासायनिक और जैव-उर्वरकों या प्राकृतिक खेती के तरीकों के बीच चयन करने की अनुमति मिलती है।
- **समावेशी विकास और सामाजिक सुरक्षा**
  - व्यापक फसल बीमा योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों को लागू करना।
  - कृषि आय को स्थिर करने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करना।
- **जलवायु अनुकूल कृषि का सृजन:**
  - जलवायु-अनुकूल (स्मार्ट) कृषि सृजित करने के लिये निवेश संसाधनों को बढ़ाने की त्वरित आवश्यकता है।
    - इसका यह अर्थ है कि ऊष्मा और बाढ़ प्रतिरोधी बीजों में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है साथ ही जल संसाधनों में अधिक निवेश करना होगा, न केवल उनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिये बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिये भी कि पानी का अधिक बुद्धिमानी से उपयोग किया जा रहा है।
    - "प्रति बूँद अधिक फसल" केवल एक नारा नहीं बल्कि एक वास्तविकता होनी चाहिये। ड्रिप, स्प्रिंकलर और संरक्षित खेती को वर्तमान की तुलना में बड़े पैमाने पर सटीक कृषि के हिस्से के रूप में अपनाना होगा।

निष्कर्ष:

कृषि विकास के लिये अनुकूल माहौल बनाने वाले नीतिगत सुधारों को अपनाने से भारत अपने कृषि क्षेत्र की पूरी क्षमता को अनलॉक करने में सक्षम होगा, जिससे यह राष्ट्रीय विकास का आधार बन जाएगा। यह परिवर्तन लाखों किसानों के लिये स्थायी आजीविका को सुरक्षित करेगा, खाद्य सुरक्षा, समावेशी विकास को बढ़ावा देगा और भारत को कृषि नवाचार तथा स्थिरता में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा।

नोट :

प्रश्न : वैश्विक बाज़ार में भारत के विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। प्रतिस्पर्द्धा के स्तर में वृद्धि के लिये कौन-सी युक्तियाँ अपनाई जा सकती हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत के विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति के संबंध में संक्षेप में बताकर उत्तर दीजिये।
- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में भारत के विनिर्माण क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर गहनता से विचार कीजिये।
- प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिये अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों का सुझाव दीजिये।
- सकारात्मक निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, विनिर्माण भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में सबसे आगे रहा, जिसने पिछले दशक में 5.2% की औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल की, जिसमें भारत के कुल कार्यबल का 11.4% कार्यरत था।

- हालाँकि इस क्षेत्र को बहुमुखी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो वैश्विक बाज़ार में इसकी पूरी क्षमता को बाधित करती हैं।

मुख्य भाग:

वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में भारत के विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष चुनौतियाँ:

बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ:

- अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति और बार-बार बिजली कटौती: कई विनिर्माण इकाइयों को नियमित रूप से बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उत्पादन में देरी होती है और डीजल जनरेटर के कारण लागत बढ़ जाती है।
- **खराब परिवहन नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स:** भारत की लॉजिस्टिक्स लागत (GDP का 14%) विकसित देशों (8-10%) की तुलना में काफी अधिक है।
  - राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का उद्देश्य इस समस्या का समाधान करना है, लेकिन कार्यान्वयन एक चुनौती बनी हुई है।
- **आधुनिक बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक सीमित पहुँच:** सुधारों के बावजूद, भारत का बंदरगाह बुनियादी ढाँचा वैश्विक मानकों से पीछे है।
  - भारतीय बंदरगाहों पर जहाज़ों का औसत टर्नअराउंड समय 2.1 दिन है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्द्धा प्रभावित हो रही है।

कौशल अंतर:

- **कुशल कार्यबल की कमी:** भारत के केवल 4.7% कार्यबल ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि दक्षिण कोरिया में यह आँकड़ा 96% है।
  - इससे विनिर्माण में उत्पादकता कम होती है और गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ पैदा होती हैं।
- **उद्योग की आवश्यकताओं और उपलब्ध कौशल के बीच बेमेल:** तेज़ी से विकसित हो रहे विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के साथ, रोबोटिक्स, AI तथा डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रासंगिक कौशल वाले श्रमिकों की कमी का सामना कर रहा है।
- **व्यावसायिक प्रशिक्षण पर अपर्याप्त ध्यान:** कौशल भारत जैसी पहल के बावजूद, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (Industrial Training Institutes- ITI) में नामांकन उद्योग की मांग के अनुरूप नहीं रहा है।

विनियामक बाधाएँ:

- **जटिल श्रम कानून:** चार श्रम संहिताओं (मज़दूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता) के कार्यान्वयन में उनके जारी होने के बाद से देरी हो रही है, जिससे व्यवसायों के लिये अनिश्चितता पैदा हो रही है।
- **भूमि अधिग्रहण की चुनौतियाँ:** भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ने किसानों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, औद्योगिक उद्देश्यों के लिये भूमि अधिग्रहण को अधिक समय लेने वाला और महँगा बना दिया है।

वित्त और प्रौद्योगिकी अपनाने तक सीमित पहुँच:

- **MSME के लिये ऋण तक पहुँच में चुनौतियाँ: के**वल 16% MSME के पास औपचारिक ऋण तक पहुँच है, जिससे उनकी वृद्धि और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा आ रही है।
- **कम अनुसंधान एवं विकास निवेश:** सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय लगभग 0.7% है, जो चीन (2.4%) और अमेरिका (3.1%) की तुलना में काफी कम है।
  - इससे उच्च तकनीक विनिर्माण में नवाचार और प्रतिस्पर्द्धात्मकता प्रभावित होती है।
- **नवाचार पर अपर्याप्त ध्यान:** वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत 40वें स्थान पर है, जो विनिर्माण प्रक्रियाओं और उत्पादों में नवाचार को बढ़ावा देने पर अधिक ज़ोर देने की आवश्यकता को दर्शाता है।

नोट :

प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने की रणनीतियाँ:

- **एक व्यापक राष्ट्रीय विनिर्माण रणनीति विकसित करना:** आयरलैंड की तरह भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिये एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण (20-30 वर्ष) बनाना, जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य की वैश्विक मांगों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
  - एकीकृत 5G नेटवर्क, IoT पारिस्थितिकी तंत्र और उन्नत लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ स्मार्ट विनिर्माण केंद्र विकसित करना।
  - विनिर्माण में AI और मशीन लर्निंग अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिये एक राष्ट्रीय डेटा अवसंरचना का निर्माण करना।
- **कौशल विकास में क्रांतिकारी बदलाव:** उद्योग की ज़रूरतों को वास्तविक समय में उपलब्ध प्रतिभा के साथ मिलान करने के लिये एक राष्ट्रीय कौशल डेटाबेस विकसित करना।
  - लचीले, परियोजना-आधारित कुशल श्रम परिनियोजन की अनुमति देने के लिये गिग इकॉनमी प्लेटफार्मों को विनिर्माण के साथ एकीकृत कीजिये।
- **नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना:** महत्त्वपूर्ण विनिर्माण समस्याओं को हल करने के लिये पर्याप्त पुरस्कारों के साथ क्षेत्र-विशिष्ट नवाचार चुनौतियाँ स्थापित करना।
  - विनिर्माण में नवाचारों के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये पेटेंट बॉक्स व्यवस्था विकसित करना।
- **वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना:** उच्च जोखिम, उच्च क्षमता वाले विनिर्माण स्टार्टअप को समर्थन देने के लिये विनिर्माण-केंद्रित उद्यम पूंजी कोष विकसित करना।
  - पूंजी-प्रधान परियोजनाओं के लिये दीर्घकालिक, स्थिर वित्तपोषण उपलब्ध कराने हेतु एक समर्पित विनिर्माण बॉण्ड बाज़ार का निर्माण करना।
- **वैश्विक एकीकरण को मज़बूत करना:** विशिष्ट वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जैसे- अर्द्धचालक, इलेक्ट्रिक वाहन) के साथ एकीकरण पर केंद्रित विशेषीकृत उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का विकास करना।
  - गुणवत्ता और नवाचार पर ज़ोर देते हुए 'वोकल फॉर लोकल-लोकल टू ग्लोबल' बॉण्ड रणनीति बनाएं।
- **सतत् विनिर्माण को बढ़ावा देना:** हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने के लिये विनिर्माण क्षेत्र हेतु एक व्यापक कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र विकसित करना।
  - औद्योगिक सहजीवन और अपशिष्ट विनिमय को सुविधाजनक बनाने के लिये एक राष्ट्रीय वृत्ताकार अर्थव्यवस्था मंच का निर्माण करना।
  - वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हरित विनिर्माण मानक और प्रमाणन प्रक्रियाएँ स्थापित करना।

निष्कर्ष:

विनिर्माण उत्कृष्टता के लिये भारत का मार्ग भविष्य को समझने के साथ-साथ वर्तमान में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के बारे में है। बल्कि भविष्य पर अपनी पकड़ बनाने के संबंध में भी है। प्रस्तावित रणनीतियाँ, पीछे छूट जाने से लेकर नेतृत्व में छलांग (Leapfrogging) लगाने तक के प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह परिवर्तन केवल एक आर्थिक अनिवार्यता नहीं है, यह तकनीकी संप्रभुता, रोज़गार सृजन और सतत् विकास का मार्ग है।

प्रश्न : भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों और कृषि विकास को बढ़ावा देने की क्षमता पर विचार कीजिये। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की पहचान कीजिये। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत के कृषि क्षेत्र के लिये खाद्य प्रसंस्करण के महत्त्व का उल्लेख करते हुए परिचय दीजिये।
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावनाओं पर प्रकाश डालिये।
- क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर गहनता से विचार कीजिये।
- आगे की राह सुझाइये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत का कृषि क्षेत्र, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परिवर्तन के लिये तैयार है। खाद्य प्रसंस्करण **उद्योग इस परिवर्तन के लिये एक शक्तिशाली उत्प्रेरक** के रूप में उभर रहा है।

- भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का बाज़ार आकार **वर्ष 2022 में 866 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2027 में 1,274 बिलियन अमेरीकी डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है।
- कच्चे कृषि उत्पादों को मूल्यवर्द्धित उत्पादों में परिवर्तित करके, यह क्षेत्र किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है, रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर सकता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

नोट :

मुख्य भाग:

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की संभावना:

- **मूल्य संवर्द्धन:** कच्चे कृषि उत्पादों के मूल्य में वृद्धि जैसे कच्चे टमाटर को केचप या प्यूरी में बदलना उनके **मूल्य को 20-30% तक बढ़ा** देता है।
- **कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी:** वर्तमान में, भारत में उचित भंडारण और प्रसंस्करण की कमी के कारण **लगभग 30-40% फल और सब्ज़ियाँ का नुकसान होता है।**
  - खाद्य प्रसंस्करण इन नुकसानों को काफी हद तक कम कर सकता है।
- **कृषि आय में वृद्धि:** प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की कीमतें अधिक होती हैं, जिससे किसानों को अपनी आय दोगुनी करने में लाभ होता है।
  - **उदाहरण:** प्रसंस्करण के लिये उपयुक्त विशिष्ट किस्मों (**जैसे- लेज़ चिप्स के लिये आलू**) के लिये अनुबंध खेती
- **निर्यात क्षमता:** वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत ने कुल कृषि निर्यात में 49.6 बिलियन अमेरीकी डॉलर दर्ज किये।
  - **भारतीय व्यंजनों और स्वस्थ भोजन** की बढ़ती वैश्विक मांग के साथ, निर्यात वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण गुंजाइश है।
- **प्रत्यक्ष रोज़गार:** खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, पैकेजिंग और वितरण में। इस क्षेत्र में लगभग **1.93 मिलियन लोग** सीधे तौर पर कार्यरत हैं, जिसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में वृद्धि के साथ और बढ़ाया जा सकता है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में फूड पार्क स्थापित करने से स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं। **मेगा फूड पार्क योजना** ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोज़गार उत्पन्न किये हैं।
- **नवाचार और उत्पाद विकास:** उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं, जैसे कि स्वस्थ, जैविक और सुविधाजनक खाद्य पदार्थों को ध्यान में रखते हुए नए उत्पाद विकसित करने में नवाचार की अपार संभावनाएँ हैं।
  - आधुनिक पैकेजिंग में पारंपरिक भारतीय पेय पदार्थों के साथ **पेपर बोट की सफलता**, नवोन्मेषी उत्पाद विकास की संभावना को दर्शाती है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ:

- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** भारत में 10% से भी कम उत्पाद कोल्ड चेन के माध्यम से जाते हैं, जबकि विकसित देशों में यह 85% है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में खराब सड़क संपर्क के कारण **पारगमन समय और उत्पाद खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।**
- **विखंडित आपूर्ति श्रृंखला और भंडारण:** प्रत्यक्ष किसान-प्रसंस्करणकर्त्ता संपर्क की कमी से किसानों की आय और **प्रसंस्करणकर्त्ताओं का गुणवत्ता पर नियंत्रण कम हो जाता है।**
  - इस विखंडन के कारण मूल्य में **अस्थिरता, गुणवत्ता में असंगति और मूल्य श्रृंखला** में लाभ मार्जिन में कमी आती है।
  - किसानों और प्रसंस्करणकर्त्ताओं के बीच कई बिचौलिये होने से लागत में 15-20% की वृद्धि होती है।
- **गुणवत्ता और सुरक्षा मानक:** भारत में कई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ **गुणवत्ता प्रमाणन एजेंसियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं**, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा विनियमों का अपर्याप्त कार्यान्वयन होता है, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में।
  - इससे निर्यात क्षमता और उपभोक्ता विश्वास प्रभावित होता है।
    - यूरोपीय संघ द्वारा **527 भारतीय खाद्य पदार्थों** में कैंसर पैदा करने वाले रसायन पाए गए।
    - इसके अलावा, कारखाने में अस्वास्थ्यकर टमाटर सॉस उत्पादन के विभिन्न वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित हुए।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** खाद्य प्रसंस्करण में **भारत के केवल 3% कार्यबल** के पास औपचारिक प्रशिक्षण है। साथ ही खाद्य प्रौद्योगिकीविदों, पैकेजिंग विशेषज्ञों और कोल्ड चेन विशेषज्ञों की भी कमी है।
  - यह **कौशल अंतर नवाचार और नई तकनीकों को अपनाने में बाधा डालता** है, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा कम होती है।
- **जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी: भारत के 54% लोग** उच्च से लेकर अत्यंत उच्च जल तनाव का सामना कर रहे हैं। अनियमित मौसम फसल की पैदावार और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
  - इससे **कच्चे माल की आपूर्ति को खतरा होता है** और प्रसंस्करणकर्त्ताओं के लिये मूल्य अस्थिरता बढ़ जाती है।
- **अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन:** खाद्य प्रसंस्करण से वार्षिक रूप से 50 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है और कुशल अपशिष्ट उपचार की कमी के कारण, इससे प्रदूषण होता है तथा **संभावित उप-उत्पाद राजस्व की हानि होती है।**

आगे की राह

- **फार्म-टू-फोर्क एक्सप्रेस-वे:** प्रमुख उत्पादन केंद्रों को उपभोग केंद्रों से जोड़ते हुए, खराब होने वाली वस्तुओं के लिये समर्पित लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर विकसित करना।

नोट :

- शिपमेंट के लिये वास्तविक समय ट्रैकिंग सिस्टम लागू करना, ताकि पारगमन समय कम हो और क्षमता में सुधार हो।
- उत्पादों की कुशल आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रमुख कृषि क्षेत्रों में मल्टी-मॉडल परिवहन केंद्र स्थापित करना।

- **कोल्ड चैन क्रांति:** कर छूट और सब्सिडी के माध्यम से शीत भंडारण सुविधाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
  - विद्युत की कमी को दूर करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से चलने वाली शीत भंडारण इकाइयों को बढ़ावा देना।
  - प्रमुख उत्पादन और उपभोग केंद्रों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय शीत शृंखला केंद्र विकसित करना।
- **स्किल इंडिया, फीड इंडिया:** उद्योग जगत के नेताओं के साथ साझेदारी में खाद्य प्रसंस्करण-विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
  - देश भर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में प्रशिक्षुता के अवसर उत्पन्न करना।
  - प्रारंभिक जागरूकता पैदा करने के लिये माध्यमिक विद्यालयों में खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम शुरू करना।
- **खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाना:** विभिन्न स्तरों वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिये राष्ट्रव्यापी अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम को बढ़ाना
  - SMEs को ISO 22,000 और **HACCP** जैसे अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिये सब्सिडी प्रदान करना। खाद्य सुरक्षा मानकों और प्रामाणित उत्पादों के महत्त्व पर एक जन जागरूकता अभियान शुरू करना।
- **हरित प्रसंस्करण पहल:** खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए उनके पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर हरित रेटिंग प्रणाली लागू करना।
- **किसान-प्रसंस्करणकर्त्ता पुल:** बिचौलियों को खत्म करने के लिये किसानों को सीधे प्रसंस्करणकर्त्ताओं से जोड़ने वाला ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करना।
  - अंतर्निहित गुणवत्ता नियंत्रण उपायों और उचित मूल्य निर्धारण तंत्रों के साथ अनुबंध कृषि को प्रोत्साहित करना।
  - सामूहिक सौदेबाज़ी और बेहतर बाज़ार पहुँच के लिये किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को बढ़ावा देना।
  - खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग की जाने वाली फसलों के लिये विशेष रूप से कृषि विस्तार सेवाएँ स्थापित करना।
- **पैकेजिंग पावरहाउस:** वित्तीय लाभों के माध्यम से खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना।
  - बायोडिग्रेडेबल और सक्रिय पैकेजिंग समाधानों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
  - प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण केंद्रों में पैकेजिंग गुणवत्ता के लिये परीक्षण सुविधाएँ स्थापित करना।
  - ट्रेसेबिलिटी के लिये QR कोड जैसी स्मार्ट पैकेजिंग तकनीकों के लिये मानक विकसित करना।
- **खाद्य अपशिष्ट से धन:** खाद्य अपशिष्ट पुनर्चक्रण और पुनर्चक्रण पहलों के लिये कर प्रोत्साहन प्रदान करना।
  - ऊर्जा उत्पादन के लिये खाद्य प्रसंस्करण अपशिष्ट का उपयोग करके बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देना।
  - फलों के अपशिष्ट से प्राप्त पेक्टिन जैसे खाद्य विनिर्माण उपोत्पादों के लिये बाज़ार स्थापित करना।

निष्कर्ष:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की पूरी क्षमता का उपयोग करना भारत की सतत् और समावेशी विकास की यात्रा के लिये महत्त्वपूर्ण है। भारत खाद्य अपव्यय को कम करने (SDG 12), कृषि उत्पादकता बढ़ाने (SGD 2), अच्छे रोज़गार के अवसर पैदा करने (SDG 8) और पोषण मानकों में सुधार (SDG 2 और 3) में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर सकता है।

प्रश्न : अवैध प्रवासन से भारत की आंतरिक सुरक्षा गंभीर खतरे में है। इस समस्या के कई पहलुओं का परीक्षण कीजिये, जिसमें यह भी शामिल है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक संरचना और जनसांख्यिकीय पैटर्न को कैसे प्रभावित करता है। (250 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत में अवैध प्रवासन की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में अवैध प्रवासन के आयामों पर गहराई से विचार कीजिये।
- जनसांख्यिकीय प्रतिरूप, सामाजिक-आर्थिक संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालिये।
- उचित निष्कर्ष दीजिये।

नोट :

परिचय:

अवैध प्रवासन भारत के लिये एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जो देश की आंतरिक गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहा है।

- यह मुद्दा, जो मुख्य रूप से **बांग्लादेश, नेपाल और म्याँमार** जैसे पड़ोसी देशों से उत्पन्न हुआ है, भारत की जनसांख्यिकीय प्रतिरूप, सामाजिक-आर्थिक संरचना तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर दूरगामी परिणाम डालता है।

मुख्य बिंदु:

भारत में अवैध प्रवासन के आयाम:

- **पैमाना:** लाखों अवैध अप्रवासी भारत में रहते हैं, खास तौर पर बांग्लादेश से।
- **मार्ग:** छिद्रपूर्ण सीमाएँ, खास तौर पर पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल में, अवैध प्रवेश को आसान बनाती हैं।
- **प्रेरक कारक:** पड़ोसी देशों में गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता और पर्यावरणीय आपदाएँ प्रवास को बढ़ावा देती हैं।
- **प्रेरक कारक:** आर्थिक अवसर, सांस्कृतिक समानताएँ और स्थापित प्रवासी नेटवर्क भारत में अप्रवासियों को आकर्षित करते हैं।

जनसांख्यिकीय प्रतिरूप पर प्रभाव:

- **जनसंख्या वृद्धि:** अवैध प्रवासन सीमावर्ती राज्यों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि में योगदान देता है, जिससे स्थानीय संसाधनों पर दबाव पड़ता है।
  - **उदाहरण:** असम की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, जिसका आंशिक कारण अवैध प्रवासन है।
- **परिवर्तित जातीय संरचना:** प्रवासियों के आगमन से कुछ क्षेत्रों में जातीय संतुलन बदल जाता है।
  - **उदाहरण:** पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है।
- **शहरीकरण:** कई प्रवासी शहरी झुग्गी-झोपड़ियों में बस जाते हैं, जिससे अनियोजित शहरी विकास में योगदान मिलता है।

सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव:

- **श्रम बाज़ार:** अवैध आप्रवासी अक्सर अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जिससे स्थानीय श्रमिकों को विस्थापित होना पड़ता है जिससे मज़दूरी में कमी आती है।
- **सार्वजनिक सेवाएँ:** स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आवास अवसंरचना पर दबाव बढ़ गया।
  - पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती ज़िलों में सार्वजनिक अस्पतालों में सीमा पार से आने वाले मरीज़ों के कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है।
- **सामाजिक सामंजस्य:** सांस्कृतिक मतभेद आप्रवासियों और स्थानीय आबादी के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं।
- **राजनीतिक परिदृश्य:** जनसांख्यिकीय परिवर्तन मतदान प्रतिरूप और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करते हैं।
  - पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वोट बैंक की राजनीति के आरोप हैं, जहाँ पार्टियों पर चुनावी लाभ के लिये अवैध प्रवासियों को खुश करने का आरोप है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव:

- **आतंकवाद और उग्रवाद:** कुछ समूह राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिये अवैध प्रवासन चैनलों का लाभ उठाते हैं।
  - **उदाहरण:** वर्ष 2014 के बर्दवान विस्फोट जैसे आतंकवादी हमलों की जाँच में अवैध अप्रवासियों की संलिप्तता का पता चला।
- **अपराध और तस्करी:** अवैध प्रवास नेटवर्क अक्सर तस्करी और मानव तस्करी के संचालन के साथ ओवरलैप होते हैं।
  - **उदाहरण:** भारत-बांग्लादेश सीमा मवेशियों की तस्करी और मानव तस्करी के लिये एक जाना-माना मार्ग है।
- **आंतरिक सुरक्षा तंत्र:** अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिये महत्त्वपूर्ण संसाधनों को डाइवर्ट कर दिया जाता है।
  - **उदाहरण:** असम में **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)** को अपडेट करने की जटिल और महँगी प्रक्रिया।

निष्कर्ष:

अवैध प्रवासन के मुद्दे को संबोधित करने के लिये बेहतर सीमा प्रबंधन, पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक जुड़ाव और संतुलित आंतरिक नीतियों को शामिल करने वाले व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सुरक्षा चिंताओं तथा मानवीय पहलुओं दोनों पर विचार करते हैं। सरकार को अवैध प्रवासन की अपील को कम करने के लिये सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि अवैध अप्रवासियों की पहचान करने की प्रक्रिया में वास्तविक भारतीय नागरिकों को गलत तरीके से निशाना न बनाया जाए।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

प्रश्न : देश की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की भूमिका में सुधार के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- वर्तमान सुरक्षा ढाँचे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के महत्त्व को समझाइये।
- NSA की भूमिका में सुधार हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।
- भारत में NSA कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने के उपाय सुझाएँ।
- भारत के हितों की रक्षा के लिये एक सक्रिय और अनुकूलनीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता पर ज़ोर दीजिये।

भूमिका:

भारत एक जटिल सुरक्षा स्थितियों का सामना कर रहा है, जिसमें आंतरिक और बाहरी खतरें दोनों शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार होता हैं। वह जटिल सुरक्षा तथा खुफिया मुद्दों पर गहन विश्लेषण एवं अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उभरते सुरक्षा परिदृश्य से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये NSA की भूमिका में सुधार हेतु एक व्यापक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

मुख्य भाग :

NSA की भूमिका में सुधार के लिये बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता:

- **साइबर युद्ध और डिजिटल खतरे:** साइबर युद्ध जैसी गतिविधियाँ तेज़ी से विकसित हो रही हैं, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक महत्त्वपूर्ण और बहुआयामी खतरा बन गया है।
  - महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाकर किये जाने वाले राज्य प्रायोजित साइबर हमलों से आवश्यक सेवाएँ तथा बड़े पैमाने पर दैनिक जीवन बाधित होने की संभावना है।
- **सीमा पार आतंकवाद और कट्टरपंथ:** सीमा पार आतंकवाद और कट्टरपंथ की उभरती प्रकृति भारत के सुरक्षा परिदृश्य के लिये एक बड़ा खतरा बनी हुई है।
  - वैश्विक चरमपंथी विचारधाराओं से प्रेरित 'लोन वुल्फ अटैक' का उदय आतंकवाद-रोधी प्रयासों में अप्रत्याशितता और जटिलता का एक नया आयाम प्रस्तुत करता है।
  - हाल ही में रियासी में हुआ आतंकवादी हमला आतंकवाद के लगातार और विकसित होते खतरे की एक कड़ी को याद दिलाता है।
- **सीमा विवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता:** भारत को सीमा विवादों, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के साथ, की चुनौतियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है।
  - चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव, जिसका उदाहरण वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प है, अचानक वृद्धि की संभावना को उजागर करता है।
  - गलवान घाटी में वर्ष 2020 का संघर्ष चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निरंतर तनाव का एक उदाहरण है, जो अचानक तनाव बढ़ने की संभावना पर ज़ोर देता है।
  - अफगानिस्तान और म्याँमार जैसे पड़ोसी देशों में अस्थिरता के कारण शरणार्थी संकट तथा आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि सहित अन्य प्रभावों का ज़ोखिम है।
- **अंतरिक्ष एवं उपग्रह सुरक्षा:** संचार, नेविगेशन और निगरानी के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर भारत की बढ़ती निर्भरता, उपग्रह अवसंरचना को एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।
  - वैश्विक शक्तियों द्वारा अंतरिक्ष का संभावित सैन्यीकरण, जैसा कि चीन के वर्ष 2007 के उपग्रह-रोधी परीक्षण से प्रदर्शित होता है, अंतरिक्ष सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिये नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **समुद्री एवं महासागरीय खतरे:** भारत को समुद्री क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें समुद्री डकैती, आतंकवाद और हिंद महासागर में मछली ग्रहण क्षेत्र में संघर्ष शामिल हैं।
  - हिंद महासागर में चीन की नौसेना की उपस्थिति का विस्तार **(जैसे श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह)** भारत के समुद्री हितों के लिये चुनौती है।
- **सूचना युद्ध और सोशल मीडिया हेर-फेर:** सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का सामाजिक सामंजस्य एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है।

नोट :

- डीपफेक प्रौद्योगिकी का उदय सूचना में जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है तथा सामाजिक स्थिरता बनाए रखने और सूचित निर्णय लेने के प्रयासों को जटिल बनाता है।

भारत में NSA कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने के उपाय:

- **"संपूर्ण-सरकार" राष्ट्रीय सुरक्षा डेटाबेस को कार्यान्वित करना:** एक सुरक्षित, केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना जो विभिन्न मंत्रालयों, खुफिया एजेंसियों और सैन्य शाखाओं से वास्तविक समय की जानकारी को एकीकृत करता हो।
  - यह प्रणाली NSA और प्रमुख निर्णयकर्त्ताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों तथा अवसरों के बारे में **व्यापक, अद्यतन** जानकारी उपलब्ध कराएगी।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा दूरदर्शिता इकाई का गठन:** NSA कार्यालय के भीतर एक समर्पित टीम की स्थापना करना जो दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और परिदृश्य विश्लेषण पर केंद्रित हो।
  - यह इकाई संभावित भावी सुरक्षा चुनौतियों और अवसरों पर नियमित रूप से रिपोर्ट तैयार करेगी, जिससे सक्रिय नीतियों को आकार देने में मदद मिलेगी।
- **अंतर-राज्यीय सुरक्षा समन्वय तंत्र विकसित करना:** राज्य स्तरीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ नियमित परामर्श और समन्वय के लिये NSA के तहत एक औपचारिक संरचना स्थापित करना।
  - इससे संघीय और राज्य स्तर पर सूचना साझाकरण तथा नीति कार्यान्वयन में विशेष रूप से सीमा सुरक्षा एवं आतंकवाद-रोधी जैसे मुद्दों पर सुधार होगा।
- **नेशनल क्राइसिस सिमुलेशन केंद्र की स्थापना:** विभिन्न सुरक्षा परिदृश्यों के नियमित, बड़े पैमाने पर सिमुलेशन आयोजित करने के लिये अत्याधुनिक सुविधा का निर्माण करना।
  - यह केंद्र नीति निर्माताओं, सैन्य नेताओं और प्रमुख हितधारकों को जटिल संकटों के लिये समन्वित प्रतिक्रियाओं का अभ्यास करने, समग्र तैयारियों में सुधार करने तथा वर्तमान सुरक्षा ढाँचे में अंतराल की पहचान करने की अनुमति देगा।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा नवाचार निधि की स्थापना:** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास में निवेश हेतु एक समर्पित निधि की स्थापना करना।
  - यह निधि भारत की सुरक्षा से संबंधित तकनीकी प्रगति की दिशा में क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत सामग्री, स्वायत्त प्रणालियों और अंतरिक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करेगी।
- **राष्ट्रीय संज्ञानात्मक युद्ध केंद्र की स्थापना:** युद्ध का सामना करने और उसमें क्षमताएँ विकसित करने के लिये एक विशेष संस्थान का निर्माण करना, जो भारत के सूचना क्षेत्र एवं सामाजिक सामंजस्य की रक्षा पर केंद्रित हो।
  - यह केंद्र मनोविज्ञान, डेटा विज्ञान और रणनीतिक संचार में विशेषज्ञता को संयोजित करेगा, ताकि प्रभाव संचालन, दुष्प्रचार अभियानों तथा संज्ञानात्मक हेर-फेर के अन्य रूपों से बचाव किया जा सके एवं संभावित रूप से उनमें संलग्न रह सके।
- **पारदर्शी मीट्रिक प्रणाली लागू करना:** राष्ट्रीय सुरक्षा परिणामों के लिये प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का एक समूह विकसित करना, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और प्रासंगिक सरकारी हितधारकों को (सुरक्षित तरीके से) रिपोर्ट की जाएगी।
  - इससे जवाबदेही बढ़ेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन में निरंतर सुधार का आधार मिलेगा।

निष्कर्ष:

हुड्डा समिति (2019) ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सिफारिश की थी। एक सतर्क और अनुकूलनीय राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे को अपनाकर तथा NSA को सशक्त बनाकर, भारत गतिशील वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकता है साथ ही 21वीं सदी में अपने हितों एवं सिद्धांतों की रक्षा कर सकता है।

प्रश्न : आतंकवाद एवं संगठित अपराध के वित्तपोषण पर मनी लॉन्ड्रिंग का बढ़ता प्रभाव, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा बन गया है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- मनी लॉन्ड्रिंग को परिभाषित कर आतंकवाद एवं संगठित अपराध के साथ इसका संबंध बताकर परिचय दीजिये।
- आतंकवाद के वित्तपोषण में मनी लॉन्ड्रिंग की भूमिका और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा कीजिये।
- संगठित अपराध में मनी लॉन्ड्रिंग की भूमिका और इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

नोट :

परिचय:

मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन, धन के अवैध स्रोत को छिपाने की प्रक्रिया, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बड़ा खतरा है। इसका आतंकवादी और संगठित अपराध में महत्त्वपूर्ण योगदान है, जिससे उन्हें दंड से मुक्त होकर कार्य करने तथा राष्ट्र को अस्थिर करने में मदद मिलती है।

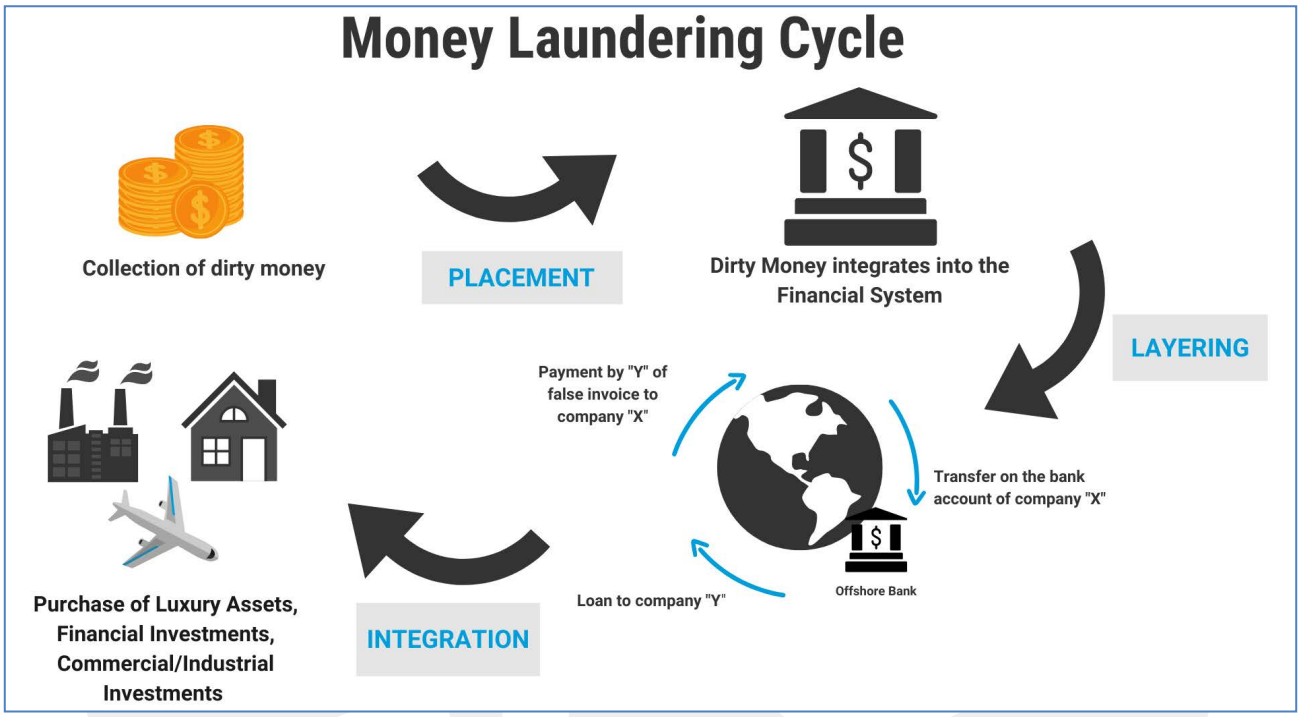

मुख्य बिंदु:

आतंकवाद के वित्तपोषण पर मनी लॉन्ड्रिंग

वित्तपोषण:

- **हवाला नेटवर्क:** अनौपचारिक मूल्य हस्तांतरण प्रणालियाँ पारंपरिक बैंकिंग चैनलों के बाहर कार्य करती हैं, जैसा कि वर्ष 2022 में राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) द्वारा जम्मू और कश्मीर में आतंकी फंडिंग नेटवर्क की दी गई जानकारी से पता चलता है।
- **क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन:** डिजिटल मुद्राओं का फायदा आतंकी हमलों में उठाया जाता है, जैसा कि बेंगलुरु कैफे आतंकी हमले के मामले में देखा गया था, जहाँ ISIS से जुड़े फंडिंग नेटवर्क क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के ज़रिए कार्य कर रहे थे।
- **शेल कंपनियाँ और फ्रंट बिज़नेस:** वैध संस्थाओं द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन को छिपाया जाता हैं, जिसका उदाहरण प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा वर्ष 2024 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) में कथित आतंकी वित्तपोषण के लिये की गई जाँच है।

आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव:

- **आतंकवादी बुनियादी ढाँचे को बनाए रखना:** प्रशिक्षण शिविरों और रसद सहायता के लिये संसाधन उपलब्ध कराना, जैसा कि मणिपुर और नगालैंड (2021-2023) में पूर्वोत्तर आतंकवादी समूहों की चल रही जाँच में पता चला है।
- **कट्टरपंथ और भर्ती को प्रोत्साहित करना:** वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना और प्रचार अभियानों को वित्त पोषित करना, कई राज्यों में पीएफआई के कथित संचालन में देखी गई एक रणनीति है।
- **विस्फोटक हथियारों की खरीद को सक्षम करना:** परिष्कृत हथियार हासिल करना, जैसा कि सीमा पार आतंकवाद के मामलों में देखा गया है।

धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और संगठित अपराध:

प्रमुख क्षेत्र:

- **नशीली दवाओं की तस्करी:** नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कई ऑपरेशनों से पता चलता है कि नारकोटिक्स के व्यापार से होने वाले लाभ (खास तौर पर गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल क्षेत्रों) की मनी लॉन्ड्रिंग करना।
- **साइबर अपराध:** रैनसमवेयर हमलों और ऑनलाइन धोखाधड़ी के ज़रिए हासिल की गई धनराशि की मनी लॉन्ड्रिंग करना, जिसका उदाहरण मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल चीनी लोन ऐप के खिलाफ ED द्वारा वर्ष 2023 में की गई कार्रवाई है।

नोट :

- **रियल एस्टेट:** अवैध धन को एकीकृत करने के लिये संपत्ति निवेश का उपयोग करना, जैसा कि आयकर विभाग और ईडी द्वारा प्रमुख भारतीय शहरों में की गई जाँच के कई मामलों में देखा गया है।

आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव:

- **भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता:** संगठित अपराध और धन शोधन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, जिससे शासन में जनता का विश्वास खत्म होता है।
  - **उदाहरण:** 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में बड़े पैमाने पर धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति उत्पन्न हुई और राजनीतिक व्यवस्था में जनता का विश्वास खत्म हो गया।
- **कानून प्रवर्तन को कमज़ोर करना:** धन शोधन में शामिल आपराधिक संगठनों के पास अक्सर कानून प्रवर्तन से बचने के लिये पर्याप्त संसाधन होते हैं, जिससे संगठित अपराध को नियंत्रित करना और रोकना मुश्किल हो जाता है।
  - **उदाहरण:** दाऊद इब्राहिम अपराध सिंडिकेट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चकमा देकर और विदेशों से अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखते हुए, सफलतापूर्वक धन शोधन किया।
- **आर्थिक विकृति:** धन शोधन संसाधनों को वैध गतिविधियों से अवैध गतिविधियों में परिवर्तित कर अर्थव्यवस्था को विकृत करता है, जिससे आर्थिक विकास और स्थिरता प्रभावित होती है।

आगे की राह:

- **वित्तीय विनियमन को सुदृढ़ बनाना:** KYC (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों को सख्त बनाना तथा संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट करना।
  - धन शोधनकर्त्ताओं की उभरती हुई रणनीतियों से निपटने के लिये धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को और अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- **कानून प्रवर्तन क्षमता में वृद्धि:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करके धन शोधन की संबंधी जाँच तथा मुकदमा चलाने हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षण एवं उपकरण प्रदान करना।
  - कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर विशेष इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं, जो विशेष रूप से धन शोधन गतिविधियों की जाँच पर ध्यान केंद्रित करेंगी।
- **जन जागरूकता अभियान:** धन शोधन तकनीकों और संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने के तरीके के बारे में जनता को शिक्षित करना।
  - जन जागरूकता अभियान नागरिकों को संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पहचान करने और रिपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं, जिससे धन शोधन गतिविधियों पर रोक लग सकती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को बाधित करने के लिये अन्य देशों के साथ सूचना और खुफिया जानकारी साझा करना।
  - वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) जैसे संगठनों में भारत की बढ़ी हुई भागीदारी धन शोधन से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

धन शोधन/मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई एक सतत् लड़ाई है, जिसके लिये लगातार विकसित हो रही आपराधिक रणनीति के साथ अनुकूलन की आवश्यकता होती है। भारत की भविष्य की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय खुफिया जानकारी के लिये अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाने और अनौपचारिक चैनलों पर निर्भरता को कम करने के लिये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है।

आपदा प्रबंधन

प्रश्न : "आपदा प्रतिरोधी आजीविका" की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। भारत के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- आपदा प्रतिरोधी आजीविका को परिभाषित करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- आपदा प्रतिरोधी आजीविका की ताकत और सीमाओं पर प्रकाश डालिये।
- भारत के आपदा-प्रवण क्षेत्रों में आपदा प्रतिरोधी आजीविका को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइये।
- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

"आपदा-रोधी आजीविका" की अवधारणा से तात्पर्य व्यक्तियों और समुदायों की आपदाओं के सामने अपनी आजीविका को बनाए रखने या शीघ्रता से पुन: प्राप्त करने की क्षमता से है।

नोट :

- **अनुकूलन क्षमता:** संभावित क्षति के प्रति समायोजन करने और परिणामों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता।
- **अवशोषण क्षमता:** संघर्ष और दबावों को अवशोषित करने की क्षमता।
- **परिवर्तनकारी क्षमता:** जब मौजूदा स्थितियाँ असहनीय हों तो नई प्रणालियाँ बनाने की क्षमता।

मुख्य भाग:

आपदा-प्रतिरोधी आजीविका की शक्ति और सीमाएँ:

शक्ति:

- **समग्र दृष्टिकोण:** सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत करता है।
- **सक्रिय रुख:** आपदा के बाद की प्रतिक्रिया के बजाय आपदा-पूर्व तैयारी पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **सतत् विकास:** सतत् विकास लक्ष्यों, विशेषकर लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) और लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) के साथ संरेखित है।
- **सामुदायिक सशक्तिकरण:** स्थानीय ज्ञान और भागीदारी पर ज़ोर दिया जाता है।

सीमाएँ:

- **जटिलता:** इसके लिये अनेक क्षेत्रों और हितधारकों के बीच जटिल समन्वय की आवश्यकता होती है।
- **संसाधन-गहन:** महत्त्वपूर्ण वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधनों की मांग करता है।
- **संदर्भ-विशिष्टता:** समाधान विविध भौगोलिक क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं हो सकते हैं।
- **मापन चुनौतियाँ:** लचीलेपन और प्रगति को मापने में कठिनाई।
- **दुरनुकूलन (Maladaptation) की संभावना:** खराब तरीके से क्रियान्वित की गई रणनीतियाँ अनजाने में भेद्यता को बढ़ा सकती हैं।

भारत के आपदा-प्रवण क्षेत्रों में आपदा-रोधी आजीविका को बढ़ावा देना:

वित्तीय सेवाओं तक पहुँच:

- आपदा-प्रवण समुदायों की आवश्यकताओं के अनुरूप माइक्रोफाइनेंस और बीमा उत्पाद उपलब्ध कराना।
- आपदा के बाद समुदायों की सहायता के लिये आपातकालीन निधि और बचत योजनाएँ स्थापित करना।
- पुनर्निर्माण और आजीविका बहाली के लिये कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

जोखिम मूल्यांकन और मानचित्रण:

- वास्तविक समय आपदा जोखिम निगरानी के लिये आपातकालीन प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस (NDEM) को कार्यान्वित करना।
- विस्तृत भेद्यता मानचित्रण (उदाहरणत: बाढ़ के खतरे वाले क्षेत्रीकरण हेतु इसरो का भुवन प्लेटफॉर्म) के लिये उपग्रह इमेजरी और GIS का उपयोग करना ।

जलवायु-स्मार्ट कृषि:

- सूखा-प्रतिरोधी फसल किस्मों (उदाहरण के लिये ICAR की सूखा-सहिष्णु चना किस्में) को बढ़ावा देना।
- कृषि वानिकी (उदाहरण के लिये बुंदेलखंड क्षेत्र में ICRAF का कार्य) को प्रोत्साहित करना।

आजीविका विविधीकरण:

- संवेदनशील क्षेत्रों में इको-पर्यटन (जैसे- लद्दाख में हिमालयन होमस्टे कार्यक्रम) को प्रोत्साहित करना।

वित्तीय समावेशन और जोखिम हस्तांतरण:

- तेज़ी से दावा निपटान (उदाहरण के लिये महाराष्ट्र में बीड मॉडल) के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का कवरेज बढ़ाना।

बुनियादी ढाँचे का विकास:

- बाढ़ प्रबंधन (उदाहरणत: केरल में रूम फॉर रिवर परियोजना) के लिये प्रकृति-आधारित समाधान लागू करना ।

तकनीकी एकीकरण:

- आपदा पूर्वानुमान (उदाहरणत: पटना में गूगल की बाढ़ पूर्वानुमान पहल) के लिये AI और बड़े डेटा का उपयोग करना।
- आपदा संचार (जैसे- NDMA का सेफ्टीपिन ऐप) के लिये मोबाइल ऐप्स को बढ़ावा देना।

स्थानीय शासन को सुदृढ़ बनाना:

- शहरों में शहरी जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमों (उदाहरणत: भारत के 56 शहरों में UNDP की शहरी जोखिम न्यूनीकरण परियोजना) को लागू करना।

निष्कर्ष:

भारत के संवेदनशील क्षेत्रों के लिये आपदा-प्रतिरोधी आजीविका को बढ़ावा देना आवश्यक है। नीति, आजीविका विविधीकरण, सामाजिक सुरक्षा, संसाधन पहुँच, बुनियादी ढाँचे के विकास और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को शामिल करने वाला एक व्यापक दृष्टिकोण लचीले समुदायों के निर्माण तथा आजीविका की सुरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

पर्यावरण

प्रश्न : आक्रामक प्रजातियों के पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिये तथा उनके नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- आक्रामक प्रजातियों के बारे में उदाहरण सहित उल्लेख करते हुए परिचय दीजिये।
- आक्रामक प्रजातियों के पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभावों के महत्त्वपूर्ण प्रभावों पर चर्चा कीजिये।
- इन प्रजातियों के प्रतिकूल प्रभावों के उन्मूलन के लिये रणनीतियों की सूची बनाइये।
- सकारात्मक निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आक्रामक प्रजाति वह प्रजाति है जो विचाराधीन पारिस्थितिकी तंत्र के लिये गैर-स्वदेशी प्रजाति (या विदेशी) है और जिसके प्रवेश से आर्थिक या पर्यावरणीय हानि या मानव स्वास्थ्य को हानि होने की संभावना होती है।

- अफ्रीकी कैटफिश, नील तिलापिया, रेड-बेलिड पिरान्हा और एलीगेटर गार जैसी प्रजातियाँ भारत में आक्रामक वन्यजीवों की सूची में प्रमुख हैं।
- जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी प्लेटफॉर्म (IPBES) के अनुसार, विश्व भर के क्षेत्रों तथा बायोम में कई मानवीय गतिविधियों द्वारा 37,000 से अधिक विदेशी प्रजातियाँ पाई गई हैं।

मुख्य भाग:

आक्रामक प्रजातियों के पारिस्थितिक और आर्थिक प्रभाव:

- **खाद्य जाल और आवास संरचना में परिवर्तन:** आक्रामक प्रजातियाँ स्थानीय खाद्य स्रोतों को नष्ट करके या उनकी जगह लेकर पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को प्रभावित कर सकती हैं। आक्रामक प्रजातियाँ वन्यजीवों के लिये बहुत कम या बिलकुल भी खाद्य मूल्य प्रदान नहीं कर सकती हैं।
  - आक्रामक प्रजातियाँ उन प्रजातियों की प्रचुरता या विविधता को भी प्रभावित कर सकती हैं, जो देशी वन्यजीवों के लिये महत्त्वपूर्ण आवास प्रदान करती हैं।
- **स्थानीय समुदायों पर सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव:** आक्रामक प्रजातियाँ स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और मूल भू-परिदृश्यों को सांस्कृतिक रूप से प्रभावित करती हैं।
  - उदाहरण के लिये, प्रोसोपिस के आक्रमण ने कच्छ के रण में प्रवासी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे जल स्रोतों तक पहुँच कम हो गई है तथा चरागाह संसाधनों में कमी के कारण पशुपालकों के बीच संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।
- **भारतीय वनों का व्यापक नुकसान:** यह अनुमान लगाया गया है कि लैंटाना कैमरा नामक एक आक्रामक वनस्पति प्रजाति ने 38.8% वनों को विशेष रूप से उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों के क्षीण वनों को नुकसान पहुँचाया है।
  - **लैंटाना सामान्यत:** मध्य भारत, शिवालिक पहाड़ियों और दक्षिणी पश्चिमी घाट के शुष्क पर्णपाती वनों के भू-परिदृश्यों में व्यापक रूप से वितरित है।
- **प्रबंधन व्यय:** सरकारें और निजी संस्थाएँ आक्रामक प्रजातियों की रोकथाम, शीघ्र पहचान एवं नियंत्रण हेतु संसाधनों पर व्यय करती हैं।
  - आक्रामक प्रजातियों से प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के प्रयास महँगे और दीर्घकालिक हो सकते हैं, जिसमें स्वदेशी प्रजातियों को पुन: स्थापित तथा आवासों का पुनर्वास करना शामिल है।

नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु रणनीतियाँ:

वैश्विक:

- **जैवविविधता पर कन्वेंशन (CBD):** CBD के अनुच्छेद 8 (h) में कहा गया है कि प्रत्येक पक्ष को पारिस्थितिकी तंत्र, आवासों या प्रजातियों को खतरा पहुँचाने वाली विदेशी प्रजातियों को आने से रोकना, नियंत्रित करना या उनका उन्मूलन करना चाहिये।
- **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता:** सतत् विकास लक्ष्य 6, जो कि यूएन-सीबीडी के तहत एक समझौता है, के तहत भारत सहित सदस्य देशों को 2030 तक जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रभाव को 50% तक कम करने की आवश्यकता है।
- **IUCN आक्रामक प्रजाति विशेषज्ञ समूह (ISSG):** वैश्विक आक्रामक प्रजाति डेटाबेस (GISD) तथा पेश की गई और आक्रामक विदेशी प्रजातियों के वैश्विक रजिस्टर का प्रबंधन करता है।

भारत:

- **राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना:** लक्ष्य 4 विशेष रूप से आक्रामक प्रजातियों की रोकथाम और प्रबंधन पर केंद्रित है।
- **आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPINVAS):** नए प्रवेश को रोकने, स्थापित आक्रामक

नोट :

प्रजातियों का शीघ्र पता लगाने, नियंत्रण एवं प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है।

निष्कर्ष :

आक्रामक प्रजातियाँ महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं, वैश्विक समुदाय के सम्मिलित प्रयास, नवीन रणनीतियों और मज़बूत शासन के साथ मिलकर, जैवविविधता को संरक्षित करने तथा स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने की आशा प्रदान करते हैं। सतत् एवं अनुकूल दृष्टिकोणों के साथ भावी पीढ़ियों की प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रखना संभव है।

प्रश्न : चर्चा कीजिये कि भारत दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के लिये विकास के सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में जैवविविधता संरक्षण को किस प्रकार मुख्यधारा में ला सकता है। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- जैवविविधता संरक्षण और विकास के बीच संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए परिचय दीजिये।
- प्रमुख क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा कीजिये और बताएँ कि जैवविविधता संरक्षण को किस प्रकार मुख्यधारा में लाया जा सकता है। सकारात्मक निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना भारत का भविष्य का लक्ष्य है। जबकि विकास सामाजिक कल्याण के लिये महत्त्वपूर्ण है, प्राकृतिक रूप से विश्व की उपेक्षा दीर्घकालिक स्थिरता को खतरे में डालती है।

भारत के लिये सतत् लक्ष्य प्राप्त करने हेतु जैवविविधता संरक्षण को विकास क्षेत्रों में शामिल करना महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

कृषि क्षेत्र:

- **कृषि जैवविविधता को बढ़ावा देना:** देशी फसल किस्मों की खेती को प्रोत्साहित करना तथा जैवविविधता को बढ़ाने वाली पारंपरिक कृषि पद्धतियों का समर्थन करना आदि।
  - **उदाहरण:** पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001, जो विविध किस्मों के बीजों को बचाने, उपयोग करने तथा साझा करने के किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- **सतत् कृषि पद्धतियाँ:** जैविक खेती और एकीकृत कीट प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।
  - **उदाहरण:** परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) संपूर्ण भारत में जैविक खेती समूहों को बढ़ावा दे रही है।

वानिकी क्षेत्र:

- **सतत् वन प्रबंधन:** पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण को लागू करना तथा समुदाय आधारित वन प्रबंधन को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण:** हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन, जिसका लक्ष्य वन क्षेत्र को बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना है।
- **क्षरित वनों की बहाली:** बड़े पैमाने पर वनरोपण कार्यक्रमों को लागू करना। वनरोपण प्रयासों में देशी प्रजातियों को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुन: उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना है।
- **वन संपर्क बढ़ाना:** वन्यजीव गलियारे बनाना। तथा भू-दृश्य-स्तरीय संरक्षण दृष्टिकोण लागू करना।
  - **उदाहरण:** कई राज्यों में हाथी गलियारे बनाने के हालिया प्रयास

मत्स्य पालन क्षेत्र:

- **मछली पकड़ने की सतत् विधियाँ:** कैच कोटा और आकार सीमा को निर्धारित करना तथा जलीय कृषि को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण:** तटीय राज्यों के समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम, जो जाल के आकार के विनियमन और मौसमी मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाता है।
- **समुद्री संरक्षित क्षेत्र:** समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार और प्रभावी प्रबंधन।
  - **उदाहरण:** हाल ही में लक्षद्वीप द्वीपसमूह में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार।

बुनियादी ढाँचा और शहरी विकास:

- **हरित अवसंरचना:** शहरी नियोजन में जैवविविधता संबंधी विचारों को एकीकृत करना, हरित और शहरी वनों को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण:** दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों में जैवविविधता पार्कों का विकास

नोट :

- **वन्यजीव-अनुकूल रैखिक अवसंरचना:** सड़कों और रेलमार्गों में वन्यजीव मार्गों का क्रियान्वयन।
  - संवेदनशील क्षेत्रों में भूमिगत विद्युत पारेषण लाइनों को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण:** पेंच टाइगर रिज़र्व के पास NH-7 पर निर्मित वन्यजीव अंडरपास और ओवरपास

ऊर्जा क्षेत्र:

- **जैवविविधता सुरक्षा उपायों के साथ नवीकरणीय ऊर्जा:** नवीकरणीय परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन लागू करना। वन्यजीवों के अनुकूल पवन और सौर फार्म डिज़ाइनों को बढ़ावा देना।
  - **उदाहरण:** वन क्षेत्रों में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के दिशा-निर्देश।
- **सतत् जलविद्युत:** पर्यावरणीय प्रवाह विनियमनों का कार्यान्वयन, बाँध डिज़ाइनों में मछलियों के लिये मार्ग सुनिश्चित करना।
  - **उदाहरण:** राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा नदी प्रणाली के लिये जारी ई-प्रवाह अधिसूचनाएँ

पर्यटन क्षेत्र:

- **इकोटूरिज़्म को बढ़ावा देना:** समुदाय आधारित इकोटूरिज़्म मॉडल विकसित करना तथा संवेदनशील क्षेत्रों में वहन क्षमता सीमा लागू करना।
  - **उदाहरण:** संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पर्यटन गतिविधियों को विनियमित करने वाली इको-सेंसिटिव ज़ोन अधिसूचनाएँ।

निष्कर्ष:

भारत के लिये दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त करने के लिये विकास क्षेत्रों में सतत् विकास लक्ष्य 14 और 15 को बढ़ावा देने के लिये जैवविविधता संरक्षण को मुख्यधारा में लाना आवश्यक है। चूँकि भारत अपनी समृद्ध जैविक विरासत के साथ अपनी विकास आकांक्षाओं को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिये जैवविविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना एक सतत् और लचीले भविष्य का मार्ग प्रदान करता है।

विज्ञान-प्रौद्योगिकी

प्रश्न : भारत के लिये स्वच्छ और सतत् ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कीजिये। परमाणु ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत की ऊर्जा मांग और खपत की स्थिति का उल्लेख करते हुए उत्तर का परिचय दीजिये।
- भारत के लिये स्वच्छ और सतत् ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा की व्यवहार्यता पर चर्चा कीजिये?
- संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह की पर चर्चा कीजिये?
- सकारात्मक रूप से निष्कर्ष लिखिये?

परिचय:

भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, जहाँ ऊर्जा की मांग में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है, वर्ष 2020 से कुल खपत में प्रतिवर्ष लगभग 6.5% की वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत के ऊर्जा मिश्रण में अधिकांश हिस्सा कोयले का है, जो लगभग 40% है। जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हुए इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये स्थायी ऊर्जा विकल्पों, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा का पता लगाने की त्वरित आवश्यकता है।

भारत में परमाणु ऊर्जा विद्युत का पाँचवाँ सबसे बड़ा स्रोत है, जो देश के कुल विद्युत उत्पादन में लगभग 2% का योगदान देता है।

मुख्य भाग:

आर्थिक व्यवहार्यता:

- **लागत लाभ:** रेडियोधर्मी ईंधन के प्रबंधन और निपटान की लागत के बावजूद, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कोयला या गैस संयंत्रों की तुलना में संचालित करने के लिये सस्ते हैं। अनुमान बताते हैं कि परमाणु संयंत्रों की लागत कोयला संयंत्र की तुलना में केवल 33-50% और गैस संयुक्त-चक्र संयंत्र की तुलना में 20-25% है।
- **कच्चे माल की उपलब्धता:** हालाँकि भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन वर्तमान में यूरेनियम के उपयोग पर हावी है जिसे आयात किया जाता है, देश में दुनिया के थोरियम भंडार का 25% हिस्सा है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा हिस्सा है।
  - थोरियम में परमाणु संयंत्रों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में कार्य करने की क्षमता है, जिससे आयात का बोझ कम हो सकता है और परमाणु ऊर्जा अधिक सस्ती हो सकती है।
- **विदेशी सहयोग:** उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले देशों के साथ सहयोग भारत की परमाणु क्षमता को बढ़ा सकता है तथा घरेलू औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद कर सकता है। इससे लागत कम हो सकती है तथा तकनीकी क्षमताओं में सुधार हो सकता है।

नोट :

- **आर्थिक लाभ:** परमाणु क्षेत्र का विकास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकता है, जिससे 'मेक इन इंडिया' पहल को समर्थन मिलेगा तथा कुशल कार्यबल का निर्माण होगा।

पर्यावरणीय व्यवहार्यता:

- **निम्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन:** परमाणु ऊर्जा एक निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोत है। कोयला आधारित विद्युत की जगह परमाणु ऊर्जा की प्रत्येक इकाई लगभग 1 किलोग्राम CO_2 उत्सर्जन बचाती है। वर्ष 2015-16 में भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन ने 37 मिलियन टन से अधिक CO_2 की बचत की है।
  - भारत ने वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोडकर के अनुसार, भारत परमाणु ऊर्जा के बिना नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है।
- **जीवन चक्र उत्सर्जन:** परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिये औसत जीवन चक्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सभी ऊर्जा स्रोतों में सबसे कम है, जो सौर ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में काफी कम है।
- **भूमि उपयोग दक्षता:** परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को समान स्थापित क्षमता के लिये सौर ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है, जो उन्हें भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों के लिये उपयुक्त बनाता है।

चुनौतियाँ:

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी ऐतिहासिक घटनाओं के उदाहरण के रूप में भयावह दुर्घटनाओं की संभावना के कारण लोगों में आशंका बनी हुई है। कड़े सुरक्षा उपायों तथा संचार के माध्यम से जनता का विश्वास बनाना एवं बनाए रखना सर्वोपरि है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम सुनिश्चित करते हुए अनिवार्य सुरक्षित, दीर्घकालिक भंडारण समाधान विकसित है।
- **अपर्याप्त परमाणु स्थापित क्षमता:** वर्ष 2008 में परमाणु ऊर्जा आयोग ने अनुमान लगाया था कि भारत में वर्ष 2050 तक 650GW क्षमता स्थापित होगी, वर्तमान में केवल 6.78 GW है।
- **नियामक ढाँचा:** भारत का परमाणु क्षति अधिनियम, 2010 के लिये नागरिक दायित्व, विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जो अपने नियंत्रण से परे दुर्घटनाओं हेतु उत्तरदायी होने से डरते हैं। इस दायित्व संबंधी चिंता ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं निवेश में बाधा उत्पन्न की है।
- **सार्वजनिक स्वीकृति:** सामाजिक प्रतिरोध पर काबू पाने के लिये सक्रिय भागीदारी, शिक्षा और जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शमन के संदर्भ में गलत धारणाओं को दूर करना तथा परमाणु ऊर्जा के लाभों को प्रदर्शित करना महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

आगे की राह:

- **PHWR विस्तार:** स्वदेशी 700 मेगावाट PHWR, जिसकी पहली इकाई पहले से ही चालू है, 'बेस लोड' विद्युत क्षमता बढ़ाने का प्राथमिक स्रोत होना चाहिये। वर्तमान में फ्लीट एप्रोच का उपयोग करके पँद्रह और इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।
  - मल्टिपल फ्लीट कार्यान्वयन में NPCIL के अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs) को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- **SMRs और कोयला संयंत्र प्रतिस्थापन:** आने वाले दशकों में बंद हो रहे कोयला संयंत्रों से खाली होने वाले कई स्थलों पर स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) का निर्माण किया जाना चाहिये। इन इकाइयों को आयात करने से बिजली उत्पादन महँगा हो जाएगा।
  - देश में सबसे अधिक संख्या में कोयला संयंत्रों वाली कंपनी NTPC, इस प्रक्रिया में एक स्वाभाविक रूप से साझेदारी है तथा अतिरिक्त औद्योगिक साझेदार भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
- **परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के साथ एकीकृत करना:** एक संतुलित ऊर्जा रणनीति अपनाएँ जो परमाणु ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकृत करती है। इससे देश की बड़ी और विविध ऊर्जा मांगों को स्थायी तरीके से पूरा करने में मदद मिल सकती है।
- **थोरियम ऊर्जा विकास:** दीर्घकालिक स्थायी ऊर्जा आपूर्ति के लिये पहले से मौजूद योजनाओं के अनुसार थोरियम ऊर्जा क्षमता को मुक्त करने के लिये दूसरे और तीसरे चरण के परमाणु-ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में तेज़ी लानी चाहिये।
  - भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में अपेक्षित क्षमता है।
- **नीतिगत समर्थन:** परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकार से मज़बूत नीतिगत समर्थन सुनिश्चित कीजिये। इसमें विदेशी निवेश, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और नवाचार के लिये प्रोत्साहन हेतु अनुकूल नीतियाँ शामिल हैं।

नोट :

निष्कर्ष:

दूरदर्शी नीतिगत ढाँचों और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, भारत परमाणु ऊर्जा की परिवर्तनकारी क्षमता को बड़ा सकता है, जिससे भविष्य की ओर अग्रसर हो सकता है जहाँ ऊर्जा सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण के साथ सहज रूप से जुड़े हुए है। सामूहिक कार्रवाई तथा दूरदर्शिता के माध्यम से, भारत आने वाली पीढ़ियों के लिये एक उज्जवल कल सुनिश्चित करते हुए, सतत् ऊर्जा समाधानों में वैश्विक नेतृत्व करने के लिये एक मार्ग तैयार करता है।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :

सामान्य अध्ययन पेपर-4

केस स्टडी

प्रश्न : आप एक ऐसे शहर के पुलिस अधीक्षक हैं, जहाँ एक प्रमुख धार्मिक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में सीमित आधारभूत अवसंरचना वाले पवित्र स्थल पर दस लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बावजूद, मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के पास तीर्थयात्रियों की अचानक वृद्धि के कारण भगदड़ मच गई। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि बहुत अधिक जनहानि तथा कुछ लोग घायल हुए हैं।

मंदिर परिसर के आस-पास की संकरी गलियाँ भीड़भाड़ से भरी हुई हैं, जिससे आपातकालीन वाहनों का क्षेत्र तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर झूठी अफवाहें तेज़ी से फैल रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि भगदड़ की वजह आतंकवादी हमला था, जिससे लोगों में दहशत और सांप्रदायिक तनाव की संभावना बढ़ गई। अगले कुछ घंटों में आपकी कार्रवाई आगे की दुर्घटनाओं तथा स्थिति को और अधिक बढ़ने से रोकने में निर्णायक होगी।

1. इस मामले में शामिल प्रमुख हितधारकों की पहचान कीजिये।
2. आगे की दुर्घटनाओं को रोकने और भगदड़ के बाद की स्थिति को संभालने के लिये तत्काल क्या उपाय किये जाने चाहिये?
3. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और बड़ी सार्वजनिक सभाओं में सुरक्षा बढ़ाने के लिये लागू की जाने वाली दीर्घकालिक रणनीतियों पर चर्चा कीजिये।

उत्तर :

परिचय:

पुलिस अधीक्षक (SP) के रूप में अचानक भीड़ के बढ़ने से होने वाली भगदड़ को संभालना महत्त्वपूर्ण है। सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बावजूद, मंदिर के आस-पास की भीड़ आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को और भी अधिक जटिल कर देती है। सोशल मीडिया पर आतंकवादी हमले की झूठी अफवाहों से लोगों में दहशत बढ़ती है, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने, अफवाहों को दूर करने और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिये त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाता है।

मुख्य बिंदु :

1. इस मामले में शामिल प्रमुख हितधारकों की पहचान कीजिये।

हितधारक	भूमिका/ज़िम्मेदारी
पुलिस अधीक्षक	बचाव एवं राहत प्रयासों का समग्र समन्वय, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, अफवाहों पर नियंत्रण तथा भीड़ का प्रबंधन करना।
स्थानीय पुलिस बल	भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता करना, आपातकालीन वाहनों को निर्देशित करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा भविष्य में आतंक को रोकना।
आपातकालीन चिकित्सा संबंधी सेवाएँ	घायलों को तत्काल चिकित्सा संबंधी सुविधा प्रदान करना, घायलों को अस्पताल पहुँचाना तथा अस्थायी चिकित्सा केंद्र स्थापित करना।
अग्निशमन विभाग	बचाव कार्यों में सहायता करना, आपातकालीन वाहनों के पहुँच हेतु मार्ग को साफ करना, तथा आपातकालीन सहायता प्रदान करना।
महोत्सव आयोजक	भीड़ प्रबंधन में सहायता प्रदान करना, अधिकारियों को सूचना और अद्यतन संबंधी जानकारी प्रदान करना तथा राहत हेतु सहयोग करना।
स्थानीय समुदाय के नेता	भीड़ को शांत करने, सटीक जानकारी प्रसारित करने और सांप्रदायिक तनाव को रोकने में सहायता करना।
जनसंपर्क/ मीडिया	सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सटीक जानकारी प्रदान करना, झूठी अफवाहों का सामना करना तथा जनता को सुरक्षा संबधी उपायों के बारे में सूचित करना।
स्वयंसेवक और गैर-सरकारी संगठन	बचाव कार्यों में सहायता करना, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना तथा राहत सामग्री के वितरण में सहयोग करना।
परिवहन प्राधिकरण	यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना, आपातकालीन वाहनों के लिये स्पष्ट मार्ग सुनिश्चित करना तथा विस्थापित व्यक्तिओं के लिये परिवहन उपलब्ध कराना।

नोट :

2. आगे और अधिक होने वाली जनहानि को रोकने तथा भगदड़ के बाद की स्थिति को संभालने के लिये तत्काल क्या उपाय किये जाने चाहिये?

जीवन संबंधी सुरक्षा को प्राथमिकता देना:

- **भीड़ नियंत्रण:**
  - प्रभावित क्षेत्र के चारों ओर घेरा बनाकर पर्याप्त पुलिस कर्मियों को तैनात करना ताकि भीड़ को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके।
  - स्पष्ट निर्देश देने के लिये लाउडस्पीकर का उपयोग करना, भीड़ पर नियंत्रण पाने और भगदड़ वाले क्षेत्र से दूर जाने का आग्रह करना।
  - लोगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से बाहर निकालने के लिये निर्दिष्ट मार्ग की व्यवस्था करना।
- **आपातकालीन प्रतिक्रिया:**
  - घटनास्थल पर पर्याप्त संख्या में एंबुलेंस और चिकित्सा कर्मियों को भेजना।
  - चोटों का आकलन करने और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के उपचार को प्राथमिकता देने के लिये ट्राइएज पॉइंट स्थापित करना।
  - यदि आवश्यक हो, तो आस-पास के अस्पतालों या पड़ोसी ज़िलों से अतिरिक्त चिकित्सा सहायता का अनुरोध करना।
- **संचार एवं सूचना नियंत्रण:**
  - झूठी अफवाहों और सोशल मीडिया पर दहशत फैलने से रोकने के लिये तत्काल संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर कार्य करना तथा आस-पास के क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस बंद करना।
  - सत्यापित मीडिया आउटलेट्स के माध्यम से आधिकारिक बयान जारी करना, स्थिति को स्पष्ट करना और घटना, हताहतों तथा चल रहे प्रतिक्रिया प्रयासों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करना।

घटनास्थल को सुरक्षित करें और व्यवस्था बनाए रखें:

- **दृश्य संरक्षण:**
  - भगदड़ वाले क्षेत्र को सुरक्षित करना ताकि चिकित्साकर्मी घायल हुए का इलाज कर सकें और प्रारंभिक जाँच शुरू कर सकें।
  - व्यवस्था बनाए रखने और लूटपाट या आगे की गड़बड़ी को रोकने के लिये अतिरिक्त पुलिस इकाइयों को तैनात करना।
- **सार्वजनिक सुरक्षा उपाय:**
  - आपातकालीन वाहनों के लिये क्षेत्र को खाली करने और घायलों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिये यातायात नियंत्रण संबंधी उपायों को लागू करना।
  - परिवारों और संबंधित व्यक्तियों के लिये स्थिति तथा लापता प्रियजनों के बारे में पूछताछ करने के लिये एक समर्पित हेल्पलाइन स्थापित करना।

परिणाम का प्रबंधन करना:

- **दुर्घटना प्रबंधन:**
  - घायलों के इलाज के लिये पर्याप्त क्षमता और संसाधन सुनिश्चित करने हेतु अस्पतालों के साथ कार्य करना।
  - घायलों या मृतकों के निकटतम रिश्तेदारों की पहचान करने और उन्हें सूचित करने के लिये एक प्रणाली स्थापित करना।
- **जाँच और जवाबदेही:**
  - भगदड़ के कारण का पता लगाने और किसी भी तरह की संभावित लापरवाही की पहचान करने के लिये घटनास्थल की गहन जाँच करना।
  - भीड़ प्रबंधन योजना या बुनियादी ढाँचे की सीमाओं में चूक हेतु संबंधित अधिकारियों से जवाबदेह ठहराना।

सामुदायिक व्यस्तता:

- **धार्मिक नेता और सामुदायिक प्रतिनिधि:**
  - शांति बनाए रखने और प्रभावित लोगों को आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने के लिये धार्मिक नेताओं एवं समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग स्थापित करना।
  - झूठी अफवाहों का मुकाबला करने और अधिकारियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिये उनके प्रभाव का उपयोग करना।
- **घटना के बाद सहायता:**
  - पीड़ितों के परिवारों के लिये सहायता संबंधी सेवाएँ स्थापित करना, जिसमें आघात परामर्श और संभावित वित्तीय सहायता शामिल है।
  - पुनर्प्राप्ति प्रयासों में सहायता के लिये रक्तदान अभियान और अन्य सामुदायिक पहलों का आयोजन करना।

3. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और बड़े सार्वजनिक समारोहों की सुरक्षा बढ़ाने के लिये लागू की जाने वाली दीर्घकालिक रणनीतियों पर चर्चा कीजिये।

नोट :

कार्यक्रम पूर्व योजना और बुनियादी ढाँचा:

- **जोखिमपूर्ण मूल्यांकन और शमन:** व्यापक जोखिमपूर्ण स्थिति का मूल्यांकन करना , जिसमें अपेक्षित भीड़ का आकार, आयोजन स्थल की क्षमता, संभावित अड़चनें और आपातकालीन निकासी योजनाओं पर विचार किया जाए।
- **बुनियादी ढाँचे का उन्नयन:** सुनिश्चित करना कि आयोजन स्थल की मांग के अनुसार बुनियादी ढाँचे में सुधार किये गए हैं या नहीं, जिसमें चौड़े पद मार्ग, निर्दिष्ट प्रवेश और निकास, स्पष्ट संकेत तथा पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था शामिल है।
- **भीड़ प्रबंधन विशेषज्ञता:** लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने तथा भीड़ नियंत्रण संबंधी रणनीतियों को लागू करने के लिये नियोजन चरणों में भीड़ प्रबंधन विशेषज्ञों को शामिल करना।
- **संचार संबंधी बुनियादी ढाँचा:** आपात स्थिति के दौरान स्पष्ट निर्देशों और सूचनाओं के प्रसार के लिये मज़बूत संचार संबंधी बुनियादी ढाँचे जैसे- लाउडस्पीकर, डिस्प्ले बोर्ड तथा संभावित रूप से नियंत्रित इंटरनेट एक्सेस जैसी सुविधाएँ सुनिश्चित करना।

जन जागरूकता और स्वयंसेवक प्रशिक्षण:

- **सार्वजनिक शिक्षा अभियान:** विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा अभियान शुरू करना, जिसमें उपस्थित लोगों को सुरक्षित भीड़ व्यवहार और आपातकालीन प्रतिक्रिया संबंधी प्रोटोकॉल के बारे में शिक्षित किया जाए।
- **स्वयंसेवक प्रशिक्षण:** भीड़ प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी संचार कौशल में स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता कर सकें तथा आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रारंभिक सहायता प्रदान की जा सके।

प्रौद्योगिकी प्रगति:

- **स्मार्ट टिकटिंग और एक्सेस कंट्रोल:** संवेदनशील क्षेत्रों में भीड़ को नियंत्रित करने और भीड़भाड़ को रोकने हेतु स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम लागू करना।
- **वास्तविक समय में भीड़ की निगरानी:** भीड़ के घनत्व को ट्रैक करने और संभावित बाधाओं की पहचान करने के लिये सेंसर तथा CCTV कैमरों के साथ वास्तविक समय में भीड़ की निगरानी से संबंधित तकनीक का उपयोग करना।
- **पूर्व चेतावनी प्रणाली:** ऐसी पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, जो अचानक भीड़ या लोगों की संख्या बढ़ने या संभावित परेशानी वाले स्थानों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दे सके और उन्हें सचेत कर सके।

सहयोग और हितधारक सहभागिता:

- **अंतर-एजेंसी समन्वय:** पुलिस, आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, कार्यक्रम आयोजकों और धार्मिक अधिकारियों को शामिल करते हुए एक अच्छी तरह से समन्वित प्रतिक्रिया योजना स्थापित करना।
- **सामुदायिक प्रतिक्रिया:** भीड़ प्रबंधन रणनीतियों और संभावित चिंताओं के बारे में स्थानीय समुदायों एवं धार्मिक नेताओं की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना।
- **दीर्घकालिक निवेश:** दीर्घकालिक सुरक्षा सुधारों के लिये बुनियादी ढाँचे के उन्नयन, भीड़ प्रबंधन प्रशिक्षण और तकनीकी प्रगति हेतु निरंतर धन का आवंटित।

निष्कर्ष:

हाल ही में सामूहिक समारोहों में हुई भगदड़ में सक्रिय सुरक्षा उपायों की दिशा में एक आदर्श परिवर्तन महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती है। बुनियादी ढाँचे के उन्नयन, सार्वजनिक शिक्षा और अत्याधुनिक तकनीक को मिलाकर दीर्घकालिक रणनीतियों को लागू करके, हम इन आयोजनों को संभावित खतरों से बचाने हरतु सामुदायिक निर्माण के लिये सुरक्षित स्थानों में बदल सकते हैं।

प्रश्न : आप एक छोटे शहर के एक प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल के नवनियुक्त प्रिंसिपल हैं। इस स्कूल के उन्नयन की सख्त ज़रूरत है - यहाँ की विज्ञान प्रयोगशालाएँ पुरानी हो चुकी हैं, कंप्यूटर रूम में केवल कुछ ही मशीनें कार्य की स्थिति में हैं और लाइब्रेरी की क्षमता भी सीमित है।

आपने 15 अगस्त के समारोह हेतु एक स्थानीय राजनेता को स्कूल में आमंत्रित किया और इस दौरान उन्होंने स्कूल के उन्नयन हेतु निधि देने की घोषणा की। हालाँकि बाद में एक निजी बैठक में उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि स्कूल के उन्नयन एवं संबंधित उपकरणों की खरीद का ठेका उनके एक रिश्तेदार के स्वामित्व वाली कंपनी को दिया जाए। हालाँकि इस कंपनी को निम्न गुणवत्ता की सामग्री की आपूर्ति हेतु जाना जाता है।

प्रस्तावित निधि से होने वाले सुधारों से संभावित रूप से छात्रों के लिये शैक्षिक अवसरों की वृद्धि होगी। कुछ शिक्षक तथा अभिभावक ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार की निधि को स्वीकार करने का विरोध करते हैं जबकि अन्य तर्क देते हैं कि छात्रों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस संदर्भ में आपका निर्णय स्कूल के भविष्य एवं इसकी प्रतिष्ठा के साथ सैकड़ों छात्रों की शिक्षा को प्रभावित करेगा।

नोट :

1. इस मामले में शामिल प्रमुख हितधारक कौन हैं?
2. इस स्थिति में निहित नैतिक दुविधाएँ कौन सी हैं?
3. इस निधि के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। इसके पीछे अपना तर्क बताइए?

उत्तर :

परिचय:

एक सरकारी स्कूल को पुरानी प्रयोगशालाओं, सीमित कंप्यूटरों और छोटे पुस्तकालयों के लिये तात्कालिक उन्नयन की आवश्यकता है। एक स्थानीय राजनेता ने दान की पेशकश की, परिणामस्वरूप एक रिश्तेदार की कंपनी को पुनर्नवीनीकरण का ठेका देने पर ज़ोर दिया, जिसकी पहचान घटिया सामग्री का प्रयोग करने के लिये है।

- शिक्षक और अभिभावक विभाजित हैं: कुछ लोग इन शर्तों को स्वीकार करने की तुलना में छात्रों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं।
- प्रिंसिपल के फैसले से स्कूल के भविष्य, प्रतिष्ठा और छात्रों की शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में प्रमुख हितधारक कौन हैं?

हितधारक	भूमिका/हित
प्रिंसिपल	दान स्वीकार करने या न करने और शर्तों पर अंतिम निर्णय लेने के लिये ज़िम्मेदार।
स्थानीय राजनीतिज्ञ	वह दाता जिसका आशय शर्तों के साथ महत्त्वपूर्ण दान करना है।
शिक्षक	शिक्षा की गुणवत्ता और दान स्वीकार करने के नैतिक निहितार्थों के बारे में चिंतित।
अभिभावक	अपने बच्चों के शैक्षिक अवसरों और सुरक्षा में रुचि रखते हैं।
छात्र	उन्नत सुविधाओं के प्रत्यक्ष लाभार्थी, लेकिन स्कूल की प्रतिष्ठा से भी प्रभावित।
स्कूल प्रशासन	उन्नयन के कार्यान्वयन और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में शामिल।
स्थानीय समुदाय	स्कूल की प्रतिष्ठा और नैतिक स्थिति में पर्यवेक्षक तथा हितधारक।
राजनेता के रिश्तेदार के स्वामित्व वाली कंपनी	पुनर्निर्माण के लिये संभावित ठेकेदार, घटिया सामग्री के लिये जाना जाता है।
मीडिया	स्थिति पर रिपोर्टिंग और जनता की राय को प्रभावित करना।
शिक्षा प्राधिकरण	स्कूल संचालन की देख-रेख और शैक्षिक मानकों को बनाए रखना।

2. इस स्थिति में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

पारदर्शिता बनाम अल्पकालिक लाभ

- **पारदर्शिता (उपकार और जवाबदेही):** शर्तों के साथ दान स्वीकार करना एक बुरी मिसाल कायम करता है, जो जनता के विश्वास को कमज़ोर करता है।
  - यह खुली बोली से बचता है, जिससे कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्री मिल सकती थी।
- **अल्पकालिक लाभ (उपयोगितावाद):** दान तत्काल और आवश्यक सुधार करता है, जिससे छात्रों की मौजूदा शिक्षा को काफी फायदा होता है।

छात्रों की ज़रूरतें बनाम स्कूल की प्रतिष्ठा:

- **छात्रों की आवश्यकताएँ (उपकार):** दान स्वीकार करने से स्कूल की तात्कालिक आवश्यकताएँ पूरी होती हैं साथ ही सीखने के माहौल में सुधार होता है।
- **स्कूल की प्रतिष्ठा (न्याय और ईमानदारी):** घटिया सामग्री स्वीकार करने से स्कूल की प्रतिष्ठा धूमिल होती है और गुणवत्ता के लिये निम्न मानक स्थापित होते हैं।

भ्रष्टाचार से बचना बनाम अवसर को छोड़ना:

- **भ्रष्टाचार से बचना (न्याय):** शर्तों के साथ दान स्वीकार करने से भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, योग्यता के बजाय संबंधों को तरजीह दी जाती है। यदि सामग्री दोषपूर्ण है तो छात्रों के लिये संभावित रूप से सुरक्षा जोखिम उत्पन्न होता है।
- **अवसर का परित्याग (उपयोगितावाद):** दान को अस्वीकार करने से छात्र महत्त्वपूर्ण शैक्षिक लाभ से वंचित हो जाते हैं और संभावित रूप से महत्त्वपूर्ण सुधारों में विलंब होता है।
- **शैक्षणिक मिशन बनाम राजनीतिक प्रभाव:** दान स्वीकार करने से शैक्षिक संसाधनों में सुधार हो सकता है, लेकिन स्कूल पर राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ सकता है।
  - इससे स्कूल के शैक्षिक मिशन को आगे बढ़ाने और राजनीतिक दबावों से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के बीच दुविधा उत्पन्न होती है।

नोट :

3. दान के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे और इसके पीछे आपका तर्क क्या है?

समग्र नैतिक दुविधाओं पर विचार करते हुए, निर्णय यह होगा कि दान को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया जाए और साथ ही कुछ शर्तें भी रखी जाएँ। इसमें शामिल होंगे:

- **राजनेता के साथ खुला संवाद:** राजनेता को उनकी उदारता के लिये धन्यवाद देना और निष्पक्ष क्रय संबंधी प्रथाओं तथा छात्र सुरक्षा के लिये स्कूल की प्रतिबद्धता को समझाना।
- **राजनेता के साथ संवाद करना:** दान की शर्तों पर पुन: संवाद करने का प्रयास करना, एक ऐसा मार्ग प्रस्तावित करना जहाँ राजनेता के रिश्तेदार की कंपनी पारदर्शी क्रय प्रक्रिया में कई बोली दाताओं में से एक हो सकती है।
- **वैकल्पिक समाधान तलाश करना:**
  - **पूर्व छात्र नेटवर्क:** संभावित दान के लिये सफल पूर्व छात्रों तक पहुँच। यह बताएँ कि उनके योगदान से वर्तमान छात्रों और स्कूल के भविष्य को कैसे लाभ होगा।
  - **सामुदायिक समर्थन के साथ चरणबद्ध उन्नयन:** उन्नयन को छोटे, प्रबंधनीय प्रोजेक्ट में विभाजित करना।
    - प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिये, विशिष्ट सामुदायिक समर्थन की तलाश करना- जैसे, कंप्यूटर कक्ष के लिये स्थानीय तकनीकी कंपनियाँ, प्रयोगशालाओं के लिये विज्ञान-आधारित व्यवसाय।
  - **अप्रयुक्त स्थान को पट्टे पर देना:** यदि स्कूल में कोई अप्रयुक्त स्थान है, तो अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिये सामुदायिक कार्यक्रमों (जैसे- स्कूल के बाद के कार्यक्रम, वयस्क शिक्षा संबंधी कक्षाएँ) के लिये इसे पट्टे पर देने पर विचार करना।

निर्णय के पीछे तर्क:

- **छात्र सुरक्षा और शिक्षा को प्राथमिकता:** घटिया सामग्री सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती है या शिक्षण में बाधा डाल सकती है।
  - स्कूल की मुख्य ज़िम्मेदारी छात्र कल्याण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, जिससे यह दान संभावित रूप से समझौता कर सकता है।
- **पारदर्शिता बनाए रखना और ईमानदारी बनाए रखना:** "सहबद्ध" दान को स्वीकार करने से भविष्य में भ्रष्टाचार का मार्ग खुल जाता है और निष्पक्ष क्रय संबंधी प्रथाओं के लिये एक बुरी मिसाल कायम होती है।
  - पारदर्शिता समुदाय के भीतर और छात्रों के साथ विश्वास को बढ़ावा देती है।
- **कानूनी और विनियामक अनुपालन:** इस तरह के सहबद्ध अनुदान को स्वीकार करने से सरकारी स्कूलों को नियंत्रित करने वाले सार्वजनिक क्रय संबंधी कानूनों और विनियमों का उल्लंघन हो सकता है, जिससे संभावित रूप से कानूनी परिणाम हो सकते हैं।
- **राजनीतिक प्रभाव से बचना:** दान को स्वीकार करने से स्कूली मामलों में अनुचित राजनीतिक प्रभाव का मार्ग खुल सकता है, जिससे संस्थान की स्वतंत्रता और शैक्षिक दृष्टिकोण से समझौता हो सकता है।

निष्कर्ष:

राजनेता का प्रस्ताव एक आकर्षक शॉर्टकट मार्ग प्रस्तुत करता है, नैतिक नेतृत्व छात्र सुरक्षा और स्कूल की अखंडता को प्राथमिकता देने की मांग करता है। सहबद्ध दान को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करके तथा अनुदान, धन उगाहने एवं पूर्व छात्रों की भागीदारी जैसे वैकल्पिक समाधानों की खोज करके, अधिक काम की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह छात्रों की सुरक्षा करता है, समुदाय के विश्वास को बढ़ाता है और स्कूल के स्थायी भविष्य के लिये एक मज़बूत नींव रखता है। नैतिक आचरण के लिये प्रतिष्ठा अपने आप में नैतिक दाताओं को आकर्षित करेगी जो समान मूल्यों को साझा करते हैं।

प्रश्न : आपके नेतृत्व में एक राज्य फुटबॉल टीम राष्ट्रीय कप फाइनल के लिये तैयार हो रही है। आप देखते हैं कि आपकी टीम का शीर्ष स्ट्राइकर, जो टीम की रणनीति और मनोबल के लिये महत्त्वपूर्ण है, चैंपियनशिप गेम से दो दिन पहले प्रदर्शन-बढ़ाने वाली दवाओं का उपयोग करते हुए पाया जाता है। इस दवा का पता वर्तमान परीक्षण विधियों द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। जब इस बात का पता आपको चलता है, तो वह आपसे बहुत माफी मांगता है तथा विनती करता है कि आप उसकी शिकायत न करें क्योंकि ऐसा करने से उसका कॅरियर बर्बाद हो जाएगा और शायद टीम को अपने सभी टूर्नामेंट जीतने से हाथ धोना पड़ सकता है।

जब आप इस रहस्योद्घाटन से जूझते हैं, तो आपको अपने निर्णय की गंभीरता का एहसास होता है। उसके खेलने से खेल की अखंडता और आपकी व्यक्तिगत नैतिकता प्रभावित होती है, उसके विरुद्ध रिपोर्ट करना आपके देश को उसके पहले राष्ट्रीय कप खिताब से वंचित कर सकता है। प्रशंसकों की उम्मीदें इस मैच पर टिकी हुई हैं और

नोट :

जीतने का आर्थिक प्रभाव आपके राज्य के लिये महत्त्वपूर्ण होगा। आपके द्वारा लिये गए निर्णय का प्रभाव खिलाड़ी और टीम पर पड़ेगा, आपको यह जल्द ही तय करना चाहिये कि उसे खेलना है, कहानी गढ़ते हुए उसे नही खिलाना है या नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट पुलिस को करनी है।

1. इस स्थिति में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
2. मुख्य कोच के रूप में आपकी त्वरित कार्रवाई क्या होगी और क्यों?
3. भविष्य में इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिये खेलों में प्रदर्शन-बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग की निगरानी और रोकथाम की वर्तमान प्रणाली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?

उत्तर :

परिचय:

यह केस स्टडी एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप के कगार पर खड़े एक फुटबॉल कोच के सामने आने वाली नैतिक दुविधा को प्रस्तुत करती है।

- अपने स्टार खिलाड़ी के प्रदर्शन को बढ़ाने वाली दवाओं के अघोषित उपयोग का पता चलने पर कोच को दूरगामी परिणामों वाले एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने के लिये मजबूर होना पड़ता है।
- खेल की अखंडता को बनाए रखने और जीत की तलाश करने के बीच का चुनाव प्रतिस्पर्द्धी एथलेटिक्स में जटिल नैतिक चुनौतियों को उजागर करता है।

मुख्य भाग:

1. इस स्थिति में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

- **ईमानदारी बनाम सफलता:** मुख्य दुविधा यह है कि क्या राष्ट्रीय कप जीतने की संभावित सफलता और लाभ की तुलना में खेल की ईमानदारी तथा व्यक्तिगत नैतिकता को प्राथमिकता दी जाए।
- **उपयोगितावाद बनाम कर्त्तव्य-नैतिकता:** दुविधा इस बात पर केंद्रित है कि अधिकतम लोगों के लिये अधिकतम कल्याण के आधार पर निर्णय लिया जाए (उपयोगितावादी दृष्टिकोण) या पूर्ण नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लिया जाए (कर्त्तव्य-नैतिकता दृष्टिकोण)।
- **अल्पकालिक बनाम दीर्घकालिक परिणाम:** इस निर्णय में खेल की विश्वसनीयता और कोच की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिये दीर्घकालिक प्रभावों के विरुद्ध तात्कालिक लाभ (कप जीतना) का मूल्यांकन करना शामिल है।
- **सत्य बनाम धोखा:** स्ट्राइकर को खेलने देना या कहानी गढ़ते हुए उसे नहीं खिलाना है, अधिकारियों, प्रशंसकों एवं संभवत: टीम के सदस्यों को धोखा देने जैसा है।
- **कानून का नियम बनाम परिस्थितिजन्य नैतिकता:** खेल के नियमों का सख्ती से पालन करने और इस स्थिति की विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार करने के बीच तनाव है।
- **दण्ड बनाम प्रायश्चित:** यह प्रश्न उठता है कि क्या खिलाड़ी को प्रायश्चित करने का अवसर मिलना चाहिये या उसे अपने कार्यों के परिणाम भुगतने चाहिये।

2. मुख्य कोच के रूप में आपकी त्वरित कार्यवाही क्या होगी और क्यों?

इस परिदृश्य में मुख्य कोच के रूप में, मैं इस जटिल नैतिक दुविधा को विकल्पों और उनके परिणामों के गहन विश्लेषण के साथ देखूंगा।

स्ट्राइकर खेलें:

- **लाभ:**
  - टीम का मनोबल और रणनीतिक सामंजस्य बनाए रखता है
  - नेशनल कप जीतने की संभावना बढ़ाता है
  - राज्य को आर्थिक लाभ पहुँचाता है
  - प्रशंसकों की उम्मीदों और समर्थन को संतुष्ट करता है
- **हानि:**
  - व्यक्तिगत और पेशेवर ईमानदारी से समझौता करता है
  - निष्पक्ष खेल और खेल भावना का उल्लंघन करता है
  - यदि नशीली दवाओं के उपयोग का पता चलता है तो भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने का जोखिम है
  - नशीली दवाओं के उपयोग के संबंध में अन्य खिलाड़ियों के लिये एक उदाहरण कायम करता है

एक कवर स्टोरी या गढ़ी हुई कहानी के साथ स्ट्राइकर:

- **लाभ:**
  - पूर्ण प्रकटीकरण के बिना अखंडता के स्तर को बनाए रखता है
  - तत्काल घोटाले से बचाता है और खिलाड़ी के कॅरियर की रक्षा करता है
  - टीम को समझौता किये गए खिलाड़ी के बिना प्रतिस्पर्द्धा करने की अनुमति देता है
- **हानि:**
  - टीम की जीत की संभावना कम हो जाती है
  - अटकलें और अफवाहों की संभावना उत्पन्न होती है

नोट :

- कोच को धोखेबाज़ी और कदाचार को छिपाने की स्थिति में डाल देता है

उल्लंघन की रिपोर्ट प्राधिकारियों को करें:

- **लाभ:**
  - खेल की अखंडता को बनाए रखता है
  - टीम और खेल के लिये एक स्पष्ट नैतिक मानक निर्धारित करता है
  - संभावित रूप से भविष्य में अन्य खिलाड़ियों द्वारा नशीली दवाओं के उपयोग को रोकता है
- **हानि:**
  - इससे टीम को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और पिछली जीतों को खोया जा सकता है
  - खिलाड़ी का कॅरियर समाप्त हो सकता है
  - प्रशंसकों को निराशा होगी और राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा
  - ऐसा घोटाला हो सकता है जो टूर्नामेंट को प्रभावित कर सकता है

सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मेरी तत्काल कार्रवाई यह होगी कि स्ट्राइकर को एक कवर स्टोरी के साथ सज़ा दी जाए, साथ ही उचित प्राधिकारियों के समक्ष एक गोपनीय रिपोर्ट भी दाखिल की जाए।

- खिलाड़ी को खेल से बाहर रखना, जिसमें अचानक बीमारी या मामूली चोट जैसी कवर स्टोरी शामिल हो सकती है।
- इससे उचित अधिकारियों को जाँच करने और खिलाड़ी व टीम के लिये परिणामों के बारे में सूचित निर्णय लेने का समय मिल जाता है।

इस निर्णय का औचित्य:

- **नैतिक अखंडता:** स्ट्राइकर को न खिलाकर, मैं पूरी टीम के प्रयासों को तत्काल जोखिम में डाले बिना नैतिक अखंडता की एक डिग्री बनाए रखता हूँ।
- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा:** खिलाड़ी को नहीं खिलाना यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम मैच डोपिंग एथलीट के अनुचित लाभ के बिना खेला जाता है।
- **परिणामों को संतुलित करना:** यह दृष्टिकोण दीर्घकालिक नैतिक विचारों के साथ तत्काल परिणामों (टीम की अयोग्यता) को संतुलित करने का प्रयास करता है।
- **उचित प्रक्रिया:** अधिकारियों को गोपनीय रूप से रिपोर्ट करके, मैं सुनिश्चित करता हूँ कि उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाए और इस मुद्दे को उचित शासी निकायों द्वारा संबोधित किया जाए।
- भविष्य की रोकथाम: इस मुद्दे को संबोधित करके, भले ही पहले सार्वजनिक रूप से न किया जाए, यह एक संदेश भेजता है कि नशीली दवाओं के उपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो संभावित रूप से भविष्य की घटनाओं को रोक सकता है।

3. भविष्य में इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिये खेलों में प्रदर्शन-बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग की निगरानी और रोकथाम की वर्तमान प्रणाली में किस प्रकार सुधार किया जा सकता है?

निगरानी की वर्तमान प्रणाली (मूत्र के नमूने और नाखून या बाल परीक्षण) में सुधार लाने तथा खेलों में प्रदर्शन-बढ़ाने वाली दवाओं के उपयोग को रोकने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

- **उन्नत परीक्षण विधियाँ:** अधिक परिष्कृत जाँच तकनीक विकसित करने के लिये अनुसंधान में निवेश करना, जिससे वर्तमान में पता न लगने वाली दवाओं सहित पदार्थों की एक व्यापक श्रेणी की पहचान की जा सके।
  - अपराधियों को पकड़ने की संभावना बढ़ाने के लिये निरंतर और यादृच्छिक परीक्षण कार्यक्रम लागू करना।
- **बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिस्टम:** पासपोर्ट सिस्टम के उपयोग को विस्तारित और परिष्कृत करना, जो समय के साथ एथलीट के जैविक मार्करों पर नज़र रखता है, ताकि असामान्यताओं का पता लगाया जा सके जो डोपिंग का संकेत दे सकती हैं।
  - इस प्रणाली को बड़े खेल लीगों में अनिवार्य बनायें।
- **कठोर दंड:** डोपर्स के लिये कठोर दंड लागू करना, जिसमें लंबे समय तक प्रतिबंध और वित्तीय परिणाम शामिल हों।
  - प्रशिक्षकों, चिकित्सा कर्मचारियों और अन्य लोगों पर भी दंड लागू किया जाना चाहिये जो डोपिंग को सक्षम या प्रोत्साहित करते हैं।
- **उन्नत शिक्षा और रोकथाम:** एथलीटों के लिये डोपिंग रोधी शिक्षा कार्यक्रमों को बेहतर बनाना, जो छोटी उम्र से शुरू होकर उनके पूरे कॅरियर के दौरान जारी रहना चाहिये।
  - एथलीटों को डोपिंग के जोखिम और परिणामों को समझने के लिये बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना।
- **मुखबिर (Whistleblower) संरक्षण और प्रोत्साहन:** डोपिंग गतिविधियों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिये मज़बूत मुखबिर संरक्षण कार्यक्रम स्थापित करना।
  - व्यापक डोपिंग प्रथाओं के विषय में जानकारी देने वाले एथलीटों के लिये कम दंड का प्रस्ताव करना।
- **मूल कारणों पर ध्यान देना:** खेलों में उस संस्कृति को बदलने के लिये कार्य करना जो अक्सर हर कीमत पर जीतने को प्राथमिकता देती है।

नोट :

- उचित मुआवज़ा और सहायता प्रणाली सुनिश्चित करके उन आर्थिक दबावों का समाधान करना जो एथलीटों को डोपिंग की ओर धकेल सकते हैं।
- एथलीटों को मानसिक स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध कराना ताकि वे अंतर्निहित समस्याओं जैसे दबाव, दुश्चिंता या अवसाद का समाधान कर सकें जो डोपिंग का कारण बन सकती हैं।

- **स्वतंत्र निरीक्षण:** खेल संगठनों के साथ हितों के टकराव से बचने के लिये वास्तविक रूप से स्वतंत्र एंटी-डोपिंग निकायों की स्थापना करना।
  - परीक्षण और मंज़ूरी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाना।

निष्कर्ष:

खेल की अखंडता को बनाए रखने का निर्णय सर्वोपरि है, भले ही तत्काल सफलता की कीमत पर ऐसा करना पड़े। खिलाड़ी को नहीं खिलाना एक कठिन विकल्प है, लेकिन यह निष्पक्ष खेल को प्राथमिकता देता है। ऐसी दुविधाओं को रोकने के लिये, खेलों को मज़बूत, स्वतंत्र एंटी-डोपिंग एजेंसियों, उन्नत पहचान विधियों और नैतिक खेल भावना की मज़बूत संस्कृति की आवश्यकता है।

प्रश्न : आप मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन के कैप्टन हैं। यात्रा के छह महीने बाद, एक महत्त्वपूर्ण जीवन रक्षक प्रणाली खराब हो जाती है। सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद इंजीनियर पाता है कि प्रणाली की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन इसके लिये एक विशेष भाग की आवश्यकता है जिसका निर्माण केवल एक दुर्लभ सामग्री के उपयोग के माध्यम से 3D प्रिंट द्वारा किया जा सकता है। इस सामग्री की पर्याप्त मात्रा या तो उस भाग को प्रिंट करने के लिये या आपके चालक दल के किसी सदस्य, जो एक पुरानी बीमारी से पीड़ित, के लिये दवा के उत्पादन के रूप में आवश्यक है।

यदि आप जीवन रक्षक प्रणाली की मरम्मत करने का विकल्प चुनते हैं, तो सभी चालक दल के सदस्य यात्रा के दौरान जीवित रहेंगे, लेकिन चालक दल के एक सदस्य को गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप दवा का उत्पादन जारी रखते हैं, तो चालक दल का वह सदस्य स्वस्थ रहेगा, लेकिन जीवन रक्षक प्रणाली के कार्य न करने से मिशन विफल हो सकता है तथा सभी लोगों की जान जाने का जोखिम काफी हद तक बढ़ सकता है।

प्रश्न में चालक दल का सदस्य आपका सबसे अनुभवी इंजीनियर है, जो मंगल ग्रह पर मिशन की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण है। पृथ्वी से तत्काल सहायता नहीं ली जा सकती क्योंकि वह बहुत दूर है और आपको 24 घंटे के भीतर निर्णय लेना होगा। आपके निर्णय का मिशन, आपके चालक दल के जीवन तथा संभावित रूप से अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

1. इस मामले में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
2. इस गंभीर स्थिति में एक नेतृत्वकर्त्ता को गैर दुर्भावनापूर्ण और परोपकार के नैतिक सिद्धांतों को कैसे संतुलित करना चाहिये?
3. आकस्मिक योजना और संसाधन आवंटन में सुधार के लिये इस परिदृश्य से क्या सबक लिया जा सकता है?

परिचय:

मंगल मिशन पर, कैप्टन को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ता है जब जीवन रक्षक प्रणाली विफल हो जाती है। सीमित संसाधनों के साथ, उन्हें चालक दल के जीवित रहने को सुनिश्चित करने के लिये सिस्टम की मरम्मत या पुरानी बीमारी से पीड़ित एक प्रमुख चालक दल के सदस्य के लिये दवा जारी रखने के बीच चयन करना होगा।

- यह परिदृश्य अंतरिक्ष अन्वेषण में नेतृत्व की **जटिल नैतिक चुनौतियों को रेखांकित करता है, जहाँ संसाधन दुर्लभ हैं और निर्णयों के जीवन-या-मृत्यु के परिणाम हो सकते हैं।**

मुख्य भाग:

1. इस मामले में नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?

- **उपयोगितावाद बनाम व्यक्तिगत अधिकार:** पूरे चालक दल को बचाने की आवश्यकता बनाम व्यक्तिगत चालक दल के सदस्य के स्वास्थ्य के अधिकार का सम्मान करना।
- **अल्पकालिक उत्तरजीविता बनाम दीर्घकालिक मिशन सफलता:** तत्काल चालक दल का अस्तित्व बनाम मंगल मिशन को पूरा करने की संभावना।
- **समानता बनाम उपयोगिता:** सभी चालक दल के सदस्यों के जीवन को समान मानना बनाम मिशन की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण इंजीनियर को प्राथमिकता देना।
- **चालक दल के प्रति कर्त्तव्य बनाम मिशन के प्रति कर्त्तव्य:** सभी चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा करने की कप्तान की ज़िम्मेदारी बनाम मिशन पूरा होने को सुनिश्चित करने का दायित्व।

नोट :

- **स्वायत्तता बनाम पितृसत्ता:** प्रभावित चालक दल के सदस्य को अपनी पसंद बनाने की अनुमति देना बनाम उनके कथित लाभ के लिये निर्णय लेना।
- **परिणामवाद बनाम कर्त्तव्य:** निर्णय के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना बनाम नैतिक नियमों या कर्त्तव्यों का पालन करना।
- **जोखिम शमन बनाम निश्चितता:** किसी एक के लिये एक निश्चित नकारात्मक परिणाम बनाम सभी के लिये नकारात्मक परिणाम के जोखिम के बीच चयन करना।
- **पेशेवर नैतिकता बनाम व्यक्तिगत नैतिकता:** एक नेता के रूप में कप्तान का कर्त्तव्य बनाम व्यक्तिगत नैतिक विश्वास।

2. इस गंभीर परिस्थिति में नेता को गैर-हानिकारकता और परोपकार के नैतिक सिद्धांतों को कैसे संतुलित करना चाहिये?

- **गैर-हानिकारकता:**
  - **समग्र नुकसान को कम करना:** कैप्टन को दोनों परिदृश्यों में संभावित नुकसान का आकलन करना चाहिये।
    - क्या सभी के लिये सफलता की उच्च संभावना के साथ जीवन समर्थन प्रणाली की मरम्मत एक चालक दल के सदस्य के लिये गारंटीकृत स्वास्थ्य जटिलताओं से अधिक है?
  - **पारदर्शिता और साझा निर्णय लेना:** जबकि कप्तान के पास अंतिम ज़िम्मेदारी होती है, चालक दल को सूचित करने से विश्वास बढ़ता है और संभावित रूप से मूल्यवान इनपुट की अनुमति मिलती है।
  - इंजीनियर का अनुभव रचनात्मक समाधान प्रदान कर सकता है, या स्थिति की उनकी समझ निर्णय को प्रभावित कर सकती है।
- **परोपकारिता:**
  - **समग्र कल्याण को अधिकतम करना:** सभी चालक दल के सदस्यों के जीवित रहने को प्राथमिकता देना परोपकारिता के साथ संरेखित होता है। हालाँकि मंगल ग्रह पर इंजीनियर के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और मिशन परइसके प्रभाव पड़ सकता है।
  - **दीर्घकालिक स्थिरता:** समझौता किये गए इंजीनियर के साथ एक सफल मिशन टीमवर्क के आधार पर नैतिक चिंताओं को जन्म दे सकता है।
- **कार्रवाई के दौरान:**
  - **त्वरित कार्रवाई:** 24 घंटे के भीतर पूरे दल के साथ आपातकालीन बैठक बुलाएंगे।
  - **पूर्ण पारदर्शिता:** स्थिति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें, खराबी, मरम्मत विकल्प और सीमित सामग्री के बारे में सभी को जानकारी दें।
  - **इंजीनियर का इनपुट:** संभावित समाधानों पर इंजीनियर की राय लेंगे। क्या वे मरम्मत प्रक्रिया को कम सामग्री का उपयोग करने के लिये समाधान निकाल सकते हैं, जिससे कुछ दवा उत्पादन की अनुमति मिल सके?
  - **चालक दल के साथ संवाद:** कार्रवाई के संभावित तरीकों के बारे में चालक दल से संवाद करेंगें। सभी को अपनी चिंताओं और दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिये प्रोत्साहित करेंगे।
  - **साझा निर्णय लेना:** उपलब्ध जानकारी के आधार पर वोट पर विचार कर आम सहमति पर पहुँचेंगे।
  - **आकस्मिक योजना:** चुने गए पाठ्यक्रम की परवाह किये बिना एक बैकअप योजना तैयार करेंगे।
    - यदि जीवन रक्षक प्रणाली की मरम्मत कर मंगल ग्रह पर इंजीनियर के स्वास्थ्य का प्रबंधन करने की योजना बनाएंगे। यदि दवा जारी रखी जा रही है, तो संभावित रूप से समझौता किये गए जीवन रक्षक प्रणाली के साथ मिशन को सफल बनाने की योजना बनाएंगे।

सभी नैतिक पहलुओं पर विचार करते हुए, एक जीवन रक्षक प्रणाली की मरम्मत की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते है, क्योंकि यह चालक दल के अधिकांश लोगों के लिये अहानिकरता के सिद्धांत के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है।

- हालाँकि यह निर्णय पारदर्शिता के साथ और स्थिति की बाधाओं के भीतर प्रभावित चालक दल के सदस्य को सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ लेंगे।

3. आकस्मिक योजना और संसाधन आवंटन में सुधार के लिये इस परिदृश्य से क्या सबक सीखा जा सकता है?

- **मिशन-पूर्व विचार:**
  - **परिदृश्य नियोजन:** प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न संकट परिदृश्यों का अनुकरण करें, जिसमें उपकरण की खराबी और संसाधनों की कमी शामिल है।
    - यह चालक दल को दबाव में निर्णय लेने का अभ्यास करने और कार्यों को प्राथमिकता देने के लिये साझा सिद्धांत विकसित करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - **संसाधन अतिरेक:** जहाँ संभव हो, महत्त्वपूर्ण प्रणालियों के लिये अनावश्यक या बहुउद्देशीय घटकों को ले जाने पर विचार

नोट :

करें। यह खराबी के मामले में सुरक्षा जाल के रूप में कार्य कर सकता है।

- **क्रॉस-ट्रेनिंग:** चालक दल के सदस्यों को उनकी प्राथमिक भूमिकाओं से परे कौशल विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करें। इस परिदृश्य में इंजीनियर के संभावित समाधान क्रॉस-ट्रेनिंग के मूल्य को प्रदर्शित करते हैं।

- **मिशन अनुकूलता:**
  - **संसाधन प्राथमिकता:** आपात स्थितियों के दौरान संसाधन आवंटन के लिये एक स्पष्ट पदानुक्रम विकसित करें।
    - मिशन की सफलता, चालक दल की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे कारकों पर विचार करें।
  - **अनुकूली योजना:** अप्रत्याशित परिस्थितियों को समायोजित करने के लिये मिशन योजनाओं में लचीलापन बनाए रखें।
  - **संचार प्रोटोकॉल:** चालक दल और मिशन नियंत्रण के बीच सूचना प्रवाह सहित आपात स्थितियों के लिये स्पष्ट संचार प्रोटोकॉल स्थापित करें।
- **इस विशिष्ट परिदृश्य से सबक:**
  - **दुर्लभ सामग्री:** लंबी अवधि के मिशनों पर दुर्लभ सामग्रियों को ले जाने की आवश्यकता का मूल्यांकन करें।
    - वैकल्पिक विनिर्माण विधियों (संभवत: अधिक आसानी से उपलब्ध सामग्रियों के साथ 3D प्रिंटिंग) पर विचार करें या महत्त्वपूर्ण घटकों के लघुकरण का पता लगाएँ।
  - **उन्नत चिकित्सा आपूर्ति:** अप्रत्याशित स्वास्थ्य जटिलताओं के लिये ऑन-बोर्ड मेडिकल लैब या उन्नत चिकित्सा आपूर्ति की व्यवहार्यता का परीक्षण करें।

निष्कर्ष:

जबकि चालक दल के जीवित रहने को प्राथमिकता देना सर्वोपरि है, भविष्य के मिशनों के लिये अधिक मज़बूत आकस्मिक योजना की आवश्यकता है। इस निकट-विपत्ति से सबक लेकर, अंतरिक्ष एजेंसियाँ संसाधन आवंटन को मज़बूत कर सकती हैं, वैकल्पिक सामग्रियों की खोज कर सकती हैं और चालक दल की भलाई को प्राथमिकता दे सकती हैं तथा ब्रह्मांड के नैतिक एवं सतत् अन्वेषण को सुनिश्चित करने के लिये अन्य सभी आवश्यक कदम उठा सकती हैं।

सैद्धांतिक प्रश्न

प्रश्न : समकालीन सार्वजनिक सेवा के संदर्भ में गांधीवादी नैतिकता के सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है? चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- गांधीवादी नैतिकता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- समकालीन सार्वजनिक सेवा पर गांधीवादी नैतिकता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये।
- सकारात्मक निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

महात्मा गांधी की समय सीमाओं से परे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिये उनका दर्शन, आज भी समकालीन लोक सेवकों के लिये गहन प्रासंगिकता रखता है।

सामाजिक असमानताओं से लेकर पर्यावरणीय क्षरण तक की जटिल चुनौतियों से जूझ रहे विश्व में गांधीवादी नैतिकता सार्वजनिक सेवा में चुनौतियों से निपटने के लिये एक दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

मुख्य भाग:

समकालीन लोक सेवा पर गांधीवादी नैतिकता का महत्त्व:

सत्याग्रह (Truth Force):

- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** लोक सेवक पारदर्शिता के साथ सत्याग्रह को कायम रख सकते हैं।
  - इसका अर्थ है सक्रियतापूर्वक जानकारी का खुलासा करना, गलतियों को स्वीकार करना तथा सार्वजनिक जाँच के लिये सदैव तैयार रहना।
- **मुखबिर:** गांधीवादी नैतिकता मुखबिरों भ्रष्टाचार या गलत कार्यों का सामना करने के लिये प्रोत्साहित करती है, भले ही इसका अर्थ वरिष्ठों को चुनौती देना हो।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि सत्य की जीत हो तथा व्यवस्था के भीतर व्याप्त अन्याय को उजागर किया जा सके।
- **नीति निर्माण:** लोक सेवक डेटा-आधारित निर्णय लेने और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से सत्य की राह में चलकर सत्याग्रह को मूर्त रूप दे सकते हैं।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि नीतियाँ लोगों की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करें और तथ्यात्मक साक्ष्य पर आधारित हों।

अहिंसा (Non-Violence):

- **संघर्ष समाधान:** अहिंसा शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान को बढ़ावा देती है। लोक सेवक सहकर्मियों, नागरिकों या अन्य हितधारकों के साथ असहमति को दूर करने के लिये संवाद, मध्यस्थता और सहानुभूति का उपयोग करके इसे मूर्त रूप दे सकते हैं।

नोट :

- **सामाजिक न्याय:** अहिंसा सामाजिक समावेश और समान अधिकारों की वकालत करती है। लोक सेवक समान विकास के लिये प्रयास कर सकते हैं तथा सेवा वितरण में भेदभावपूर्ण प्रथाओं से बच सकते हैं।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** पर्यावरण के विरुद्ध भी अहिंसा का प्रयोग किया जाता है।
  - लोक सेवक पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं, संसाधन संरक्षण और सतत् विकास संबंधी पहलों को बढ़ावा दे सकते हैं।

स्वावलंबन (Self-Reliance):

- **सशक्तीकरण:** स्वावलंबन नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने के लिये सशक्त बनाता है।
  - लोक सेवक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन या उनकी शुरूआत कर सकते हैं, जो समुदायों को संसाधन और कौशल प्रदान करें तथा दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा दें।
- **विकेंद्रीकरण:** स्वावलंबन स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने को प्रोत्साहित करता है।
  - लोक सेवक स्थानीय निकायों को शक्तियाँ हस्तांतरित कर सकते हैं, जिससे विकास परियोजनाओं में सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
- **दक्षता और संसाधन प्रबंधन:** स्वावलंबन संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देता है।
  - लोक सेवक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर अपव्यय को न्यूनतम कर सकते हैं तथा संसाधन के उपयोग को अनुकूलतम बनाने के लिये नवीन समाधान तलाश सकते हैं।
- **सात सामाजिक पाप:** सार्वजनिक सेवा में गांधीजी द्वारा सात सामाजिक पाप कार्य के बिना धन, विवेक के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना पूजा और सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करते हैं।
  - वे उचित मुआवज़ा, नैतिक अखंडता, ज्ञान का ज़िम्मेदारीपूर्वक सही उपयोग, नैतिक व्यावसायिक व्यवहार, विज्ञान में मानव कल्याण, वास्तविक प्रतिबद्धता और सैद्धांतिक निर्णय लेने पर ज़ोर देते हैं।
  - इन सिद्धांतों का पालन नैतिक शासन को बढ़ावा देता है तथा एक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज में योगदान देता है।

निष्कर्ष:

इन मूल आदर्शों को अपनाकर, लोक सेवक शासन के प्रति अधिक नैतिक और प्रभावी दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। सत्य को कायम रखना, अहिंसा की वकालत करना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, सार्वभौमिक उत्थान के लिये प्रयास करना तथा व्यक्तिगत लाभ से अलग रहना गांधीवादी नैतिकता की भावना में एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज का निर्माण कर सकता है।

प्रश्न : नैतिक अहंकार और नैतिक परोपकारिता व्यावसायिक क्षेत्र में निर्णय लेने को कैसे प्रभावित करते हैं। चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- नैतिक अहंकार और नैतिक परोपकारिता के विपरीत परिप्रेक्ष्य की चर्चा करते हुए उत्तर का परिचय दीजिये।
- नैतिक अहंकार और उसके प्रभाव पर गहराई से विचार कीजिये।
- नैतिक परोपकारिता और उसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये।
- सकारात्मक रूप से निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

नैतिक अहंकार और नैतिक परोपकारिता विपरीत नैतिक दृष्टिकोणों को दर्शाते है, जो व्यावसायिक क्षेत्र में निर्णय लेने को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। जबकि नैतिक स्वार्थ अहंकार को प्राथमिकता देता है, नैतिक परोपकारिता दूसरों के कल्याण पर ज़ोर देती है।

मुख्य भाग:

नैतिक अहंकार और उसका प्रभाव:

- **केंद्रित:** व्यावसायिक संदर्भ में नैतिक अहंकार का अर्थ व्यक्तिगत लाभ जैसे- पदोन्नति की मांग करना, टीम की उपलब्धियों का श्रेय लेना या ऐसे कार्यों में शामिल होना जो किसी के करियर को लाभ पहुँचाते हैं, भले ही वे सहकर्मियों या संगठन के लिये हानिकारक हों, को प्राथमिकता देना हो सकता है।
- **संभावित लाभ:** नैतिक अहंकार महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दे सकता है और उत्पादकता तथा वाचार में वृद्धि होती हेतु कर्मचारियों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिये प्रेरित कर सकता है। यह किसी के करियर प्रक्षेपवक्र के लिये आत्मनिर्भरता और ज़िम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा दे सकता है।
- **संभावित नुकसान:** अनियंत्रित अहंकार अनैतिक व्यवहार, धोखा और दूसरों का शोषण करने की ओर अग्रसर हो सकता है। जिससे एक विषाक्त कार्य संकृति विकसित हो सकती है, जो सहकर्मियों के बीच विश्वास को खत्म कर सकती है।

नोट :

नैतिक परोपकारिता और उसका प्रभाव:

- **केंद्रित:** नैतिक परोपकारिता दूसरों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने पर ज़ोर देने पर केंद्रित है, भले ही इसके लिये व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े।
  - व्यावसायिक परिवेश में यह व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा संगठन की सफलता को प्राथमिकता देने, किसी परियोजना के लाभ के लिये व्यक्तिगत समय का त्याग करने या सहकर्मियों और ग्राहकों के कल्याण की वकालत करने के रूप में प्रकट हो सकता है।
- **संभावित लाभ:** नैतिक परोपकारिता टीमवर्क, सहयोग और साझा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देती है।
  - यह एक अधिक सकारात्मक तथा सहायतापूर्ण कार्य संस्कृति विकसित कर सकती है, जिससे कर्मचारी की संतुष्टि एवं विश्वास में वृद्धि होती है।
  - अंततः यह व्यक्तिगत कार्यों को संगठन के मिशन के साथ संरेखित करता है।
- **संभावित नुकसान:** अनियंत्रित परोपकारिता से थकान, त्याग का प्रतिदान न मिलने पर नाराजगी तथा दूसरों द्वारा शोषण की स्थिति पैदा हो सकती है, जो व्यक्ति की मदद करने की इच्छा का फायदा उठाते हैं।
  - इससे सीमाएँ निर्धारित करने और अनुचित अनुरोधों को "ना" कहने से भी चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

निष्कर्ष:

व्यावसायिक निर्णय लेने में नैतिक अहंकार और परोपकारिता को संतुलित करने में व्यक्तिगत कल्याण सहकर्मियों तथा संगठन के कल्याण से जुड़ा हुआ है। प्रबुद्ध अहंकार को अपनाना तथा ईमानदारी एवं सम्मान जैसे गुणों को विकसित करना यह सुनिश्चित करता हैं कि निर्णय सभी के लिये लाभकारी हों। ऐसा करके, लोक सेवक अधिक नैतिक एवं उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

प्रश्न : आधारभूत मूल्यों की अवधारणा को समझाते हुए बताइए कि प्रशासनिक प्रणाली में नैतिक निर्णय निर्माण के क्रम में किस प्रकार से इनका अनुप्रयोग किया जा सकता है। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- आधारभूत मूल्यों का उल्लेख करते हुए परिचय दीजिये।
- नैतिक निर्णय निर्माण में आधारभूत मूल्यों के अनुप्रयोग पर विचार कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

आधारभूत मूल्य- विवेक, न्याय, संयम और साहस लंबे समय से नैतिक आचरण की आधारशिला के रूप में कार्य कर रहे हैं।

- ये जटिल परिस्थितियों से निपटने और विशेष रूप से नौकरशाही के माहौल में सही निर्णय लेने के लिये एक मूल्यवान ढाँचा प्रदान करते हैं।

मुख्य भाग:

नैतिक निर्णय लेने में आधारभूत मूल्यों का अनुप्रयोग:

विवेक:

- **अवधारणा:** विवेकशीलता व्यावहारिक ज्ञान पर बल देने से संबंधित है (किसी निश्चित परिस्थिति में कार्रवाई के सही तरीके को समझने की क्षमता)।
  - इसमें परिणामों, संभावित जोखिमों और लाभों पर सावधानीपूर्वक विचार करना तथा प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना शामिल है।
- **नौकरशाही अनुप्रयोग:** विवेकशीलता का प्रयोग करने वाले अधिकारी:
  - **नीतियों का विश्लेषण करेंगे:** किसी नीति को लागू करने से पहले ये हितधारकों पर इसके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि यह नैतिक सिद्धांतों एवं कानूनी ढाँचों के अनुरूप हो।
  - **विशेषज्ञ की सलाह लेना:** जटिल मुद्दों का सामना करने के क्रम में ये समग्र दृष्टिकोण हेतु विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे।
  - **आकस्मिकताओं के लिये योजना बनाना:** विवेकशील नौकरशाह संभावित बाधाओं का अनुमान लगाने के साथ परियोजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के क्रम में वैकल्पिक समाधान विकसित करते हैं।
- **उदाहरण:** किसी नवीन निर्माण परियोजना को मंज़ूरी देने से संबंधित नौकरशाह इसके पर्यावरणीय प्रभाव के साथ समुदाय के लिये इसके आर्थिक लाभ एवं संभावित सुरक्षा खतरों पर विचार करेगा।
  - विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने तथा जोखिमों को कम करने के क्रम में इनकी इंजीनियरों एवं पर्यावरण विशेषज्ञों से परामर्श की अधिक संभावना रहती है।

न्याय:

- **अवधारणा:** न्याय का तात्पर्य निष्पक्षता, पारदर्शिता और विधि के शासन के अनुपालन से है।
  - इसमें सभी के साथ समान व्यवहार करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि निर्णय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के बजाय योग्यता के आधार पर हों।

नोट :

- **नौकरशाह द्वारा अनुप्रयोग:**
  - **नियमों को निष्पक्ष रूप से लागू करेगा:** ये विभाग से संबंधित सभी व्यक्तियों या व्यवसायों के लिये नियमों एवं नीतियों के सुसंगत अनुप्रयोग को सुनिश्चित करेंगे।
  - **पक्षपात से बचना:** इनके निर्णय व्यक्तिगत संबंधों या बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होंगे। ये वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करेंगे।
- **उदाहरण:** लोक कल्याण कार्यक्रम का प्रबंधन करने वाला नौकरशाह यह सुनिश्चित करेगा कि धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किये बिना सभी पात्र आवेदकों को लाभ प्राप्त हो सकें।
  - ये संसाधनों को निष्पक्ष रूप से वितरित करने के लिये वस्तुनिष्ठ चयन मानदंड विकसित करेंगे।

संयम:

- **अवधारणा:** संयम के तहत आत्म-नियंत्रण पर बल दिया जाता है।
  - इस मूल्य वाले अधिकारियों के भ्रष्टाचार या भेदभाव से दूर रहने की अधिक संभावना होती है।
  - यह संतुलित निर्णय को प्राथमिकता देते हैं जिससे अल्पकालिक लाभों की तुलना में दीर्घकालिक लाभों को महत्त्व दिया जाता है।
- **नौकरशाह द्वारा अनुप्रयोग:**
  - **व्यक्तिगत लाभ से तटस्थ रहना:** ये व्यक्तिगत लाभ से तटस्थ रहने के साथ रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार में शामिल होने से बचेंगे।
  - **संसाधनों का ज़िम्मेदारीपूर्ण प्रबंधन:** ये सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
  - **भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखना:** ये तनावपूर्ण स्थितियों में भी पेशेवर तथा वस्तुनिष्ठ बने रहेंगे (यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित न हों)।
- **उदाहरण:** सार्वजनिक खरीद की देख-रेख करने वाला नौकरशाह पक्षपात करने वाले लॉबिस्टों के दबाव में नहीं आएगा।
  - ये सरकार के लिये सर्वोत्तम सौदे सुरक्षित करने के लिये पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्द्धी बोली सुनिश्चित करेंगे।

साहस:

- **अवधारणा:** साहस से सही कार्य करने की नैतिक शक्ति मिलती है।
- इससे अपने सिद्धांतों पर टिके रहने एवं अनैतिक व्यवहार या गलत कार्य के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की प्रेरणा मिलती है।
  - **नौकरशाह द्वारा अनुप्रयोग:** साहसी नौकरशाह गलत कार्यों को उजागर करने के साथ यदि संगठन के भीतर भ्रष्टाचार या अनैतिक व्यवहार को देखता है तो संभावित नतीजों के बावजूद उचित अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करने की हिम्मत कर सकेगा।
  - **लोक हित की रक्षा करना:** ये ऐसी नीतियों एवं प्रथाओं को प्राथमिकता देंगे जिससे लोक हित को लाभ मिलता हो भले ही इसका तात्पर्य यथास्थिति या शक्तिशाली व्यक्तियों को चुनौती देना हो।
  - **कठिन निर्णय लेना:** ये नैतिक सिद्धांतों के आधार पर कठिन निर्णय ले सकेंगे, भले ही इससे सहकर्मियों या वरिष्ठों के बीच उनकी लोकप्रियता न रहे।
- **उदाहरण:** अपने विभाग के अंदर धोखाधड़ी की गतिविधि से परिचित नौकरशाह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसकी रिपोर्ट करने का साहस कर सकेगा, भले ही इससे उन्हें सहकर्मियों से प्रतिशोध का सामना करना पड़े।

निष्कर्ष:

इन आधारभूत मूल्यों को अपनी निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके कोई भी नौकरशाह अधिक नैतिक एवं भरोसेमंद प्रशासनिक प्रणाली में योगदान दे सकता है। ये मूल्य नैतिक दिशा-निर्देश प्रदान करने के साथ नौकरशाहों को लोक सेवा की जटिलताओं को समझने में मार्गदर्शन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय व्यापक हित में हों।

प्रश्न : शांति का आशय संघर्ष का अभाव नहीं है, बल्कि इसका आशय संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की क्षमता से है।" संघर्षों को नैतिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने हेतु कौन से गुण एवं दृष्टिकोण आवश्यक हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- इस कथन का औचित्य सिद्ध करते हुए परिचय दीजिये।
- शांति स्थापना और संघर्ष समाधान के लिये आवश्यक गुणों का उल्लेख कीजिये।
- संघर्ष समाधान हेतु प्रभावी दृष्टिकोण बताइये।
- उद्धरण का उपयोग करते हुए सकारात्मक निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

शांति का तात्पर्य केवल युद्ध की अनुपस्थिति से नहीं है बल्कि रचनात्मक संवाद एवं नैतिक साधनों के माध्यम से असहमति और संघर्षों को दूर करने की क्षमता से है।

नोट :

- विविध दृष्टिकोणों और हितों वाले विश्व में संघर्ष अपरिहार्य हैं। हालाँकि जिस तरह से हम इन असहमतियों का प्रबंधन करते हैं, उसका प्रभाव व्यक्तियों, समुदायों एवं विश्व पर पड़ता है।

मुख्य भाग:

आवश्यक गुण:

- **समानुभूति:** यह दूसरों की भावनाओं को समझने एवं साझा करने की क्षमता में महत्त्वपूर्ण है।
  - दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर संघर्ष के मूल कारणों को बेहतर ढंग से समझने के साथ समस्या का समाधान हो सकता है।
- **सम्मान:** सभी पक्षों के साथ सम्मानजनक व्यवहार से पारदर्शी संचार के साथ संघर्ष समाधान हेतु अधिक अनुकूल वातावरण मिलता है।
- **धैर्य:** संघर्ष समाधान में धैर्य निर्णायक तत्त्व है।
  - धैर्य से मुद्दों की गहन समझ के साथ विश्वास को बढ़ावा मिलने से रचनात्मक समाधानों का मार्ग महत्त्व प्रशस्त होता है।
- **खुलापन:** विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने की प्रेरणा आवश्यक है।
  - कठोर रुख से प्रगति में बाधा उत्पन्न होने के साथ पक्षों को पारस्परिक समाधान खोजने में बाधा उत्पन्न होती है।
- **संचार कौशल:** संघर्ष समाधान के लिये प्रभावी संचार (मौखिक और अशाब्दिक दोनों) निर्णायक है।
  - सक्रिय श्रवण, खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना तथा खुले संवाद को बढ़ावा देने से संघर्ष समाधान हेतु मार्ग प्रशस्त होता है।

प्रभावी दृष्टिकोण:

- **संवाद और विमर्श:** पारदर्शी और निष्पक्ष संचार शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान की आधारशिला है।
  - संवाद में शामिल होने से शामिल पक्षों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने, एक-दूसरे की ज़रूरतों को समझने तथा सहयोगात्मक रूप से संभावित समाधानों की खोज करने में सहायता मिलती है।
  - संवाद में पारस्परिक रूप से सहमत परिणाम तक पहुँचने के क्रम में रचनात्मक समझौता करना शामिल है।
  - **उदाहरण:** दो पड़ोसी देश एक साझा नदी से जल के उपयोग हेतु विमर्श कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप होने वाले समझौते से शांति सुनिश्चित हो सकती है।
- **मध्यस्थता:** जटिल संघर्षों में एक तटस्थ तीसरा पक्ष मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकता है।
  - मध्यस्थ पक्ष संवाद का मार्गदर्शन करने के साथ सुनिश्चित करते हैं कि सभी के पक्ष को सुना जाए जिससे शामिल पक्ष आम सहमति तक पहुँच सकें।
  - **उदाहरण:** दो कंपनियों के बीच तटस्थ मध्यस्थ दोनों पक्षों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए और उनका सम्मान करते हुए उन्हें एकीकृत कॉर्पोरेट संस्कृति बनाने में मदद करता है।
- **समस्या-समाधान:** संघर्ष के मूल कारणों की पहचान करने और उन कारणों का समाधान करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।
  - यह दृष्टिकोण अंतर्निहित मुद्दों के समाधान पर केंद्रित है।
  - **उदाहरण:** किसी समुदाय द्वारा समिति बनाकर भूमि उपयोग विवाद का समाधान करने से सभी पक्षों को संतुष्ट करने के क्रम में वाणिज्यिक क्षेत्रों के साथ मिलकर इसके मिश्रित उपयोग एवं विकास को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **क्षमा और सुलह:** संघर्ष का हल हो जाने के बाद भी, नाराजगी की भावनाएँ बनी रह सकती हैं।
  - क्षमा और सुलह, दीर्घकालिक शांति के लिये आवश्यक हैं।
  - **उदाहरण:** एक लंबे गृहयुद्ध के बाद देश, एक-दूसरे को माफ करने के साथ शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

निष्कर्ष:

संघर्ष समाधान एक सतत् प्रक्रिया है जिसके लिये सभी संबंधित पक्षों से समर्पण एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि "यदि आप अपने दुश्मन के साथ शांति स्थापित करना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मन के साथ मिलकर कार्य करना होगा, जिससे वह आपका साथी बन जाएगा।" समानुभूति, सम्मान एवं खुले संचार को बढ़ावा देकर हम संबंधित पक्षों के बीच अंतराल को कम कर सकते हैं, सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं तथा सभी के लिये अधिक शांतिपूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

प्रश्न : "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।" - स्वामी विवेकानंद।

कौन-से नैतिक सिद्धांत हमें अपने मूल्यों से समझौता किये बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं? (150 शब्द)

नोट :

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उद्धरण की मान्यता के साथ अपने उत्तर को प्रस्तुत कीजिये।
- नैतिक सिद्धांतों में गहराई से जाने से हमें अपने मूल्यों से समझौता किये बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन मिल सकता है।
- सकारात्मक रूप से निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

स्वामी विवेकानंद का शक्तिशाली उद्धरण, "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए", हमें अडिग दृढ़ संकल्प के साथ अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये प्रेरित करता है।

- हालाँकि सफलता के मार्ग पर हमें अपने आधारभूत मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिये। नैतिक अखंडता बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।

मुख्य भाग:

हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करने वाले नैतिक सिद्धांत:

- **सत्यनिष्ठा और ईमानदारी:**
  - **निष्पक्षता:** ईमानदारी से प्रयास, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के माध्यम से लक्ष्यों के लिये प्रयास करें। शॉर्टकट, हेरफेर या दूसरों का शोषण करने से बचें।
  - **पारदर्शिता:** लेन-देन में सत्यनिष्ठा रखें। धोखे से अल्पकालिक लाभ हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता के लिये विश्वास की आवश्यकता होती है।
- **सम्मान और निष्पक्षता:**
  - **जीत-जीत का दृष्टिकोण:** सभी पक्षों को लाभ पहुँचाने वाले समाधान की तलाश करें। अनावश्यक प्रतिस्पर्द्धा या दूसरों का शोषण उपलब्धियों को कमज़ोर करता है।
  - **नियमों का सम्मान:** खेल के नियमों का पालन करें, चाहे वह व्यवसाय, प्रतिस्पर्द्धा या फिर निजी जीवन में ही क्यों न हो। निष्पक्षता में प्रतिष्ठा से विश्वसनीयता मज़बूत होती है।
- **चरित्र और ज़िम्मेदारी:**
  - **आत्म-अनुशासन:** प्रलोभनों का विरोध करने के लिये आत्म-नियंत्रण विकसित करना।
  - **कार्यों का स्वामित्व:** निर्णयों और कार्यों, सफलताओं तथा असफलताओं दोनों की ज़िम्मेदारी लें। गलतियों से सीखें एवं उसमें सुधार करें।
  - **सामाजिक ज़िम्मेदारी:** दूसरों और पर्यावरण पर कार्यों के प्रभाव पर विचार करें। न केवल स्वयं का विकास करें, बल्कि विश्व में सकारात्मक कल्याण में भी योगदान दें।
- **करुणा और सहानुभूति:**
  - **सहयोग:** टीमवर्क के महत्त्व को पहचानें। सहभागिता विविध शक्तियों का लाभ उठाती और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये अधिक सहायक वातावरण को बढ़ावा देती है।
  - **दूसरों की मदद करना:** समान यात्रा पर चल रहे लोगों को समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करना। दूसरों का उत्थान करने से आपका अपना संकल्प मज़बूत होता है।
- **संतुलन और स्थिरता:**
  - **समग्र दृष्टिकोण:** शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की उपेक्षा किये बिना सफलता की तलाश करें। स्वास्थ्य की कीमत पर अडिग प्रयास अंततः असंतुलित है। दीर्घकालिक दृष्टि: सतत् विकास और स्थायी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें। सच्ची सफलता नैतिक प्रथाओं और दीर्घकालिक दृष्टि की नींव पर केंद्रित होती है।

निष्कर्ष:

मूल्यों से समझौता किये बिना लक्ष्य प्राप्त करने के लिये नैतिक विचारों के साथ दृढ़ संकल्प को संतुलित करना आवश्यक है। इन सिद्धांतों को अपनाकर, हम उद्देश्यों को ऐसे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं जो सफल तथा नैतिक रूप से सही हो। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद करता है बल्कि विवेकानंद के शब्दों की भावना का सम्मान करते हुए हमारे कार्यों की अखंडता सुनिश्चित करते हुए अधिक नैतिक समाज में योगदान देता है।

प्रश्न : "नैसर्गिक विधि" की अवधारणा और नैतिक तर्क में इसके उपयोग पर चर्चा कीजिये। क्या आप मानते हैं कि प्रकृति में सार्वभौमिक रूप से नैतिक विधि अंतर्निहित हैं? (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- नैसर्गिक विधि की अवधारणा को परिभाषित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये
- नैतिक तर्क में नैसर्गिक विधि के स्थान पर गहराई से विचार कीजिये
- सार्वभौमिक नैतिक विधियों के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिये
- सकारात्मक निष्कर्ष दीजिये।

नोट :

परिचय:

'नैसर्गिक विधि' एक धार्मिक और दार्शनिक अवधारणा है, जो मानवीय तर्क के माध्यम से खोजे जा सकने वाले तथा मानवता की प्रकृति में अंतर्निहित सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के अस्तित्व को स्थापित करती है।

- अरस्तू जैसे दार्शनिकों और बाद में थॉमस एक्विना जैसे ईसाई धर्मशास्त्रियों द्वारा विकसित ये विचार, मानव आविष्कार तथा सामाजिक मानदंडों से स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ एवं सांस्कृतिक हैं।

मुख्य भाग:

नैतिक तर्क में नैसर्गिक विधि का स्थान:

- **नैतिकता का आधार:** नैसर्गिक विधि नैतिक निर्णय लेने के लिये एक ढाँचा प्रदान करता है तथा सांस्कृतिक सापेक्षवाद की तुलना में अधिक संतुलित मार्ग प्रस्तुत करता है।
  - यह सिद्धांतों का एक मूल समूह प्रस्तुत करता है, जो मानव व्यवहार का मार्गदर्शन प्रदान कर सकते है जैसे जीवन की रक्षा करना, निष्पक्षता को बढ़ावा देना और सामान्य जन कल्याण को आगे बढ़ाना।
- **सकारात्मक कानून का औचित्य:** नैसर्गिक विधि, कानूनी प्रणालियों के लिये आधार के रूप में कार्य कर सकता है तथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करने वाले कानूनों के लिये आधार प्रदान कर सकता है।
  - मानव अधिकार घोषणाओं जैसे विधि संहिता अक्सर नैसर्गिक विधि अवधारणाओं से प्रेरणा लेते हैं।

सार्वभौमिक नैतिक विधि के पक्ष में तर्क:

- **मानव स्वभाव:** समर्थकों का तर्क है कि मनुष्य एक समान स्वभाव साझा करते हैं जो कुछ नैतिक सत्यों को निर्धारित करता है।
  - इनमें आत्म-संरक्षण की भावना, दूसरों के प्रति सहानुभूति और सामाजिक व्यवस्था की इच्छा शामिल है।
- **कारण और तर्क:** नैसर्गिक विधि हमारे अंतर्निहित उद्देश्य और जीवन जीने के सर्वोत्तम तरीके को समझने के लिये कारण का प्रयोग करने का सुझाव देता है।
  - यह तर्क-आधारित दृष्टिकोण सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की ओर ले जाता है।
- **अंतर्ज्ञान और विवेक:** कई लोग मानते हैं कि हमारे पास सांस्कृतिक परवरिश से परे एक जन्मजात नैतिक दिशा-निर्देशक, सही और गलत की समझ होती है।
  - यह मानव में अंतर्निहित नैसर्गिक सिद्धांतों के प्रमाण हो सकते हैं।

सार्वभौमिक नैतिक विधियों के विरुद्ध तर्क:

- **सांस्कृतिक सापेक्षवाद:** आलोचकों का तर्क है कि नैतिकताएँ समाजों में व्यापक रूप से भिन्न और सांस्कृतिक रूप से निर्मित होती हैं। एक संस्कृति में गलत मानी जाने वाली परंपराएँ दूसरी संस्कृति में स्वीकार्य हो सकती हैं।
- **व्यक्तिपरकता और व्याख्या:** नैसर्गिक विधि पर तर्क लागू करना व्यक्तिपरक हो सकता है। इस बात पर असहमति बनी रहती है कि वास्तव में "नैसर्गिक" क्या है या इन सिद्धांतों की व्याख्या करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।
- **नैतिकता का विकास:** नैतिक संहिताएँ ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई हैं। अतीत में जो सही या गलत माना जाता था, वह आज नहीं हो सकता।
  - यह अपरिवर्तनीय प्राकृतिक कानूनों के विचार पर संदेह पैदा करता है।

निष्कर्ष:

नैतिकता में, नैसर्गिक विधि अभी भी एक विवादास्पद विचार है। भले ही इसकी वैधता सवालों के घेरे में है, फिर भी यह नैतिक तर्क और उचित कानूनों के निर्माण के लिये एक उपयोगी ढाँचा प्रदान करता है। नैसर्गिक विधि पर निरंतर संवाद इस बात को याद दिलाता है कि लोगों के लिये इस दुनिया में निरंतर नैतिक मानक निर्धारित करना कितना मुश्किल है जो हर समय परिवर्तित हो रहे हैं।

प्रश्न : "प्रसन्नता, व्यक्ति की आत्मा के सद्गुणों के अनुकूल आचरण है।" - अरस्तू

लोक सेवा के संदर्भ में सद्गुण, आचरण और प्रसन्नता के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिये। (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- अरस्तू के उद्धरण का गहन अध्ययन करके उत्तर प्रस्तुत कीजिये।
- लोक सेवा में सद्गुण, आचरण और प्रसन्नता एवं संतुष्टि/पूर्ति के महत्त्व पर प्रकाश डालिये।
- लोक सेवा में सद्गुण, आचरण और प्रसन्नता के परस्पर क्रिया की विवेचना कीजिये।
- सकारात्मक निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

अरस्तू का यह कथन कि प्रसन्नता, व्यक्ति की आत्मा के सद्गुणों के अनुकूल आचरण है, **नैतिक आचरण और मानव संतुष्टि के बीच अंतर्निहित संबंध** को रेखांकित करता है।

नोट :

- लोक सेवा के संदर्भ में यह दर्शन **सद्गुण, आचरण और प्रसन्नता** के मध्य संबंधों की गहनता से विवेचना करता है।

मुख्य बिंदु:

लोक सेवा में सद्गुण:

अरस्तू के अनुसार सद्गुण, **आचरण की उत्कृष्टता** है और उचित प्रकार से व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। लोक सेवा के संदर्भ में,यह गुणों के एक समूह के रूप में प्रकट होता है जैसे:

- **सत्यनिष्ठा:** इसका तात्पर्य विषम परिस्थितियों में भी नैतिक और सदाचार सिद्धांतों को कायम रखने से है। उदाहरण हेतु **आई.ए.एस. अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने वर्ष 2013** में उत्तर प्रदेश में **अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की** जिसके बाद उन्हें राजनीतिक प्रतिघात का सामना करना पड़ा था।
- **निष्पक्षता:** इसका तात्पर्य सभी नागरिकों और हितधारकों के साथ बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के निष्पक्ष व्यवहार करने से है। विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन, जैसे कि **1990 के दशक में** पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त **टी.एन. शेषन द्वारा किये गए सुधार,** जिसमें आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करना शामिल था।
- **वस्तुनिष्ठता:** इसका तात्पर्य वैयक्तिक मत या भावनात्मक आधारों के स्थान पर साक्ष्य और तर्क के आधार पर निर्णय लेने से है। **कोविड-19 की रोकथाम करने में भीलवाड़ा मॉडल**, संकट प्रबंधन में वस्तुनिष्ठता के महत्त्व को दर्शाता है।
- **सहानुभूति:** इसमें दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका सहभाजन करना शामिल है। समाज के हाशियाई वर्गों का सशक्तीकरण करने के उद्देश्य से की गई विभिन्न सरकारी पहलों की सफलता, जैसे कि **आई.ए.एस. अधिकारी आर्मस्ट्रांग पेम**, ने **वर्ष 2012 में मणिपुर में** सरकारी निधि का उपयोग किये बिना **100 किलोमीटर लंबी सड़क** का निर्माण करवाकर सहानुभूति का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे दूरवर्ती ग्रामों की महत्त्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित हुई।

आचरण एवं लोक सेवा

आचरण, किसी व्यक्ति के नैतिक और सदाचार गुणों का कुल संकलन है, जो व्यक्ति के पालन-पोषण, शिक्षा एवं जीवन के अनुभवों सहित कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है।

- **उदाहरण द्वारा नेतृत्व:** वरिष्ठ सिविल सेवक अपने अधीनस्थ अधिकारीयों के लिये आदर्श के रूप में कार्य करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति **ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** ने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के बाद भी संपूर्ण जीवन में अधिगम जारी रखते हुए और सेवा करते हुए युवाओं को शिक्षित करना एवं प्रेरित करना जारी रखा।
- **निरंतर अधिगम:** निरंतर सीखने से तक्ष्शील का निर्माण होता है। लोक सेवकों के बीच क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिये सरकार की पहल, जैसे कि **मिशन कर्मयोगी**, निरंतर सीखने और विकास की आवश्यकता को दर्शाती है।
- **नैतिक दुविधाएँ:** लोक सेवा में प्राय: नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति जिस प्रकार से इन चुनौतियों सामना करता है उसी प्रकार से उसका आचरण आकार लेता है। **दिल्ली पुलिस के जवान राज सिंह** नें इसी प्रकार की दुविधा में सर्वप्रथम अपना कर्त्तव्य निभाया और अपने ही बेटे को गिरफ्तार करने में मदद की जिसने एक महिला पर चाकू से हमला किया था।

लोक सेवा में प्रसन्नता और संतुष्टि

हालाँकि प्रसन्नता लोक सेवा का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है किंतु यह पुण्य कार्य और आचरण का एक स्वाभाविक परिणाम है। जो लोक सेवक **उद्देश्यपूर्ण भावना** तथा **परिवर्तन लाने की इच्छा से प्रेरित** होते हैं उनमें अपने कर्त्तव्यों से संतुष्ट होने की संभावना अधिक होती है।

लोक सेवा में सद्गुण, आचरण और प्रसन्नता की परस्पर क्रिया:

- **आचरण और प्रसन्नता की नींव के रूप में सद्गुण:** सद्गुण, आचरण में सुधार के लिये किसी आधारशिला का काम करता है।
  - जैसे-जैसे लोक सेवा में व्यक्ति इन सद्गुणों को विकसित करते हैं, उनके आचरण में सुधार होता जाता है, जिससे वे **नैतिक निर्णय लेने और लोक हित में प्रभावी रूप से सेवा करने में** सक्षम होते हैं।
  - इसके परिणामस्वरुप उन्हें अपने सार्थक कार्य से संतुष्टि प्राप्त होती है और प्रसन्नता की भावना जागृत होती है।
- **सद्गुण और प्रसन्नता के मध्य सेतु के रूप में आचरण:**
  - आचरण जो सहज गुणों और अनुभवों दोनों से मिलकर बना होता है, सद्गुण की व्यावहारिक अभिव्यक्ति है।
  - एक सुदृढ़ आचरण लोक सेवकों को अपने **मूल्यों को कार्यों में निरूपित करने में** सहायता प्रदान करता है, जिससे उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की भावना जागृत होती है और व्यक्ति संतुष्ट होता है।
  - नैतिक सिद्धांतों का नित्य पालन करके, **व्यक्ति** एक **प्रतिष्ठित छवि बनाते हैं** और **सकारात्मक कार्य वातावरण में योगदान** करते हैं, जिससे समग्र कल्याण बढ़ता है।
- **सद्गुणी आचरण की परिणति के रूप में प्रसन्नता:**
  - हालाँकि प्रसन्नता प्राथमिक उद्देश्य नहीं है किंतु यह लोक सेवा में अच्छी तरह से निर्वाह किये जीवन का एक स्वाभाविक परिणाम है।

नोट :

- जब व्यक्ति अपने कार्यों को अपने मूल्यों के साथ संरेखित करते हैं और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो उन्हें **पूर्ति एवं संतुष्टि की भावना का अनुभव** होता है।
- यह प्रसन्नता सहकर्मियों एवं समुदाय से प्राप्त सम्मान तथा प्रशंसा से और भी बढ़ जाती है।

निष्कर्ष

सद्गुण, आचरण और प्रसन्नता के मध्य परस्पर क्रिया एक **गतिशील एवं बहुआयामी प्रक्रिया** है। लोक सेवा के संदर्भ में यह **निरंतर अधिगम, विकास तथा संतुष्टि** की यात्रा है। सद्गुण विकास, मज़बूत चरित्र निर्माण एवं कार्य को सार्थक बनाकर, लोक सेवक **समाज के समग्र कल्याण** में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

प्रश्न : कानून और नैतिकता के बीच संबंधों पर चर्चा कीजिये। वे कैसे एक-दूसरे के पूरक और विरोधाभाषी हैं? (150 शब्द)

हल करने का दृष्टिकोण:

- कानून और नैतिकता के सार का पता लगाकर उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- कानून और नैतिकता के समपूरक पहलुओं पर गहनता से विचार कीजिये।
- कानून और नैतिकता के परस्पर विरोधी पहलुओं का उल्लेख कीजिये।
- संतुलित रूप से निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

"नैतिकता वहीं से शुरू होती है जहाँ कानून विफल रहता है"। कानून एवं नैतिकता आपस में अंतर्ग्रथित तंत्र हैं जो मानव व्यवहार और सामाजिक आचरण का मार्गदर्शन करती हैं। कानून का तात्पर्य **सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रवर्तित संहिताबद्ध नियमों** से है जबकि नैतिकता में **नैतिक सिद्धांत और मूल्य** शामिल होते हैं जो उचित तथा अनुचित के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विचारों को आकार देते हैं।

मुख्य बिंदु:

कानून और नैतिकता के समपूरक पहलू:

- **विकासशील सामाजिक मानक:** कानून और नैतिकता **विकासशील सामाजिक मानकों को प्रतिबिंबित करने तथा उन्हें आकार देने** के लिये मिलकर कार्य करते हैं एवं प्रगतिशील परिवर्तन को पारस्परिक रूप से सुदृढ़ करते हैं।
  - **उदाहरण: मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017** मानसिक स्वास्थ्य के प्रति बदलते नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें रोगियों के अधिकारों और सम्मान पर ज़ोर दिया गया है।
- **वैयक्तिक और सामूहिक अधिकारों का संतुलन:** कानूनी और नैतिक दोनों ही ढाँचे वैयक्तिक स्वतंत्रता को सामूहिक कल्याण के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं।
  - **उदाहरण: मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019** सड़क सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है, वैयक्तिक सुविधा को लोक सुरक्षा के साथ संतुलित करता है।
- **वृत्तिक/व्यावसायिक अखंडता अक्षुण्ण रखना:** कानून प्राय: वृत्तिक आचरण के नैतिक मानकों को संहिताबद्ध करते हैं जिससे जवाबदेहिता बढ़ती है और साथ ही लोगों का विश्वास सुदृढ़ होता है।
  - **उदाहरण: गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021** चिकित्सीय नैतिकता को बनाए रखते हुए सुरक्षित गर्भपात का प्रावधान करता है।
- **पर्यावरण प्रबंधन:** विधिक संरचना में प्राय: प्रकृति और भावी पीढ़ियों के प्रति नैतिक ज़िम्मेदारियों को समाविष्ट किया जाता है।
  - **उदाहरण: वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981** पर्यावरण संरक्षण के संबंध में नैतिक चिंताओं को दर्शाता है।
- **नैतिक व्यावसायिक व्यवहार:** निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देते हुए कानून द्वारा व्यवसाय में नैतिक मानकों का प्रवर्तन किया जा सकता है।
  - **उदाहरण: प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002** विधिक रूप से नैतिक व्यावसायिक आचरण और निष्पक्ष बाज़ार व्यवहार को अनिवार्य बनाता है।
- **कानूनों के नैतिक दिशा-निर्देश के रूप में नैतिकता:** नैतिकता कानून के लिये नैतिक दिशा-निर्देश प्रदान करती है जिससे विधि के निर्माण और इसकी व्याख्या का मार्गदर्शन होता है।
  - उदाहरणार्थ, हालाँकि कोई व्यवसाय नकद भुगतान प्राप्त करने के लिये बीजक (Invoice) में हेर-फेर कर सकता है किंतु यदि वह नैतिक है तो वह विधिक बाध्यताओं से आगे बढ़कर, **सत्यनिष्ठा के साथ संभावित कर देनदारियों का स्वेच्छा से प्रकटीकरण** करेगा।
    - **दिल्ली सरकार की योजना**, जिसमें पहली 200 यूनिट तक निशुल्क बिजली और 201-400 यूनिट तक 50% सहायकी दी जाती है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

नोट :

- हालाँकि विधिक रूप से इसकी अनुमति तो है किंतु लाभार्थी की स्व-घोषणा की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति का **नैतिक आचरण कानूनी अनुपालन से बढ़कर हो सकता है।**

कानून और नैतिकता के परस्पर विरोधी पहलू:

- **निजता बनाम लोक सुरक्षा:** लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्मित कानून से **वैयक्तिक निजता के नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन** हो सकता है।
  - **उदाहरण: डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019**, जो आपराधिक जाँच के लिये डीएनए प्रोफाइलिंग की अनुमति देता है (बाद में वापस ले लिया गया), व्यक्ति की आनुवंशिक निजता के संबंध में नैतिक चिंताओं को उजागर करता है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक सद्भाव:** सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिये भाषण (स्पीच) पर अधिरोपित कानूनी प्रतिबंध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नैतिक आदर्शों के साथ असंगत हो सकते हैं।
  - **उदाहरण: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A (श्रेया सिंघल मामले, 2015 में निरसित किया गया)** "घृणोत्पादक" (Offensive) ऑनलाइन सामग्री को आपराधिक बनाती है जो फ्री स्पीच के नैतिक सिद्धांतों के विपरीत है।
- **पर्यावरण संरक्षण बनाम मूल अधिकार:** संरक्षण कानून का कभी-कभी **मूल समुदायों के नैतिक अधिकारों और परंपरागत प्रथाओं** के साथ संघर्ष हो सकता है।
  - **उदाहरण: कान्हा टाइगर रिज़र्व, मध्य प्रदेश**, 1973 में बाघ संरक्षण के लिये स्थापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप **बैगा और गोंड** जनजातीय समुदायों को उनकी पैतृक भूमि से विस्थापित होना पड़ा।
- **सहजमृत्यु और मृत्यवधिकार:** सहजमृत्यु (व्यक्ति की इच्छा अनुसार मृत्यु) पर कानूनी प्रतिबंध का जीवन के अंत के निर्णयों में वैयक्तिक स्वतंत्रता के नैतिक तर्कों से संघर्ष हो सकता है।
  - **उदाहरण:** 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय लिया गया जिसके तहत अक्रिय सहजमृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति प्रदान की गई किंतु **सक्रिय सहजमृत्यु** (Active Euthanasia) **भारत में** आज भी **अवैध है**, जो गरिमा के साथ प्राण त्यागने के नैतिक विचारों के साथ संघर्ष करती है।

निष्कर्ष:

अत: कानून और नैतिकता की पूरकता विभिन्न संदर्भों में अलग-अलग हो सकती है। अवैध प्रवासियों को आश्रय प्रदान करना **नैतिक रूप से प्रशंसनीय है किंतु कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।** इसी क्रम में धन के आभाव के कारण प्राणरक्षक उपचार से इनकार करना **कानूनी रूप से स्वीकार्य है किंतु नैतिक रूप से संदिग्ध है।** एक न्यायसंगत समाज को विधिक अधिदेश से आगे बढ़कर उच्च नैतिक मानकों की आकांक्षा करते हुए कानूनी अनुपालन को नैतिक सिद्धांतों के साथ एकीकृत करना चाहिये।

■■■

नोट :

निबंध

1. आप जो करने से डरते हैं, वह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपको क्या करना चाहिये। किसी विचार से सहमत हुए बिना उस पर विचार करने की क्षमता शिक्षित होने की एक पहचान है।
2. किसी निर्णय का महत्त्व इस बात में नहीं होता कि वह कैसे लिया गया, बल्कि इस बात में निहित होता है कि वह लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव छोड़ता है। प्रत्येक सूर्योदय एक आशा के साथ आता है और प्रत्येक सूर्यास्त आत्मचिंतन को प्रेरित करता है।
3. शक्ति वह अदृश्य धारा है जो मानवीय अंतर्संबंध के परिदृश्य को आकार देने के क्रम में कुछ पहलुओं को नष्ट करती है एवं अन्य को मज़बूत बनाती है।
4. स्वतंत्रता, उत्तेजना एवं प्रतिक्रिया के बीच का वह स्थान है जो प्रत्येक सचेत विकल्प के साथ विस्तारित एवं संकुचित होता है।

■■■

दृष्टि The Vision

नोट :